लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा

गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६०

१० अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाढ़ नियंत्रण की बृहद् योजना

†*६०५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण के बारे में अपनी बृहद् योजनाओं की मुख्य बातों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जाने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं, श्रीमान्, । केवल जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी में बाढ़ नियंत्रण की बृहद् योजना बनाई है ।

(ख) और (ग). बृहद योजना में प्रत्येक नदी बेसिन में बाढ़ रोकने के लिये आवश्यक विभिन्न योजनाओं की प्रविधिक बातें तथा उनकी लागत दी होती है । राज्यों द्वारा प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रण संबंधी उन योजनाओं की कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता मंजूर की जाती है जिन्हें केन्द्र स्वीकार कर लेता है ।

यह केन्द्रीय सहायता बृहद् योजनाओं में सम्मिलित योजनाओं की कुल लागत के आधार पर नहीं दी जाती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक बाढ़ नियंत्रण की अपनी बृहद् योजना पेश नहीं की है । क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में हाल की बाढ़ को ध्यान में रखते हुये क्या इन राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण का कोई छोटा कार्यक्रम पेश किया है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** १९५४ में तुरन्त के कार्यक्रम, अल्पावधि तथा दीर्घावधि कार्यक्रम के रूप में तीन कार्यक्रम सोचे गये थे । तुरंत का कार्यक्रम पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में लगभग पूरा हो चुका है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि केवल जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने बृहद् योजना तैयार की है, सरकार ने उसे तैयार करने में क्या सहायता दी है तथा बृहद् योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिये भविष्य में क्या सहायता दी जायेगी ?

†**श्री हाथी :** प्रविधिक सलाह दी गई थी । एक भूमि विशेषज्ञ वहां भेजा गया था । भारत सरकार की ओर से एक मुख्य इंजीनियर भी वहां भेजा गया है । बुलर झील के नीचे की सम्पूर्ण घाटी के लिये लगभग ८ करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उत्तर प्रदेश में हाल की बाढ़ की दृष्टि में क्या उत्तर प्रदेश के लिये कोई अल्पावधि या दीर्घावधि की बृहद् योजना बनाई गई है ?

†**श्री हाथी :** उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बृहद् योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया है किन्तु उन्होंने एक दीर्घविधि योजना तैयार की है । इस योजना पर बाढ़ संबंधी उच्च-स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया था और समिति ने जो प्रविधिक सलाह दी है उसकी दृष्टि में हमने कुछ परिवर्तन करने के लिये अपनी सिफारिश उन के पास भेजी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** आसाम की वृहद् योजना पर कितना व्यय होगा तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये केन्द्र आसाम को क्या सहायता देगा ?

†**श्री हाथी :** आसाम ने अभी अपनी बृहद योजना पेश नहीं की है ।

†**श्री विभूति मिश्र** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जल्दी ही उदाहरणतः एक सप्ताह के अन्दर सभा-पटल पर ऐसा विवरण क्यों नहीं रख देते । जिस में वह सब जानकारी दी गई हो जो उन्हें प्राप्त हो गई है ।

†**श्री हाथी :** २१ नवम्बर, को हमने एक ऐसा विवरण रख दिया था जिस में यह बताया गया था कि कौन-कौन सी योजनायें हैं, कौन सी मंजूर हो गई हैं; कितनी सहायता दी गई है, कितना काम हो चुका कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचा है, आदि ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उस सब को पढ़ें । जहां तक सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का संबंध है, मुझे बराबर इस बात की सूचना मिलती रही है कि मेरे राज्य में नागार्जुन-सागर परियोजना के संबंध में अब कितना काम हो चुका है । इसी प्रकार माननीय सदस्यों को निर्माण कार्यों के संबंध में समय-समय पर सूचनायें मिलती रही होंगी । बाढ़ नियंत्रण के संबंध में भी उन के पास सूचनायें भेजी जा सकती हैं और जब कभी वे कोई कठिनाई महसूस करें तो वे उस मामले को यहां उठा सकते हैं । क्योंकि यह सब इतनी विस्तृत बातें हैं जिन्हें हम यहां नहीं उठा सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम के बारे में पूछा गया है। श्री विभूति मिश्र बिहार के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। मैं स्वयं उनका नाम पुकारने वाला था। किन्तु मैं सबके लाभ के लिये यह सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री सारे सदस्यों को एक सप्ताह का समय देकर केन्द्रीय हाल में सारे सदस्यों का एक सम्मेलन बुला लें और वहां पर सारे सदस्य बाढ़ नियंत्रण के संबंध में माननीय मंत्री से बातचीत कर लें।

†श्री हाथी : यह मंत्रालय परियोजना के संबंध में प्रगति की रिपोर्टें माननीय सदस्यों को देता रहा है। यदि वे किसी अन्य परियोजना के संबंध में जानना चाहेंगे तो उन्हें मासिक प्रगति रिपोर्टें दे दी जायेंगी। दूसरे, हम राज्यों के सदस्यों की बैठक भी बुलाते रहे हैं तथा प्रत्येक अधिवेशन के दौरान हम दो या तीन राज्यों की बैठकें भी करते रहे हैं। वहां हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्था

+

†*६०६. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री मे० क० कुक्कारन् :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में अन्तिम निश्चय किया जा चुका है कि केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्था स्थायी रूप से कहां पर स्थापित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संस्था में काम शुरू हो गया है ?

†कृषि उप मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां। प्रस्तावित संस्था में जिला मत्स्य-पालन पदाधिकारियों तथा मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम काम बम्बई में किया जायेगा और दूसरा केरल में।

(ख) जिला मत्स्यपालन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बम्बई में, जुलाई, १९६१ में प्रारम्भ होगा।

†श्री अ० मु० तारिक : गत अधिवेशन में कृषि मंत्री डा० पं० शा० देशमुख ने बताया था कि इस संस्था को बम्बई में खोलने का विचार खत्म कर दिया गया है विचार खत्म करने के बाद फिर बम्बई में इस संस्था को खोलने का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मुझे पता नहीं कि गत अधिवेशन में कृषि मंत्री ने क्या उत्तर दिया था क्योंकि सामान्यत: यह प्रश्न मुझ से संबंधित है। जहां तक मुझे पता है, गत अधिवेशन में स्थिति यह थी कि हमने अपने सचिव को केरल भेजा था और निर्णय करने के लिये हम उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हमने उसकी रिपोर्ट पर निर्णय कर लिया है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : बम्बई में लगभग कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : विशेषज्ञ समिति ने यह महसूस किया कि हमें तृतीय योजना काल में जिला स्तर के ३०० पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी और ३०० व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का ही कार्यक्रम है।

†**श्री बारियर** : जबकि तीन विशेषज्ञ समितियों ने यह सिफारिश की थी कि इसके लिये कोचीन सबसे उपयुक्त स्थान हैं, तो फिर उसे कोचीन से बम्बई ले जाने का क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैंने पहले सभा में कहा था कि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसा विशेषज्ञों ने नहीं कहा था। विशेषज्ञों ने कहा था कि बम्बई आदर्श स्थान है और उतना ही महत्वपूर्ण स्थान कोचीन है। कभी-कभी विशेषज्ञ ऐसी रिपोर्टें भी देते हैं जिनसे यह पता लगाना कठिन है कि वे क्या चाहते हैं। जब मैंने देखा कि बम्बई और कोचीन दोनों स्थानों को इतना अधिक पसन्द किया गया है, तो मैंने सोचा कि मुझे दोनों स्थानों पर इसकी स्थापना करनी चाहिये। सभा को स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि दोनों स्थानों पर मुझे कुछ न कुछ प्रबन्ध करना चाहिये ताकि सब सन्तुष्ट हो जायें। अत: हम एक संस्था बम्बई में स्थापित कर रहे हैं और कोचीन में मत्स्यपालन संस्था स्थापित कर रहे हैं। वे दोनों एक ही दर्जे की हैं और शायद मत्स्यपालन संस्था पर अधिक व्यय होगा ताकि बम्बई और कोचीन दोनों सन्तुष्ट हो सकें।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या विशेषज्ञ समिति ने, जिसमें खाद्य तथा कृषि संगठन का एक विशेषज्ञ था और नार्वे का एक विशेषज्ञ था, कहा था कि बम्बई में खारे पानी तथा स्वच्छ पानी की काम की मछलियां नहीं मिल सकेंगी और कोचीन सम्पूर्ण भारत में इसके लिये सब से उपयक्त स्थान है, और यदि ऐसा है तो कोचीन में मुख्य संस्था स्थापित न करके बम्बई में क्यों की जा रही हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्य अपनी इन बातों को विशेषज्ञों पर थोप रहे हैं। दो संस्थाओं में से एक कोचीन में स्थापित की जायेगी और एक बम्बई में। हम इस निर्णय पर इसलिये पहुंचे क्योंकि बम्बई में शिक्षा की सुविधायें हैं। अत: हमें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिये हमने उस संस्था के लिये बम्बई चुना और मत्स्यपालन संस्था के लिये कोचीन। माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि क्योंकि दोनों स्थानों के प्रति बराबर की भावना दिखाई है अत: सरकार ने ठीक ही निर्णय किया है और उसके अनुसार काम किया जायेगा।

†**श्री अ० मु० तारिक** : माननीय मंत्री ने कहा कि इस संस्था में ३०० व्यक्ति प्रशिक्षित किये जायेंगे। किन किन राज्य सरकारों से अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : लगभग सभी राज्य सरकारों से अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा गया है और उनमें से अधिकांश ने ऐसा कहा है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, वे भी इस संस्था के प्रारम्भ होने तक ऐसा कर देंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मणिवंगाडन** : कोचीन में मत्स्यपालक संस्था कब चालू की जायेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मत्स्यपालक संस्था प्रशासनिक संस्था से अधिक महत्वपूर्ण है । क्योंकि मत्स्यपालक संस्था को इंजीनियरों आदि के प्रशिक्षण के लिये काफी उपकरण चाहिये, अतः उसमें कुछ समय लगता है ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : माननीय उपमंत्री श्री कृष्णप्पा ने कुछ समय पूर्व कहा था कि एक संस्था स्थापित की जायेगी और वह कोचीन में स्थापित की जायेगी । इसके बाद, हमें दूसरी संस्था के बारे में सुनाई दिया । कोचीन संस्था दूर की बात है, क्योंकि यह बाद को स्थापित की जायेगी । प्रथम संस्था बम्बई में स्थापित की जायेगी । मैं बम्बई के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु हमें यह शंका है कि उस संस्था के लिये एक ऐसा स्थान चुना गया है जिसमें मंत्रियों की दिलचस्पी है । ऐसा भ्रम नहीं पैदा करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के कहने का यह अभिप्राय मालूम पड़ता है कि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संस्था वहां स्थापित की जानी चाहिये जहां स्वच्छ पानी की मछलियां उपलब्ध हो सकें । उनका कहना यह है कि उस संस्था को बम्बई में स्थापित क्यों किया जाये जहां स्वच्छ पानी की मछलियां उपलब्ध नहीं हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसा रिपोर्ट में नहीं कहा गया है । रिपोर्ट में बताया गया है कि बम्बई आदर्श स्थान है, किन्तु समिति के सदस्यों को यह डर था कि शायद बम्बई में स्थान उपलब्ध न हो सके । इसीलिये उन्होंने कोचीन का सुझाव दिया । सभा में यह सारी जानकारी दे दी गई है । मैं सरकार की ओर से अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं और मैं यह वचन देता हूं कि यथाशीघ्र यह मत्स्यपालक संस्था कोचीन में स्थापित की जायेगी । अतः इसे काल्पनिक नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री वारियर** : विशेषज्ञ समिति की यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये ।

†**श्री स० का० पाटिल** : हम निस्सन्देह उसे सभा पटल पर रखेंगे ।

होटलों के लिये ऋण

†***६०७. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम ने मैसर्स ओबराय होटल्स (इंडिया) लिमिटेड को नई दिल्ली, आगरा और बम्बई में नये होटल बनाने के लिये १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में १ करोड़ ५० लाख रुपये का जो ऋण दिया था, उसके लिये सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मंजूरी दी जाने में देर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). यह विषय अब भी विचाराधीन है और ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड से, जिसके प्रबन्धक अभिकर्त्ता मैसर्स ओबराय होटल्स (इंडिया) लिमिटेड हैं, कुछ बातों के संबंध में जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसके प्राप्त होते ही उसको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिल्ली, आगरा और बम्बई में होटल बनायेंगे। मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि यदि उन्हें अधिक मात्रा में धन देना है, तो फिर कलकत्ता में भी एक होटल क्यों न स्थापित किया जाये क्योंकि "पूर्व की यात्रा करो" वर्ष को ध्यान में रखते हुये कलकत्ता में कई पर्यटक आयेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : यदि वे कलकत्ता को भी सम्मिलित कर लें, तो मैं उसका बड़ा स्वागत करूंगा। इस समय जो योजना है वह आगरा, बम्बई और दिल्ली के लिये है। उसके संबंध में भी जो कठिनाइयां हैं वे भी अभी दूर नहीं हुई हैं। उन्हें वित्त मंत्रालय उन शर्तों के बारे में सन्तुष्ट करता है जिन पर उन्हें विदेशी सहायकों से कुछ ऋण प्राप्त करना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत की सभी फर्मों में से इसी फर्म को ही ऋण देने के लिये क्यों चुना गया ? उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस फर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है। वस्तुतः वे ही विदेशी स्रोतों से कुछ ऋण प्राप्त करने के बारे में कुछ प्रबन्ध करके अपनी ओर से एक प्रस्ताव लेकर आये थे। हमने औद्योगिक वित्त निगम से दिये जाने वाले ऋणों के लिये होटल उद्योग को भी सम्मिलित करने के उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किया था। उसका लाभ उठाने के लिये उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दिया है।

†**परिवहन तथा उद्योग मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं इतना और कहना चाहता हूं कि जो लोग ऋण चाहते हैं हम उनसे कहते नहीं फिरते। हम चाहते हैं कि वे स्वयं हमारे पास आयें।

श्री विभूति मिश्र : सरकार बम्बई, आगरा और दिल्ली में ये होटल बना रही है, लेकिन क्या वह कोई ऐसा इन्तजाम करने के बारे में सोच रही है कि थर्ड क्लास में चलने वाले जो आदमी इन जगहों पर जायें, उनके लिये दस, बारह आने में होटल में रहने की जगह मिल जाये ?

श्री राज बहादुर : जिनको हम लो-इनकम रेस्ट हाउसिज कहते हैं, जो सस्ते होते हैं--मैं आठ, बारह आने की बात तो नहीं कह सकता--और सस्ते दाम वाले होटल और रेस्टोरां बनाने की कोशिश की गई है और कई बनाये जा रहे हैं।

श्री अ० मु० तारिक : हमारे मुल्क में अच्छे होटलों की बहुत कमी है और हम बाहर से बहुत से सियाहों को बुलाते हैं। क्या हुकूमत की वजारते ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन्ज की ऐसी कोई प्रोपोजल है कि वह खुद अपने होटल चलाये, जैसे कि डब्लू० एच० एस० मिनिस्ट्री चलाती है, और इस तरह लोगों की दिक्कतें दूर करे ?

श्री राज बहादुर: जहां तक होटलों की कमी का सवाल है, यह बात बिल्कुल मन्जूर की जाती है कि वाकई उनकी बहुत कमी है और बाहर से जो सियाह आते हैं, उनके लिये काफी

†मूल अंग्रेजी में

होटल नहीं मिलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस इंस्डस्ट्री उद्योग में पड़ने से पहले यह ख्याल रखती है कि यह इंडस्ट्री प्राइवेट सैक्टर में रखी गई है और जहां कमी है, वहां गवर्नमेंट आती है, जैसे दिल्ली में जनपथ और अशोका होटल बनाये गये हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रोपोज्ड होटल हैं, वे कब तक बन जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** जो होटल बनाये जा रहे हैं, वे अभी तजवीज की स्टेज में हैं और अभी खाली उन की स्कीम है। उस के मंजूर होने के बाद उन के बनने की कार्यवाही हो सकती है।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने बताया कि इस प्रकार के सस्ते विश्रामालय भी बनाने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। क्या उनको मालूम है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री में जो यात्री जाते हैं, उनके ठहरने और खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और हजारों लाखों आदमी वहां जाते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न होटलों के सम्बन्ध में था। जिस प्रकार के विश्रामालयों की ओर माननीय सदस्य प्रश्न में संकेत किया गया है, उसके सम्बन्ध में काफी रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। उत्तराखंड में इस प्रकार के विश्रामालय कई जगह पर बनाने का प्रस्ताव था। वह योजना काफी आगे बढ़ चुकी है और काफी काम हो चुका है।

श्री ब्रज राज सिंह : क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जो पर्वतीय स्थान हैं, जहां गर्मियों में लोग विश्राम के लिये जाते हैं, जैसे नैनीताल और मसूरी, वहां होटल बनाने के लिये प्राइवेट व्यक्तियों और फर्मों को कर्ज दिये जायें क्या ऐसे कर्ज दिये जा रहे हैं, या दिये गये हैं, या प्रार्थना-पत्र देने पर उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : अभी अभी एक पहला प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में आया है, जो विचाराधीन है। यदि इस तरह के और प्रार्थना पत्र उपयुक्त सोतों और संस्थाओं से आयेंगे, तो उन पर विचार किया जायेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

†**श्री अन्सार हरवानी :** माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस परियोजना के लिये औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में विशेष रूप से संशोधन कराया। जब अन्य होटल वालों ने प्रस्ताव रखा था, तब उसमें संशोधन क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री राज बहादुर :** मैंने इस विशिष्ट परियोजना के लिये निगम अधिनियम में संशोधन नहीं कराया अपितु इस परियोजना में सम्पूर्ण होटल उद्योग सम्मिलित करने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन किया गया। यह कहना बिल्कुल गलत है कि मैं ने ऐसा इस परियोजना के लिये कराया।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि गरीबों के लिये रेस्टोरां बन रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो रेस्टोरां गरीबों के लिये बनाये गये हैं, उन पर कितना पैसा खर्च किया गया और किन किन जगहों में रेस्टोरां बने हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : लो इनकम ग्रुप के रेस्ट हाउसेज कई जगह बनाये जा रहे हैं। कई जगह बन गये हैं। भाखरा नंगल में भी बन रहा है, और जगह भी बन रहे हैं, मदुरा में बन गया है। इस बात का सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं था, नहीं तो मैं पूरी सूचना उपस्थित करता ।

श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या म जान सकता हूं कि इस फर्म को कितना रुपया दिया जा रहा है और उसकी देखभाल के लिये क्या इन्तजाम है, ताकि हमारा रुपया मिसयूज न हो सके ?

श्री राज बहादुर : इस फर्म ने जो मांग की है वह १ करोड़ ८० लाख की थी, जिस पर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की ऐडवाइजरी कमेटी ने विचार किया, उसके बाद बोर्ड ने विचार किया और १ करोड़ ५० लाख रुपये की सिफारिश की । उसके साथ बहुत सी शर्तें हैं, और यह देखना है कि नियंत्रण किस प्रकार रक्खा जायेगा और एहतियात रक्खी जायेगी कि यह रकम ठीक तरह से इस्तेमाल हो ।

†**श्री त्यागी** : इसमें फर्म का अपना कितना धन लगा है ?

श्री राज बहादुर : फर्म अपनी तरफ से करीब ६१ लाख रुपया खर्च कर चुकी है और पूरी योजना ४ करोड़ १३ लाख ७५ हजार की है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी कांस्टिटुएन्सी वाराणसी में भी किसी होटल की व्यवस्था होगी क्योंकि वहां पर दो दो एअर सर्विसेज हैं और सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां जाते हैं जिससे आप को बहुत फायदा होता है ।

श्री राज बहादुर : मैं चाहूंगा कि वाराणसी, देहरादून, पटना और ऐसे सब स्थानों में जहां पर यात्रियों के जाने की काफी सम्भावना है, होटल बनाये जायें और मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे लोगों को प्रोत्साहित करें कि वे इस प्रकार की योजनायें सामने रक्खें और हमारे फाइनेंस कारपोरेशन का पूरा पूरा फायदा उठायें।

भूमि सर्वेक्षण

+

†*६०८. { **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखिल भारतीय स्तर पर क्रमबद्ध रूप से भूमि का सर्वेक्षण करने का काम हाथ में लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण करने की कोई प्रस्थापना है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५८ से जून १९६० के अन्त तक अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत ८८.४६ एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया गया ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : क्षेत्रों के सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप किस-किस तरह की भूमि मिली तथा प्रत्येक राज्य की भूमि में कितना अन्तर है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : भारतीय भूमि मुख्यतः तीन भागों में बांटी गई है—उत्तर की कछार भूमि, जिसका सर्वेक्षण नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में किया जाता है, काली मिट्टी, जिसका सर्वेक्षण नागपुर में किया जाता है और लाल तथा लैटराइट मिट्टी है, जिसका सर्वेक्षण खड़गपुर तथा बंगलौर में किया जाता है । जो परीक्षण किये जाते हैं वे मूल तथा व्यवहारिक होते हैं जो उत्पादन शक्ति, नाली व्यवस्था, क्षारीयता, कटाव आदि के बारे में होते हैं । भूमि का सर्वेक्षण करना होता है और नक्शा बनाना होता है । यह सब किया जा रहा है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार को यह मालूम है कि एक विशिष्ट राज्य की भूमि बहुत उपजाऊ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हो सकता है ।

†**श्री राधा रमण** : किस राज्य की भूमि सब से अच्छी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम ऐसी सामान्य बातें नहीं कह सकते । जहां तक मुझे पता है, आंध्र डेल्टा की भूमि भारत भर में सब से उपजाऊ है ।

†**सेठ गोविन्द दास** : जहां तक इस जांच का सम्बन्ध है, यह जांच किन किन राज्यों में अब तक हुई है और क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है वहां बस्तर और सरगोजा इत्यादि में बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है अब भी, और क्या वहां कोई जांच करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको करेंगे । जिस जिस जगह अभी हमने नहीं किया है, वहां पर इसको किया जा सकता है ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो सायल इरोजन है यह खेती की सबसे बड़ी दुश्मन है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सायल सर्वे में सरकार ने कोई आंकड़े रक्खे हैं कि देश में कितना सायल इरोजन है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : सायल इरोजन दूसरी चीज है, यह सवाल सालय टेस्टिंग का है ।

श्री विभूति मिश्र : सायल सर्वे में सायल इरोजन भी आता है । सायल इरोजन जो है वह खेती की सबसे बड़ी दुश्मन है, और गांधी जी ने भी लिखा है कि सायल इरोजन जिस कंट्री में हो वह कंट्री बरबाद हो जायेगा । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई आंकड़े हैं कि हमारे देश में सायल इरोजन कितना है ।

श्री स० का० पाटिल : मैं सहमत हूं कि सायल इरोजन बहुत बड़ी चीज है और बड़ी ही खतरनाक है, और इसका इलाज करना चाहिये । लेकिन वह सायल टेस्टिंग से नहीं होता है, उसका दूसारा इलाज है, इसके लिये सायल कंसोलिडेशन करना चाहिये, कंटूर बंडिंग

---

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहिये । यह चीज हमारे क्षेत्र में आती है और इरिगेशन ऐंड पावर के क्षेत्र में भी आती है । लेकिन यह सवाल जो है वह सायल टेस्टिंग का है, और हमने कोशिश की है कि हर एक प्रान्त में एक ऐसी लैब हो क्योंकि इस प्रकार की सायल टेस्टिंग लेबोरेटरी में ही हो सकती है, और बहुत से प्रान्तों में वह बन गई है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या राज्यवार कोई क्रमबद्ध सर्वेशण किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या वह क्रमबद्ध सर्वेक्षण, महाराष्ट्र में कि जा रहा है

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैंने पहले बताया था कि भारतीय भूमि तीन वर्गों में बांट दी गयी है—गंगा के मैदान की कछार भूमि, कपास के मतलब की काली भूमि और लाल तथा लैटराइट भूमि। तीन प्रकार की भूमि के परीक्षण के लिये केन्द्र हैं, कछार भूमि के लिये नई दिल्ली, कपास की काली मिट्टी के लिये नागपुर और लाल तथा लैटराइट मिट्टी के लिये बंगलौर तथा खड़गपुर ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री इतना और बढ़ा सकते हैं कि नागपुर महाराष्ट्र में है ।

†**श्री रंगा** : माननीय मंत्री ने अभी हाल बताया कि आंध्र की काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है । किन्तु उसका परीक्षण करने का केन्द्र नागपुर में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे किसी अन्य अवसर पर अपनी बात कहें ।

†**श्री गोरे** : क्या उर्वरकों के वितरण के समय सर्वेक्षण के परिणामों का ध्यान रखा जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैंने पहले बताया था कि इन भूमियों की उत्पादन शक्ति, नाली व्यवस्था, क्षारीयता, कटाव आदि के सम्बन्ध में परीक्षा की जाती है,। उर्वरकों का वितरण करते समय, सिंचाई का मुख्य ध्यान रखा जाता है क्योंकि उर्वरकों की अधिकांशतः वहीं आवश्यकता पड़ती है जहां सिंचाई की सुविधायें होती हैं ।

†**श्री गोरे** : इस प्रश्न के पूछने में मेरा अभिप्रा यह था कि किसी भूमि के लिए दूसरे प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता होती है और सब उर्वरक सभी भूमियों के लिये उपयुक्त नहीं होते । अतः उर्वरक देते समय तथा उर्वरक कारखाने स्थापित करते समय क्या इसका ध्यान रखा जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह सब जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि होती है और उर्वरक भिन्न-भिन्न किस्म के होते हैं। अतः जब राज्य उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में अपनी योजनायें भेजते हैं तो वे हमेशा इसका उल्लेख कर देते हैं कि उन्हें किस प्रकार के उर्वरक चाहिएं। यह बड़े सुचारू रूप से चल रहा है।

†**श्री राजा रामण** : क्या यह सर्वेक्षण उस भूमि को कृषि योग्य बनाने में सहायक होगा जिसको अभी कृषि योग्य नहीं बनाया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : नहीं, श्रीकान्। इसका भूमि को कृषि योग्य बनाने से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वह एक दम दूसरी समस्या है । यह केवल इससे संबंधित है कि किस प्रकार की भूमि है, वहां कौन कौन सी फसल हो सकती हैं और उनके लिए किस प्रकार के उर्वरक चाहिए । अतः वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आचार : पश्चिम तट की भूमि किस प्रकार की है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इसकी भूमि लाल तथा लैटराइट है जिसका परीक्षण केन्द्र बंगलौर में है ।

†श्री कुन्हन : क्या द्वितीय योजना में केरल में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : केरल की भूमि लाल तथा लैटराइट है जिसका परीक्षण केन्द्र खड़गपुर तथा बंगलौर में है ।

उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय यातायात

†*६०६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामी रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के अन्तर्राज्यीय यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है और बहुत शीघ्र फैसला किया जायगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वर्तमान नीति के अन्तर्गत दूसरे राज्य को उर्वरक भेजने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस समय उर्वरकों के यातायात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस आशय की बहुत सी शिकायतें हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में उर्वरकों का कुछ तस्कर व्यापार होता है ; कृषि मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में मंत्रियों ने एकमत से अनुभव किया कि इसे रोका जाना चाहिये । उसे ध्यान में रखते हुये हम यह कार्रवाई कर रहे हैं कि उर्वरकों के यातायात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाएं ।

†श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या उड़ीसा की राज्य सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि आंध्र में बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों का तस्कर व्यापार होता है और वह चोर बाजारी में बेचे जाते हैं और यदि हां, तो इस बात के लिये क्या कार्रवाई की गई है कि जब उड़ीसा को उर्वरक मिलें, तो वह चोरी छिपे आंध्र में न ले जाया जा सके ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जी, हां । हमें प्रतिवेदन मिला है । परन्तु प्रश्न यह है कि किसी प्रकार के विधान के द्वारा हम अन्तर्राज्यिक यातायात को रोकने का विचार कर रहे थे और जब हम यह कर रहे थे मद्रास ने हम से यह प्रार्थना की कि यह केवल अन्तर्राज्यिक यातायात तक ही सीमित न रखा जाए परन्तु इसका क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से इस के अन्दर अन्तर्जिला यातायात भी आना चाहिये । इसी कारण विधान में विलंब हो गया है । परन्तु मैं यह भी कह दूं कि जिस प्रकार उड़ीसा के उर्वरक बाहर जा कर

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र में चोर बाजारी में बिकते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है—उस में कुछ सचाई है—आंध्र से बाहर उर्वरक जाने तथा चोर बाजारी में बिकने की कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वहां के लोग उर्वरक का लाभ समझते हैं।

†श्री तंगामणि : जब उर्वरक विभिन्न राज्यों को आवंटित किये जाते हैं, वे विभिन्न राज्यों के लिये कुछ मात्राओं में आवंटित किये जाते हैं। जब विभिन्न राज्यों के आधार पर आवंटित किया जाता है और उर्वरक सिन्दरी से भेजे जाते हैं या आयात किये जाते हैं तो क्या सरकार के राज्य सरकारों के द्वारा उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना संभव नहीं होगा ?

†श्री स० का० पाटिल : हम वह प्रतिबन्ध कर रहे हैं, परन्तु वह कुछ अप्रभावी सिद्ध होता है क्योंकि उर्वरकों के यातायात पर पाबंदी नहीं है और यह चोर बाजारी में जा सकता है। यह बात कि यह चोर बाजारी में खरीदा गया है, आदि ऐसा तथ्य है, जो कोई नहीं जानता जब तक कि एक राज्य के दूसरे राज्य में इस के यातायात को रोकने के लिये विधान नहीं बनाया जाता।

†श्री वाजपेयी : क्या सब राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि उर्वरकों के अन्तर्जिला यातायात को रोक दिया जाना चाहिये ?

†श्री स० का० पाटिल : मैं ने अभी सभा को बताया है कि मद्रास राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया है। हम अन्य सरकारों का भी मत प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु अन्तर्जिला यातायात पर प्रतिबन्ध लगाना कठिन होगा क्योंकि यह उसी राज्य के अन्दर होता है और कभी कभी सरकार भी इसे ले जाना चाहेगी तथा कृषकों के खेत दूसरे स्थानों पर भी हो सकते हैं। हम इस के विधि संबंधी परिणामों पर विचार कर रहे हैं।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जैसा कि माननीय मंत्री ने खाद्यान्नों के बारे में योजना बनाई है उसी प्रकार उर्वरकों का विशाल भंडार बना कर भारत में उर्वरकों की स्थिति को ठीक करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

†श्री स० का० पाटिल : हम उर्वरक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। संभवतः कृषि के बारे में यह सर्वाधिक प्राथमिकता का मामला है। एक ओर हम प्रायः प्रत्येक राज्य में उर्वरक फैक्टरियां बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम सब साधनों को जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम तब तक उर्वरकों का आयात करते रहें जब तक कि हम स्वयं उर्वरक तैयार न कर सकें।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सरकार को उड़ीसा के समान उर्वरकों के तस्कर व्यापार के बारे में दूसरे राज्यों से कोई दूसरी शिकायत मिली है ?

†श्री स० का० पाटिल : यदि माननीय सदस्य अपने बड़े राज्य का उल्लेख कर रहे हैं, तो कभी कभी शिकायतें आती हैं क्योंकि मैं केवल कहने के लिये नहीं कह रहा, परन्तु अनुभव यह है कि जितना दक्षिणी राज्य उस के लाभ को समझ सके हैं उत्तरी राज्यों ने अभी इसका पूर्ण मात्रा में लाभ नहीं समझा है। यह सचाई है किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में वे इसका लाभ समझेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हर राज्य में एक एक फरटीलाइजर फैक्टरी हो । क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह की फैक्टरी बनाने की चर्चा चल रही है। इस सम्बन्ध में अब तक कोई फैसला हुआ है या नहीं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं ठीक से नहीं जानता परन्तु कच्चा माल वहां अवश्य होना चाहिये । जैसा कि मैं कहता हूं कि जहां नदियां नहीं हैं वहां सिंचाई के बांध नहीं बनाये जा सकते उसी प्रकार जहां कच्चा माल अर्थात कोयला या लिग्नाइट या गैस न हो वहां उर्वरक फैक्टरियां भी स्थापित नहीं की जा सकतीं। मुझे मध्य प्रदेश के बारे में पता नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी जांच कर के यह रिपोर्ट भेजी है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की फैक्टरी बनायी जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्तर्राज्यिक यातायात का प्रश्न फैक्टरियां स्थापित होने के बाद आता है और इसलिये उन्होंने प्रश्न पूछा है। परन्तु मैं इसकी अनुमति नहीं देता । एक प्रश्न के अन्तर्गत प्रत्येक विषय को लाने का कोई प्रयोजन नहीं है । यह प्रश्न अन्तर्राज्यिक यातायात के बारे में है और उर्वरक फैक्टरियों की स्थापना के बारे में नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : उन्होंने खुद ने कहा था कि हर राज्य में इस प्रकार की फैक्टरी स्थापित करने का प्रयत्न किया जाएगा। तब मैं ने यह प्रश्न किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, परन्तु इसका इस से कोई संबंध नहीं हैं ।

सेफ डिपाजिट लाकर

†*६११. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर 'सेफ डिपाजिट लाकर' लगाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने स्टेशनों पर ऐसे 'लाकर' लगाये जा चुके हैं ; और

(ग) प्रत्येक स्टेशन पर कितने 'लाकर' लगाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार चुने हुए बड़े स्टेशनों पर सेफ डिपाजिट लाकर लगाने का विचार है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) छः स्टेशन ।

(ग) बम्बई वी० टी० और हावड़ा के अतिरिक्त सभी चुने गये स्टेशनों पर छः लाकरों की एक इकाई होगी और बम्बई तथा हावड़ा पर ३–३ इकाईयां होंगी (जो १८ लाकरों के बराबर होंगी) और स्यालदह में दो इकाइयां (१२ लाकरों के बराबर) होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रा० व० माझी** : विवरण में दिये गये अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सेफ डिपाज़िट लाकर कब तक लगा दिये जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा कि मैं ने पहले बताया है, विभिन्न स्थानों पर लाकर स्थापित कर दिये गये हैं। दूसरे स्टेशनों के लिये हम आर्डर दे रहे हैं और ज्यों ही लाकर आ जायेंगे वे लगा दिये जायेंगे। मुझे आशा है यह एक वर्ष के अन्दर या उस के आस पास कर दिया जाएगा।

†**श्री सावन गुप्त** : सेफ डिपाजिट लाकरों का क्या उद्देश्य है और यात्रियों द्वारा उन के प्रयोग किये जाने के क्या प्रभार होंगे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उद्देश्य है कि यात्रियों के लिये इस सुविधा का प्रबंध किया जाए ताकि वे अपनी मूल्यवान चीजें स्टेशनों पर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ सकें । शुल्क प्रति लाकर ५० नये पैसे है और न्यूनतम शुल्क प्रति दिन का १ रुपया है।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि दक्षिण में केवल चार केन्द्र हैं जहां ये लाकर रखे गये हैं । क्या स्टेशनों पर लाकरों की व्यवस्था करते समय डिवीज़न में कम से कम एक स्टेशन पर, विशेषत: डिवीज़नों के मुख्यालयों पर, लाकरों की व्यवस्था करने का विचार किया जाएगा जब अगली एक वर्ष की अवधि में काम आरंभ होगा।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम यह नया प्रयोग कर रहे हैं। हम देखें कि यह कैसे चलता है और लोगों में प्रचलित होता है । तब यदि आवश्यक हुआ तो हम अन्य स्टेशनों पर भी इस का प्रबन्ध करेंगे ।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या मैं पूछ सकती हूं कि इस तरह के सेफ डिपाजिट लाकर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी, और अगर पड़ी तो ६ स्टेशनों पर ही क्यों लगाए गए और स्टेशनों पर क्यों नहीं लगाए गए ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि मुसाफिरों को यह सहूलियत दी जा सके कि अपनी कीमती चीजों को स्टेशनों पर महफूज जगह में छोड़ सकें । इसको ६ स्टेशनों पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेशनों पर लगाया जा रहा है ।

विशाखापत्तनम में सूखी गोदी

+

†*६१२. { **श्री त० व० विट्ठल राव** :
डा० विजय आनन्द :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में सूखी गोदी बनाने की प्रस्थापना इस समय किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) क्या इस प्रस्थापना के तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रियान्वित किये जाने की कोई संभावना है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूखी गोदी के निर्माण की लागत विदेशी मद्रा लागत समेत, के शोधित तथ आधुनिकतम प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हां। यदि हम परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिये पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त करने में सफल हुये ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : पहले तो यह परियोजना दूसरी योजना में शामिल थी। तब विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण यह छोड़ दी गई और एक "तैरती गोदी" बनायी जानी थी। अब यथार्थ स्थिति क्या है? क्या तीसरी योजना अवधि में इसे पक्की तरह लिया जायेगा या 'तैरती गोदी' बनाई जायेगी। या वह गोदी स्थायी रूप से छोड़ दी गई है ?

†श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल ठीक है कि वह दूसरी योजना में शामिल थी। उनकी यह बात भी ठीक है कि हमें मार्च, १९५८ में विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण इसे छोड़ना पड़ा था। अब हमने इसे तीसरी योजना में शामिल किया है और अभी भी यह स्थिति है कि यह विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है। इस मामले में हमारी गति या कार्रवाई अनिवार्य इस शर्त पर निर्भर है कि हमें कितना वित्त या विदेशी मुद्रा मिलती है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : नौवहन मरम्मत समिति ने भी, जिसने जहाज मरम्मत करने की सुविधाओं के प्रश्न पर विचार किया था, यह सिफारिश की है कि विशाखापत्तनम में एक सूखी गोदी स्थापित की जानी चाहिये। तब भी हिन्दुस्तान शिपयार्ड के डारेक्टरों के बोर्ड के सभापति ने अपने सभापति भाषण में कहा कि यह बहुत आवश्यक है और इसे करना चाहिये। उसे ध्यान में रखते हुये, विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां क्यों बाधक होती हैं ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक परियोजना के महत्व और उपयोग का संबंध है इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। हमारा एक मत है कि यह यथाशीघ्र होना चाहिये। प्रश्न इसके महत्व का नहीं, बल्कि योजना के अन्य परियोजनाओं के मुकाबले में तुलनात्मक महत्व का है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

†श्री राज बहादुर : वर्तमान अनुमान से विदेशी मुद्रा १०७.८ लाख रुपये से कुछ अधिक होगी। कुल २८० लाख रुपये है।

†डा० विजय आनन्द : इसके महत्व की दृष्टि से, क्या वे इस योजना को प्राथमिकता देंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : तीसरी योजना में ।

†श्री राज बहादुर : इसे उचित प्राथमिकता दी जायेगी। यह भी तुलनात्मक प्राथमिकता दिये जाने का मामला है ।

†डा० विजय आनन्द : क्या सरकार को विशाखापत्तनम से निर्यात होने वाले लोह अयस्क की मात्रा का तथा इस बात का ज्ञान है कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये ?

†श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि लोह अयस्क के निर्यात का शिपयार्ड के लिये सूखी गोदी की इस परियोजना से कोई वास्ता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्योंकि भारत के पास कोई बड़ी सूखी गोदी नहीं है हमें सिंगापुर समेत विदेशी मुद्रा में मरम्मतों के लिये अपने जहाजों के लिये सूखी गोदियों के लिये एक वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे आंकड़े एकत्र करने होंगे । मैं जानता हूं कि एक वास्तविक अच्छी बड़ी सूखी गोदी की कमी के कारण, जिसकी हमें इतनी शीघ्र जरूरत है, बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या पिछले दस वर्षों में हमने विदेशों में अपने जहाज के लिये सूखी गोदियों के लिये १२ करोड़ से अधिक रुपये खर्च किये हैं ? २ करोड़ रुपये खर्च करके अपनी सूखी गोदियां हम क्यों नहीं बनाते और लगभग १० करोड़ रुपया बचाते ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : उन्होंने यह कहा है । वास्तव में, मेरे माननीय साथी ने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण काम है । साथ ही प्राथमिकतायें भी हैं और हालांकि हम धन खर्च करेंगे, तो भी प्राथमिकताओं का ध्यान रखना पड़ता है । श्री रघुनाथ सिंह सामान्यतया हिसाब (अरिथमेटिक) के आधार पर कहते हैं । सरकार इस तरीके से काम नहीं करती ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मेरा प्रश्न बहुत सरल है । हमने पिछले १० वर्षों में विदेशों में अपने जहाजों को सूखी गोदियों के लिये १२ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये हैं । हमारी सूखी गोदियों पर केवल २ करोड़ रुपये खर्च होंगे । वह राशि भारत में क्यों खर्च नहीं की जाती ताकि हमारी विदेशी मुद्रा यहां सुरक्षित रहे ?

†**श्री राज बहादुर** : हमें विदेशी मुद्रा संबंधी किये गये आवंटनों का निर्धारण वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा सब प्राथमिकताओं तथा तुलनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुये किया जाता है । मैं इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि यदि संभव हो तो यह तुरन्त किया जाना चाहिये । उसके लिये हमें विदेशी मुद्रा चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : यह कोई उत्तर नहीं । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । प्रश्न माननीय मंत्री से पूछा जाता है । विचार करना और सभा को बताना, कि वह क्योंकर वित्त मंत्री को मनाने में असफल रहा, उसका काम होता है । वित्त मंत्री समूचे चित्र पर विचार करता है । क्या उन्होंने वित्त मंत्री को यह समझाने का प्रयत्न किया कि इसे सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाये ? वे यही पूछना चाहते हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : हम जितनी शक्ति से मना सकते थे और जो तर्क दे सकते थे, हमने उनसे वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को मनाने का प्रयत्न किया है । हमें आशा है कि वे ध्यान में रखेंगे ।

†**श्री त्यागी** : वित्त मंत्रालय या योजना आयोग विदेशी मुद्रा का १२ करोड़ रुपया बचाने को क्यों सहमत नहीं हुये संसद को यह जानने की इच्छा है । सीधा प्रश्न पूछा गया है और मंत्री जी का उत्तर है कि यह उनके मंत्रालय का काम नहीं है । यह निश्चित उत्तर नहीं है ।

†**श्री राज बहादुर** : वह मेरा उत्तर नहीं था ।

†**श्री त्यागी** : २ करोड़ रुपये खर्च करके या लगाकर १२ करोड़ रुपये बचाये जा सकते थे । उन्होंने वह धन खर्च करके बचत क्यों नहीं की ? व्याख्या की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : बात बिल्कुल स्पष्ट है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि यह हमारा काम नहीं है । हमारा बहुत कुछ संबंध है और हमें इसमें पूरी दिलचस्पी है और हम इसे तुरन्त करना चाहेंगे । प्रश्न पूरे वित्त का है । उसके लिये अन्तिम निर्णय योजना आयोग और वित्त मंत्रालय का है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने दोषारोपण के रूप में प्रश्न पूछा है । वास्तव में उनका प्रश्न यह दिखाई देता है कि एक मंत्रालय में प्राथमिक ताओं का विनियमन विशिष्ट मंत्रालय के हाथों में होता है । धन का आवंटन वित्त मंत्रालय के हाथों में है । यदि वह यह कहते हैं कि उनका मनाने का वित्त मंत्रालय पर कोई प्रभाव नहीं, जब तक कि उनको कुल आवंटन २ करोड़ रुपये से कम है—यदि यह उससे अधिक है—तो उन्होंने इसको क्यों सर्वाधिक प्राथमिकता नहीं दी ? यह प्रश्न है ।

†**श्री राज बहादुर** : हमें भी अपने मंत्रालय के अन्दर प्राथमिकताओं के बारे में कुछ निर्णय करने पड़ते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये उन्हें यह नहीं कहना कि उन्होंने सर्वाधिक प्राथमिकता दी है ।

†**श्री राज बहादुर** : टन-भार की प्राप्ति, जहाजों और शिपयार्ड का निर्माण के मुकाबले में सूखी गोदी की प्राथमिकता कुल मिलाकर कम थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा माननीय मंत्री ने यदि वित्त मंत्रालय पर दोष लगाने के स्थान पर यह कहा होता कि कुछ दूसरे मामले इससे अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण उनके अपने मंत्रालय में विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती थी, तो यह सब कष्ट न होता ।

†**श्री त्यागी** : १० करोड़ रुपये की बर्बादी कभी उचित नहीं समझी जा सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरा मामला है इसमें दूसरी चीजें हो सकती हैं ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : ये मामले इतने सरल नहीं हैं जितने वे समझे जा रहे हैं यदि केवल २ करोड़ रुपये खर्च करके १२ करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है, तो मैं नहीं समझता वित्त मंत्रालय इसे अस्वीकार करेगा । परन्तु मामले इतने आशाप्रद नहीं होते जितने वे दिखाए जाते हैं । प्राथमिकताओं का यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है । यदि मैं आज २० करोड़ रुपये खर्च करके ५० करोड़ रुपये बचा सकता हूं, तो मेरे पास अभी खर्च करने को २० करोड़ रुपये होने अनिवार्य हैं । यदि मेरे पास उतनी राशि नहीं है, तो मैं क्या करूं ? तब अवश्य किसी को मेरी सहायता करके उतनी बचत करनी चाहिये । मैं वह करने को तैयार हूं । मैं किसी बात का विनियमन नहीं करता । मैं कह सकता हूं कि ५०० करोड़ रुपये प्रत्येक को उपलब्ध हैं । यही किया जा सकता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये १३ वर्ष बीत चुके हैं । किसी नौवहन नीति की उद्घोषणा नहीं की गई ।

†**श्री रंगा** : जैसा कि आपने ठीक कहा है, यह इससे आता है । क्या यह सच नहीं है कि उस मंत्रालय को नौवहन विकास के लिये एक विशिष्ट आवंटन किया गया है ? उसी उपबन्ध के अन्दर क्या यह निर्णय करना उस मंत्रालय का काम और उत्तरदायित्व नहीं है कि इसे क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिये ? इसलिये वित्त मंत्री को उनकी सहायता के लिये नहीं आना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : हमें स्पष्टीकरण होना चाहिये इसलिये मुझे निश्चय करना होगा कि एक मंत्री के बारे में किन प्रश्नों की अनुमति दूं और किन प्रश्नों की अनुमति न दूं। जहां तक इसका संबंध है, वित्त मंत्री को बिल्कुल दोष नहीं दिया जा सकता। प्रश्न यह है। यदि किसी मामले का किसी विशिष्ट विभाग या कर्त्तव्य से संबंध है, यदि कुल राशि मंजूर नहीं की गई है—मा० मंत्री को कहने का हक है और वित्त मंत्री से कहा जा सकता है कि इस विभाग की सर्वथा उपेक्षा क्यों की गई है। परन्तु यदि कोई आवंटन किया गया है, अब केवल इतना प्रश्न आता है कि उस आवंटन के अन्दर प्रभारी मंत्री को प्राथमिकताओं का निर्धारण करने का हक है। उन्होंने यह क्यों नहीं किया ? यहां यही तो प्रश्न है। अन्यथा, यदि मैं अनुभव करता हूं कि योजना के प्रत्येक पद पर ऐसे सब प्रश्न केवल वित्त मंत्री से पूछे जाने चाहियें, मैं इसके पश्चात् उसका नाम यहां रखूंगा, यदि अन्य सब मंत्री यह कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना है, वित्त मंत्री से पूछा जाये। मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री को उत्तर देना चाहिये या प्रभारी मंत्रियों को।

†डा० प० सुब्बरायन : हमारा कभी भी ऐसी स्थिति पेश करने का इरादा नहीं था, जैसी आपने बताई है। हम अवश्य ही उत्तरदायी हैं।

†अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। मा० उपमंत्री ने कहा है कि वित्त मंत्री से अवश्य पूछा जाये।

†डा० प० सुब्बरायन : आप ने उन्हें गलत समझा है।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

†डा० प० सुब्बरायन : उन्हों ने जो कुछ कहा है वह यह है कि हमें देश की वित्तीय स्थिति के अनुसार कुछ राशि दी जाती है। हम उस राशि को पहली और दूसरी प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटित करते हैं। मेरे साथी का कहने का यह तात्पर्य था कि हमारे पास इस सूखी गोदी से अधिक प्राथमिकताओं वाले काम थे।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं। परन्तु उन्हों ने वित्त मंत्री का उल्लेख किया। वह आसानी से कह सकते थे कि उन्हें किये गये आवंटन के अन्दर वे इसे सर्वाधिक प्राथमिकता देना उचित नहीं समझते क्योंकि उन के अपने मंत्रालय के दूसरे काम हैं जिनसे अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है या और कारण हैं जिन के कारण वे यह प्राथमिकता देते हैं। यदि वित्त मंत्री उतनी राशि देने को तैयार हैं तो वह सर्वाधिक प्राथमिकता देने को तैयार हैं। मैं इसे इस प्रकार समझता हूं।

†श्री राज बहादुर : मुझे इस का खेद है। मैं आप को विश्वास दिला सकता हूं कि यह मेरे मन में भी नहीं था। मैं यह नहीं कहना चाहता था। वास्तव में, मैं ने कभी वित्त मंत्री का नाम नहीं लिया। मैंने केवल इतना कहा था कि अन्य परियोजनाओं की तुलना में प्राथमिकता योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। यह तथ्य है।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस का संबंध है मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से अलग हैं।

†श्री मोरारजी देसाई : वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री अलग नहीं, एक ही हैं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं भी मानता हूं कि वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय भिन्न नहीं एक ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन : मैं ने माननीय मंत्री को यह कहते सुना है कि श्री रघुनाथ सिंह हिसाब के आधार पर चलते हैं और सरकार उस तरीके से नहीं चलती । मैं ठीक से यह समझना चाहता हूं कि इस बात का क्या अर्थ और परिणाम है कि सरकार हिसाब (अरिथमेटिक) के आधार पर नहीं चलती केवल सदस्य हिसाब के आधार पर चलते हैं ।

†डा० प० सुब्बरायन : हिसाब (अरिथमेटिक) का जो मतलब है, वह माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं । मैं ने तो केवल यह कह था कि श्री रघुनाथ सिंह आंकड़ों पर चलते हैं और वह सरकार की नीति को नहीं देखते ।

†श्री रघुनाथ सिंह : तब फिर इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

†डा० प० सुब्बरायन : सरकार की नीति प्राथमिकता देने की है ।

†श्री त्यागी : होटल में जो एक करोड़ से ज्यादा रुपया लगा है, वह इधर लगाया जा सकता था ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को योजना पर सामान्य चर्चा के रूप में परिवर्तित नहीं होने दूंगा । सभी माननीय सदस्यों को समिति की सदस्यता का अवसर दिया गया था और श्री त्यागी एक योजना समिति के सभापति थे । वहां उन्हों ने इस बात की सिफारिश की थी कि इस को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाये । और ऐसा हो भी गया है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : वह उद्योग समिति के सभापति नहीं थे ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने अपना स्थानान्तरण करा लिया होगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : परिवहन मंत्रालय के अधीन किन परियोजनाओं को इस सूखी गोदी पर प्राथमिकता दी गयी है ?

†श्री राज बहादुर : हमें बताया गया है और यह सत्य है कि हमें अपने माल के भाड़े पर विदेशी मुद्रा को बचाना है ताकि नौवहन और जहाज निर्माण को अन्य मामलों से प्राथमिकता दी जा सके और उस के लिये हमें सूखी गोदी की निस्बत टन-भार प्राप्त करने और जहाज बनाने को उच्च प्राथमिकता देनी है ।

प्रशासन का विकेन्द्रीकरण

†*६१४. { +श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रामी रेड्डी :
श्री तंगामणि : }

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) और (ख). मद्रास में २ अक्तूबर, १९६० को ७५ पंचायत संघ परिषदें स्थापित की गयी थीं। मैसूर में ताल्लुक बोर्डों और आसाम में अंचलिक पंचायतों के चुनाव प्रगिति पर हैं। राज्य-विधान मंडल द्वारा हाल ही में पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषदें विधेयक पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधान सभा द्वारा खंड स्तर पर क्षेत्र समितियां बनाने और जिला स्तर पर जिला परिषदें बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है और वह अब विधान परिषद् के सम्मुख है। उड़ीसा में, सरकार ने राज्य भर में एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उडीसा जिला परिषद् अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का फैसला किया है जो वर्ष १९६१ की प्रथम छमाही तक पूरा हो जायेगा और २६-१-१९६१ तक यथा सम्भव अधिकाधिक पंचायत समितियां स्थापित की जायेंगी। केरल ने भी पंचायती राज की ओर प्रथम कदम के रूप में राज्य भर में समान पंचायतें बनाने के लिये एक नया पंचायत विधान लागू किया है। यह आशा की जाती है कि बलवन्त राय मेहता दल द्वारा सुझाये गये तरीकों पर राज्यों के लिये उपयुक्त पंचायती राज्य की योजना के बारे में सिफारिश करने के लिये महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों द्वारा नियुक्त की गयी समितियां शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देंगी।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई तिथि और वर्ष बता सकते हैं जब तक कि भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज लागू हो जायेगा ?

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : हम सोचते हैं कि सारे देश में अगले वर्ष के अन्त तक पंचायत संस्थायें कायम हो जायें।

†श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या यह सच है कि नगर निगम को अधिकार केन्द्रित किये जाने के कारण दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें प्रभावहीन हो गयी हैं।

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक कोई केन्द्रीय प्राधिकार है, पंचायतें बिल्कुल निर्बाध रूप से काम नहीं कर सकतीं।

†श्री तंगामणि : उप मंत्री महोदय ने जिन राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से कितनों में जिला परिषदों के गैर-सरकारी अध्यक्ष हैं और पंचायतों के अप्रत्यक्ष चुनाव के बावजूद, कितनों में पंचायत समिति के लिये प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है ?

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : जैसा मैं बता चुका हूं, सब राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं किया गया है। केवल दो राज्यों, आन्ध्र और राजस्थान में, पंचायती राज लागू किया गया है और आन्ध्र और राजस्थान में गैर-सरकारी अध्यक्ष हैं।

†श्री रघुवीर सहाय : क्या उपमंत्री महोदय को यह पता लगा है कि देश में अभी भी ऐसे राज्य हैं जो लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण को लागू करने में काफी उदासीनता दिखा रहे हैं और इसीलिये उन राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं हुआ है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों को सचेत करने के बारे में कोई पग उठाये जा रहे हैं ताकि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र पंचायती राज लागू किया जा सके।

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : मैं नहीं समझता कि कोई राज्य उदासीनता दिखा रहा है।

†श्री रघुवीर सहाय : उदाहरणतः पश्चिम बंगाल।

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : परन्तु जिसे उदासीनता समझा जा रहा है वह केवल धीमी प्रगति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाल कृष्णन्** : क्या सरकार पंचायतों के प्रशासन में स्थानीय राजनीति और स्थानीय गुटबंदी को न आने देने के लिये किसी कार्यकारी योजना पर विचार कर रही है ताकि पंचायती राज को कार्यकारी बनाया जा सके ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : मैं नहीं समझता कि पंचायती राज लागू होने से वहां पर राजनीतिक या अन्य गुटबन्दी पैदा हो जायेंगे । यदि किसी गांव में गुटबंदी हो जाती है तो स्वभावतः श्री बालकृष्णन् जैसे मित्रों द्वारा उधर ध्यान दिये जाने की जरूरत हो जाती है ।

†**श्री डी० चं० शर्मा** : क्या पंचायतों के चुनावों को राजनीतिक दलों के क्षेत्र से बाहर रखने के बारे में कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । हम ने इस बारे में वाद-विवाद किया था । कुछ माननीय सदस्य निराशावादी थे और कुछ इस के पक्ष में थे । हो सकता है रायों में फर्क हो । परन्तु यह प्रश्न केवल प्रशासन के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी प्रगति के बारे में है । कारण, गांवों और पंचायतों में दखल देने वाले दल आदि, इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री पहाडिया** : प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप, कुछ नये प्रशासक, जिला प्रमुख, और पंचायत समितियों के प्रधान, बनाये जा रहे हैं । क्या दो प्रशासकों में कोई बड़ा अन्तर है और इस आन्दोलन को तेज चलाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : यदि बारीकी से देखा जाये तो प्रमुख और प्रधान को नया प्रशासक नहीं कहा जा सकता । एक पंचायत समिति का प्रधान है और दूसरा जिला परिषद् का प्रधान है । वे निर्वाचित व्यक्ति हैं । अतः वे उस क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक कार्यों के अधिकारी हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने विकेन्द्रीकरण की योजना कब स्वीकार की ? यह इस महीने था या पिछले महीने क्योंकि एक महीने पहले मुझे बताया गया था कि उन्होंने इस योजना को अस्वीकार कर दिया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : मैं प्रश्न के दूसरे भाग से सहमत नहीं हूं । पश्चिमी बंगाल इस बात को देखने का प्रयत्न कर रहा है कि बंगालियों के लिये कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त होगा ।

†**श्री तंगामणि** : अब तक तीन या चार राज्यों में प्राप्त अनुभवों के फलस्वरूप, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह उचित समझती है कि पंचायत संघ प्रधान के अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद् का सदस्य होने के बजाय जिला परिषदों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : जैसा मैं बता चुका हूं, प्रत्येक राज्य का चुनाव का अपना अलग तरीका है । अतः किसी राज्य सरकार को अभी कोई नया सुझाव नहीं दिया जा सकता ।

†**श्री जांगड़े** : ग्राम पंचायतों, खंड स्तर समितियों और जिला परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और महिलाओं का प्रतिनिधिान किस हद तक किया जायेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों के संरक्षण के लिये सब प्रयत्न किये जा रहे हैं । वास्तव में, कुछ राज्यों में जहां अनुसूचित जातियों, अनसूचित आदिम जातियों अथवा महिलाओं के निर्वाचन की कोई सम्भावना नहीं है, नियुक्त सदस्यों से चुने जाने की प्रथा लागू की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सहोदराबाई राय :** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य स्थापित हो गया है या नहीं और यदि अभी तक स्थापित नहीं हुआ है तो कब तक उस के कायम हो जाने की सम्भावना है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** जैसा मैं बता चका हूं मध्य प्रदेश भी अन्य सरकारों के साथ मिल गया है ?

श्रीमती सहोदराबाई राय : हिन्दी में बोलिये ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या सरकार को पता है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति चुन भी लिये जायें या इन ग्राम पंचायतों में ले भी लिये जायें तो भी ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछले वर्गों की दशा बदतर होती जा रही है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** श्री भा० कृ० गायकवाड को यह बात अवश्य मालूम होगी कि जब तक कि किसी जाति के नेता अपनी जाति का ख्याल रखते हैं तब तक उस जाति की हालत नहीं बिगड़ सकती ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बैलों से खींचे जाने वाले उपकरणों क लिए प्रादेशिक अनुसन्धान-व-परीक्षण केंद्र

†*६१०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलों से खींचे जाने वाले उपकरणों के लिये प्रादेशिक अनुसन्धान-व-परीक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं; और

(ग) इन केन्द्रों के वास्तविक कृत्य क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) और (ख). वित्तीय योजना काल में निम्न स्थानों पर चार केन्द्र स्थापित किये गये हैं :

(१) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र)
(२) कोयम्बूटर (दक्षिणी क्षेत्र)
(३) पूना (पश्चिमी क्षेत्र) और
(४) हरिन्घाट, पश्चिमी बंगाल (पूर्वी क्षेत्र)

(ग) इन केन्द्रों के कृत्य निम्नलिखित हैं :

१. प्रदेश में उपलब्ध और प्रयोग में लाये जाने वाले बैलों से खींचे जाने वाले और मनुष्यों द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों का वास्तविक क्षेत्र दशाओं में परीक्षण करना ।

२. यदि आवश्यक हो, तो कृषि कार्यों के लिये जिन के लिये इस समय कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त उपकरणों और मशीनों का विदेशों से आयात करना अथवा देश के अन्य भागों से प्राप्त करना और उनका विकास करना और क्षेत्रीय दशाओं और आवश्यकताओं के लिये उनका परीक्षण करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. केन्द्र में परीक्षित कृषि उपकरणों और मशीनों में परिवर्तन करना अथवा सुधार करना ।

४. सस्ते और अच्छे कृषि उपकरणों और मशीनों के डिजाइन बनाना और श्रम की बचत की व्यवस्था करना ।

५. उपयुक्त कृषि उपकरणों और मशीनों को लागू करना और उन्हें लोक प्रिय बनाना ।

एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिए जेट विमान

†*६१३. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिये और जैट विमानों की खरीद के बारे में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किस किस्म के और किस कम्पनी के बानाये हुए विमान खरीदने की प्रस्थापना है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

ग्राम्य क्षेत्र जल संभरण योजनायें

†*६१५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये ग्राम्य क्षेत्र जल संभरण योजनाओं को कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) देश की समस्त ग्रामीण जनता को पीने का पानी कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन ग्राम्य क्षेत्र जल संभरण और स्वच्छता योजनाओं के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के भुगतान के लियें वर्ष १९६०–६१ के लिये १४६.५० लाख रुपये की रकम आवंटित की गई है । संघ राज्य क्षेत्रों में जल संभरण योजनाओं (शहरी और ग्राम्य दोनों) पर व्यय के लिये वर्ष १९६०–६१ के लिये आयव्ययक अनुदान में भी ३४ लाख रुपये की व्यवस्था है ।

वर्ष १९६१–६२ के लिये व्यवस्था अभी की जानी है ।

(ख) इस कार्य के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के लिए बृहद् योजना

†*६१६. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री गोरे :
श्री दामानी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का सुसम्बद्ध विकास करने के लिये बृहद् योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है और इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पोचमपाद परियोजना

†*६१७. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोचमपाद परियोजना के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की आपत्तियों को इस बीच निपटा दिया गया है;

(ख) क्या इस बीच आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच बातचीत हुई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को इस वार्तालाप की रिपोर्ट मिल गयी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार, योजना आयोग और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) बातचीत हुई थी, परन्तु वह अन्तिम नहीं थी ।

(ग) अभी तक कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था

†*६१८. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के विभिन्न पदों का कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल पदों के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया ;

(ख) क्या दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन पदों का वर्गीकरण करने के लिये एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दूसरे वेतन आयोग की सिफारशों पर भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन दरें १-७-१९५९ से लागू हो गयी हैं । सरकार संस्था और कार्य को देखते हुए यह नहीं समझती कि इन कर्मचारियों के वर्गीकरण के प्रश्न की जांच करने के लिये किसी न्यायाधिकरण अथवा समिति की कोई आवश्यकता है ।

नौवहन भाड़ा दर

†*६१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान और ब्रिटेन की नौवहन कम्पनियों ने कोलम्बो (श्रीलंका) तक के भाड़े के अधिभार (सरचार्ज) में कमी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, हां । पत्तन स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप, ब्रिटेन/महाद्वीप/कोलम्बो और जापान/कोलम्बो व्यापार करने वाली नौवहन कम्पनियों ने हाल ही में कोलम्बो (श्रीलंका) को माल के वहन पर भाड़े के अधिभार (सरचार्ज) में कमी करने की घोषणा की है ।

(ख) अधिभार में कमी करने का फैसला सम्बन्धित नौवहन कम्पनियों द्वारा किया गया और भारतीय नौवहन कम्पनियां जो ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं, इस फैसले को मानेंगी ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां

*६२०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** :
श्री जीनचन्द्रन् :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के निर्माण पर नियंत्रण करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिन के कारण इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां । आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधों के निर्माण पर प्रयोग किये जा सकने वाले नियामक उपायों का प्रश्न सरकार के परीक्षणाधीन है ।

(ख) वे मुख्य परिस्थितियां जिन के कारण इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है इस प्रकार हैं :—

१. यद्यपि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषध उद्योग में पर्याप्त विकास हुआ है तथापि जनसाधारण को इन औषधों से धोखा हो जाता है। आयुर्वेदिक औषधों में अपमिश्रण की सूचनायें मिली हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी म

२. आयुर्वेदिक अथवा यूनानी संयोगांग वाले और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में आने वाले औषधों को मिला कर मिश्रित औषधियां निर्माण करने तथा उन को ऐसे नाम दे कर जिस से उन को आयुर्वेदिक अथवा यूनानी होने की भ्रान्ति पैदा हो, बाजार में बेचने की प्रवृत्ति ।

३. बिना यह निश्चय किये हुए कि इन इंजैक्शनों में प्रयुक्त औषधियां बन्ध्य ज्वर-जन रहित तथा विष रहित हैं, आयुर्वेदिक इंजैक्शनों को बेचने की वत्ति ।

डाक तथा तार विभाग के स्वयं सेवक

†*६२१. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री हाल्दर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कलकत्ता डिवीजन के डाक घरों के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उन स्वयंसेवकों से, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान काम किया था, नौकरियों के लिये आवेदन पत्र मांगे हैं; और

(ख) क्या इस मामले में भर्ती सम्बन्धी सामान्य नियमों का अधित्याग कर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) उन के हित में सामान्य नियमों में कुछ छूट दी गई है ।

विजयवाड़ा से विमान सम्पर्क

†*६२२. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में विजयवाड़ा का अन्य शहरों से विमान सम्पर्क स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच की है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बताया है कि उन्हें आंध्र प्रदेश में विमान-सम्पर्क केन्द्रों के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को बता दिया है कि जब तक राज्य सरकार इस सेवा को राज्य सहायता नहीं देती, वे इस को नहीं चला सकते ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता कार्यालय से धन-राशि का गुम होना

†*६२ { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अगाड़ी :
श्री तुगन्धि :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, कलकत्ता के मुख्य कार्यालय

†मूल अंग्रेजी में

से १ लाख रुपया गुम हो गया है और २५ अक्तूबर, १९६० को इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक इस बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने २४ अक्तूबर, १९६० की सांयकाल कलकत्ता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि कलकत्ते में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के क्षेत्रीय सदरमुकाम से लगभग १.४७ लाख रुपये गुम हो गये हैं।

(ख) और (ग). अभी जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

राष्ट्रीय उष्ण प्रदेशीय ऋतु-विज्ञान संस्था

†*६२४. श्री आचार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार निकट भविष्य में एक उष्ण प्रदेशीय ऋतु-विज्ञान संस्था खोलने का है ;

(ख) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग के अधीन एक उष्ण प्रदेशीय ऋतु-विज्ञान संस्था स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) और (ग). अभी योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इस समय अनुमानित लागत और स्थान के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि सूचना बोर्ड[1]

†*६२५. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि सूचना बोर्ड की स्थापना करने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे सम्भवतः कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). देश में कृषि सम्बन्धी दृष्टिकोण का विकास करने के लिये एक राष्ट्रीय राज्य कृषि सूचना बोर्ड स्थापित किया गया है जिसके खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के सचिव अध्यक्ष हैं, खाद्य विभाग के सचिव और राज्य कृषि सचिव सदस्य हैं और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यकीय

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Agricultural Intelligence Board.

परामर्शदाता सदस्य-सचिव हैं। यह बोर्ड शीघ्र और शुद्ध मूल आंकड़ों में सुधार करने, आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण का विश्लेषण करने और कृषि सूचना को फैलाने के लिये एक परामर्शदात्री निकाय है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एशियाई राजपथ

†*६२६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के किसी अभिकरण की सहायता से एशियाई राजपथ बनाने के लिये एशिया और सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) राजपथ का निर्माण कहां किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). विश्लेषज्ञ कार्यकारी दल द्वारा अपने नवम्बर–दिसम्बर, १९५९ के प्रथम सत्र में सिफारिश किये गये भारत को लागू होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय राजपथ और उनके विकास के लिये सुझाये गये मानस्तर सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं। प्रत्येक देश की निधि और यातायात की अवस्था देखते हुए अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों का विकास करना है। राजपथों के विकास के लिये विभिन्न देशों को सामान, मशीनें, उपकरणों और विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप से सहायता देने का प्रस्ताव एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग सचिवालय में विचाराधीन है।

(ग) भारत में पड़ने वाले स्वीकृत मार्गों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२।]**

कुर्दुवादी-मिराज-लटूर लाइन

†*६२७. **श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कुर्दुवादी–मिराज–लटूर के छोटी लाइन के सैक्शन को बड़ी लाइन अथवा मीटर लाइन में परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निश्चय का स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस बारे में कब निश्चय किये जाने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की ब्यौरेवार जांच की जा रही है और यथासंभव शीघ्र एक अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य उपकर का आरोपण

†*६२८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने केन्द्रीयस्वास्थ्य परिषद् के इस सुझाव का विरोध किया है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम के विस्तार के लिये धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य उपकर लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निश्चय किया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अपनी अक्तूबर, १६६० में हुई बैठक में विचार किया और यह सिफारिश की कि विभिन्न राज्यों में, जैसा सम्बन्धित राज्य उपयुक्त समझे, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिये अतिरिक्त संसाधनों को ढूंढने और प्रोत्साहन देने के लिये मार्गोपाय जारी रखे जायें ।

इस सिफारिश को आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकरों के पास भेज दिया गया है ।

कनाडा से गेहूं का आयात

†*६२६. श्री रामी रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के आयात के लिये कनाडा के साथ कोई समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने गेहूं का आयात किया जायेगा और उसका मूल्य क्या होगा ;

(ग) क्या इस के आयात के लिये कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) इसकी अदायगी किस प्रकार किये जाने का विचार है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ). कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा सरकार ने वर्ष १६६०–६१ के लिये कनाडा का गेहूं खरीदने के लिये ७० लाख डालर का अनुदान आवंटित किया है जिसे भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है । इस ७० लाख डालर की रकम से लगभग १ लाख टन गेहूं खरीदे जाने की आशा है । यह मात्रा नवम्बर, १६६० से मार्च, १६६१ तक भेजे जाने की आशा है । क्योंकि यह कोलम्बो योजना के अधीन एक अनुदान है, इसके भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिलिंगडन अस्पताल

†*६३०. श्री अ० मु० तारिक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिलिंगडन अस्पताल से सम्बद्ध डिस्पैन्सरियों द्वारा जितने रोगियों को इस अस्पताल के विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, उन्हें देखने के लिये इस अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस प्रकार भेजे गये रोगियों को अपनी बारी आने तक इस अस्पताल में घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस अस्पताल के डाक्टरों आदि की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ताकि रोगियों को इतनी इतनी देर तक इन्तजार न करनी पड़े?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) विलिंगडन अस्पताल से सम्बद्ध डिस्पेंसरियों द्वारा यहां भेजे जाने वाले रोगियों को देखने के लिये विभिन्न विशेषज्ञ विभागों में कर्मचारियों की संख्या गत दो वर्षों में पर्याप्त बढ़ा दी गयी है और इस समय उनकी संख्या अपर्याप्त नहीं समझी जाती ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फिलहाल केवल दन्त विभाग के लिये ही जूनियर स्टाफ सर्जन का एक स्थान मंजूर करने का विचार है।

रेलवे द्वारा इस्पात का परिवहन

†*६३१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इस्पात उद्योग सम्बन्धी कच्चे पदार्थ समिति के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चे पदार्थों के परिवहन के सिलसिले में इस्पात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस बात का खाद्यान्न के परिवहन पर पड़ने वाले असर के बारे में विचार किया है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस्पात उद्योग के लिये लौह अयस्क तथा अन्य कच्ची सामग्री के उत्पादन, संभरण और परिवहन सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि इसका परिवहन कार्य अत्यधिक प्राथमिकता के अधीन चलाया जाये। रेलवे मंत्रालय द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) इस्पात कारखानों के लिये अपेक्षित कच्ची सामग्री के परिवहन का खाद्यान्नों के परिवहन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस्पात का सामान तो खुले डिब्बों में जाता है जबकि खाद्यान्न बन्द माल डिब्बों में जाता है।

मद्रास पत्तन

†*६३२. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन का नया यंत्रीकृत अयस्क लांगल-स्थान[1] २८ सितम्बर, १९६० से चालू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयी है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष निर्यात तथा आयात में अनुमानतः कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mechanised Ore Berth.

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

(क) जी हां।

(ख) केवल लांगल-स्थान पर ही ६४·७० लाख रुपयों की पूंजीगत लागत आयी है और अभी तक लगाये जा चुके यांत्रिक उपकरणों पर कुल ६५ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) यांत्रिक अयस्क 'बर्थ' मुख्यतया लौह अयस्क के निर्यात के लिये है और गौण रूप से वह उपलब्ध होने पर आयात/निर्यात व्यापार के लिये एक सामान्य सामान बर्थ के रूपमें इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले वर्ष मद्रास पत्तन पर साधारण रूप से मजदूरों के द्वारा ५ लाख टन लौह अयस्क को लादा या उतारा गया था। इस नये यांत्रिक बर्थ में प्रतिवर्ष दो शिफ्टों के आधार पर १२ लाख टन लौह अयस्क के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है। परन्तु फिर भी इसके लादी या उतारी जा सकने वाली लौह अयस्क की वास्तविक मात्रा (१) राज्य व्यापार निगम द्वारा अपेक्षित मात्रा में लौह अयस्क के परिवहन के लिये रेलवे को किये जाने वाले प्रस्ताव और (२) उस आर्डर के अनुसार लौह अयस्क को पत्तन तक ले जाने की क्षमता पर निर्भर करती है। रेलवे ने १ जुलाई, १९६० से ३० जून, १९६१ तक की अवधि में लगभग ९ लाख टन लौह अयस्क लाने और ले जाने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। १ अप्रैल, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक सात महीनों में पत्तन न्यास वास्तव में २¼ लाख टन लौह अयस्क के लादने उतारने का कार्य कर चुका है। चालू वर्ष में इस बर्थ से लौह अयस्क के कुल निर्यात के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

क्षय-रोग नियंत्रण

†*६३३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री जीनचन्द्रन् :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों और उसे क्रियान्वित करने में प्राप्त सफलताओं में भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कुछ पहलुओं में प्राप्त सफलतायें निर्धारित लक्ष्यों से कम रह गयी हैं।

(ख) इसके मुख्य कारण ये थे—(१) राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं की कार्यान्विति में सुस्ती (२) प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धि में कमी (३) एक्स-रे तथा अन्य प्रकार के उपकरणों की प्राप्ति में कठिनाइयां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अक्तूबर, १९६० में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक में उक्त कारणों पर विचार किया गया था और इस सम्बन्ध में विचार करने और कार्य को प्रगति देने के बारे में सुझाव देने के लिये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गयी है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के टोकन कार्ड

†*६३४. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के टोकन कार्डों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का उल्लेख होने के कारण, रोगियों को दवाइयां उनके वेतन-क्रमों के अनुसार दी जाती हैं जिससे वर्ग भेद उत्पन्न हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे सुरक्षा बल

†१०९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९६० को उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीज़न में रेलवे सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी थे ;

(ख) प्रत्येक डिवीज़न में उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों के हैं ; और

(ग) १९५९–६० में प्रत्येक डिवीज़न में उक्त रेलवे सुरक्षा बल के संभरण पर कुल कितना खर्च आया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]**

रेलवे में चोरियां

†११००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अभी तक पूर्व, दक्षिण, मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों में चोरियों के कुल कितने मामले हुए हैं ;

(ख) इससे लगभग कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) से (ग). जानकारी निम्नलिखित है :—

रेलवे	चोरियों के मामले	प्राक्कलित हानि	दण्डित व्यक्ति	
			रेलवे कर्मचारी	बाहिर के व्यक्ति
		रुपये		
मध्य .	६,५१६	५,५६,१३३	५	१०८
पूर्व .	११,६६६	११,२४,६६५	२	२७
दक्षिण-पूर्व .	*४७०	४,१४,८५०	२६	८८
दक्षिण .	६,५८२	१,४६,४५७	७	३३३

*इसमें डिब्बों तथा बिजली के सामान की चोरियों की संख्या सम्मिलित नहीं है। वह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

चीनी का उत्पादन

†११०१. **श्री मुरारका :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १६६०–६१ में चीनी का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में वास्तव में कितना लक्ष्य पूरा किया गया था, उसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये इस सम्बन्ध में कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अभी तक वास्तव में कितना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, इसके लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य पूर्ति से यदि कोई कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) नवम्बर से अक्तूबर तक की उक्त अवधि में ११·१६ लाख टन का उत्पादन किया गया था।

(ख) और (ग).]

	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य पूर्ति
प्रथम पंचवर्षीय योजना	१८ लाख टन	१८·६२ लाख टन (१६५५–५६)
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२२·५० लाख टन	२४·२२ लाख टन (१६५६–६०)

†मूल अंग्रेजी में

चीनी उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है, इसलिये धन राशि के आवंटन का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न राज्यों की सहकारी चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिये ५ करोड़ रुपयों की सहायता की व्यवस्था की गयी है। इसमें से २·३५ करोड़ रुपये ३१ मार्च, १९६० तक मंजूर किये जा चुके हैं। यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी थी, तथापि उस काल में सहकारी चीनी फैक्टिरियों की स्थापना के लिये १ करोड़ ८० लाख रुपये मंजूर किये गये थे।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक तथा तार घर

११०२. श्री हेम राज: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १९६० तक पंजाब में (ज़िलावार) कितने डाकघर तथा तारघर खोले गये ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल की समाप्ति तक पंजाब में कितने डाक तथा तारघर खोलने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज्य बहादुर) : (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ख) (१) डाकघर—१७४

(२) तारघर—२४

संघ राज्य-क्षेत्रों के अस्पतालों में नर्सें

११०३. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में कितने विदेशी डाक्टर (पुरुष और महिलायें) और नर्सें काम कर रही हैं ;

(ख) इन में से कितने डाक्टर और नर्सें ईसाई धर्मप्रचारक संघों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या कुछ और विदेशी डाक्टरों और नर्सों को भारत को आने की अनुमति दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

स्टेशनों के नामों में परिवर्तन

†**११०४. श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों के नाम बदल दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के क्या क्या नाम हैं और उन के नये नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि बर्धमान नगर स्टेशन का नाम बरद्वान कर दिया गया है ;

(घ) क्या इस का नाम भी बदल दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार इस का नाम बरद्वान से बर्धमान कर देने के सम्बन्ध में विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५**]

(ग) जी हां, केवल अंग्रेजी में ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने में रेलवे प्रशासन सामान्य रूप से राज्य सरकारों के विचार को सदा ध्यान में रखता है और पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया है ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में रेलवे की आउट एजेंसियां

†**११०५. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी आउट एजेन्सियां स्थापित की गई हैं ; और

(ख) १९६०-६१ की शेष अवधि में कितनी और आउट एजेन्सियां खोलने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पांच ।

(ख) मध्य प्रदेश के २५ स्थानों पर आउट एजेन्सियां स्थापित करने की नई प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं, परन्तु इस समय यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि इन २५ स्थानों पर आउट एजेन्सियां स्थापित की जा सकेंगी या नहीं । संभव है कि इसी वर्ष में अन्य स्थानों पर भी आउट एजेन्सियां खोल दी जायें ।

मध्य रेलवे के प्राथमिक स्कूल

†**११०६. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में कम खर्च वाले कितने प्राथमिक स्कूल हैं ;

(ख) प्रत्येक स्कूल के निर्माण पर कितनी लागत आई है ;

(ग) प्रत्येक स्कूल में कितने विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है ; और

(घ) प्रत्येक स्कूल में कितने शिक्षक काम कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ४९ ।

(ख) लगभग ४००० रुपये ।

(ग) प्रत्येक स्कूल में ५० विद्यार्थियों के लिये व्यवस्था है ।

(घ) एक शिक्षक ।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण योजना

†**११०७. श्री रामी रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता योजना की कार्यान्विति के लिये आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के पुलिवेण्डला ताल्लुक को चुना गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस क्षेत्र में यह योजना कब प्रारम्भ की गई थी ;

(ग) इस क्षेत्र में योजना की कार्यान्विति के लिये कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(घ) योजना की कार्यान्विति में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ङ) १९६०-६१ के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(च) क्या यह सच है कि १९६०-६१ की समाप्ति पर इस योजना को समाप्त कर देने का विचार है ; और यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(छ) १९६०-६१ के अन्त तक कुल निर्धारित राशि में से कितनी राशि खर्च कर दी जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जुलाई, १९५९ में ।

(ग) इस योजना पर कुल अनुमानत: ९·५० लाख रुपयों की लागत आयेगी ।

(घ) प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल २३ ग्रामों में से २२ ग्रामों में कार्य चल रहा है और आशा है कि मार्च, १९६२ तक सम्पूर्ण योजना पूरी हो जायेगी ।

(ङ) से (छ). यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इन के संबंध में फिलहाल भारत सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

भारतीय नौवहन उद्योग के लिये ऋण

११०८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में भारतीय नौवहन उद्योग के विकास के लिये विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना धन उधार लिया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है भारतीय जहाज़रानी के विकास के लिये सिर्फ २४ करोड़ रुपयों की येन विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्राप्त की गई है। यह ऋण १९५८ में जापान के निर्यात/आयात बैंक से लिया गया था। इस में से कुछ राशि जापान से जहाज़ खरीदने में खर्च की गई है । पिछले वर्षों में भारतीय जहाज़ी कम्पनियों ने विभिन्न सूत्रों से जहाज़ खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा का ऋण लेने का प्रबन्ध किया है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और यथाशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायगा ।

रामगंगा नदी परियोजना

११०९. श्री भक्त दर्शन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की परियोजना के विभिन्न चरणों में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उन चरणों पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) (१) **रामगंगा नदी पर पुल निर्माण**—शरकट के निकट रामगंगा नदी पर पूर्वपरिबलित कंक्रीट के पुल का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है। सभी कुओं की खुदाई, चार पायों (पीअर्स) तथा बायें और दायें पीलपाओं (एबटमेंट्स) का निर्माण हो चुका है। कुल मिला कर ७२ प्रतिशत कार्य हो चुका है।

(२) **रामगंगा बांध का भूभौतिकीय सर्वेक्षण एवं अन्य अनुसन्धान कार्य**—प्राथमिक अनुसंधान कार्य पूर्ण हो चुका है। भिन्न भिन्न किस्मों की मिट्टी, सामग्री, इन का उपलब्धि स्थान, तथा बांध के 'सैक्शन' के डिज़ाइन सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

(३) **नालियों का पुनर्प्रतिरूपण एवं विकास**—नई नालियों का निर्माण तथा इटावा ब्रांच, नवाबगंज, गंगई और बनसक सूओं को पुनः बनाने का कार्य हो रहा है।

(ख) सितम्बर, १९६० के अन्त तक १३३·२९ लाख रुपये व्यय हुए।

उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार भवन

१११०. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश परिमण्डल (सर्कल) में डाक तथा तार विभाग के भवनों के निर्माण में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में उक्त परिमण्डल में डाक तथा तार विभाग के भवनों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है ; और

(ग) उक्त भवनों में से प्रत्येक पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रत्येक मद से सम्बन्धित ब्यौरे अनुबन्ध 'क' में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) तथा (ग). अनुबन्ध 'क' में दी गई सूची के अतिरिक्त १९६०–६१ के प्रमुख भवन-निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये गये मद अनुबन्ध 'स' में अनुमानित लागत के ब्यौरे, मौजूदा स्थिति तथा इस वर्ष में उन पर होने वाले संभावित व्यय के साथ दिखाए गए हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

डाक तथा तार घर

१११९. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये वर्ष १९६०–६१ के बजट में अलग-अलग कितनी धन राशि नियत की गई थी ; और

(ख) विभिन्न डाक तथा तार परिमण्डलों (सर्कलों) के लिये प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत इस नियत राशि में से कितनी धन राशि मंजूर की गई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह सूचना इस प्रकार है :—

(१)	डाकघर खोलने के लिये	१० लाख रुपये
(२)	तारघर खोलने के लिए	१६ लाख रुपये
(३)	टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए	४९ लाख रुपये
(४)	सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए	२५ लाख रुपये

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यह सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]

एयर इंडिया इंटरनेशनल के पेम्फलेट

†१११२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल के पेम्फलेटों में से आपत्तिजनक रेखा-चित्र (स्कैच) हटा दिये गये हैं ; और

(ख) क्या वर्तमान पेम्फलेटों का परिचालन रोक दिया गया है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) कारपोरेशन ने यह सूचित किया है कि वे "फुलिशली योअर्स" (Foolishly Yours) नामक पेम्फलेट का पुनरीक्षण कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

लौह अयस्क खानों के लिये रेलवे लाइन

†१११३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परदीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा की दृष्टि से उड़ीसा के तोमका और दैतानी पहाड़ियों की लौह अयस्क खानों का मुख्य लाइन से सम्पर्क बनाने के सम्बन्ध में सुझाव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रेल लाइन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस योजना को योजना आयोग ने रेलवे की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया है। फिर भी उड़ीसा सरकार के इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है कि सुकिन्दा खानों को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिये राज्य सरकार के खर्चे पर एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण कार्य के लिये आदेश दिये जायें।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कटक के लिये जल निस्सारण योजना

†१११४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कटक के लिये जल निस्सारण योजना की कार्यान्विति के लिये कोई योजना तथा प्राक्कलन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के लिये कोई राशि मंजूर की है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ;

(घ) क्या सरकार ने कटक मल प्रवहन योजना के लिये भी कोई राशि मंजूर की है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में (१९५७–५८ से १९५९–६० तक) इस योजना पर ७·५७ लाख रुपये खर्च किये हैं और १९६०–६१ में इस योजना के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता में से ५ लाख रुपये मंजूर किये हैं।

उड़ीसा में सहकारी चीनी फैक्टरी

†१११५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आ.का नामक स्थान पर एक सहकारी चीनी फैक्टरी स्थापित की जा चुकी है ; और

(ख) क्या उस फैक्टरी में अपेक्षित मशीनरी लगा दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्राथमिकता के आधार पर इस सहकारी समिति को मशीनरी संभरित कर देने के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर दिये गये हैं। आशा है कि इस फैक्टरी का उत्पादन कार्य १९६१–६२ के मौसम में प्रारम्भ हो जायेगा।

राष्ट्रीय राजपथ

†१११६. **श्री राजेंद्र सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार के छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और पश्चिमी बंगाल में से होकर आसाम जाने वाली सड़क को एक राष्ट्रीय राजपथ के रूप में घोषित कर देने के सम्बन्ध में कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को और अधिक चौड़ा करने का विचार रखती है जिससे इस पर पर्याप्त मात्रा में यातायात चालू किया जा सके ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर रेलवे के पुल

†१११७. **श्री राजेंद्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के कितने पुलों के सम्बन्ध में यह घोषित किया जा चुका है कि उनकी अवधि समाप्त हो गयी है ; और

(ख) उन पुराने पुलों को गिरा कर नये पुल बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). रेलवे में पुलों की अवधि समाप्ति के सम्बन्ध में घोषणा करने की नीति नहीं है। पुलों के लिये निश्चित रूप से कोई अवधि निर्धारित नहीं है। केवल हालत खराब होने पर ही पुरानों के स्थान पर नये पुल बनाये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर रेलवे पर ४३२ पुलों के कमजोर गार्डरों के स्थान पर नये गार्डर लगाने, १८३ पुलों पर चुनाई का काम पक्का कराने और १०१ पुलों के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और सम्पूर्ण कार्य चालू कर दिये गये हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे की डाक गाड़ियों में वेकुअम ब्रेक

†१११८. **श्री राजेंद्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की डाक गाड़ियों में भी वेकुअम ब्रेक नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेल-सड़क परिवहन में समन्वय

†१११९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कालिका सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी रेल सड़क परिवहन समन्वय समिति ने परिवहन के विभिन्न सामानों विशेषतया रेलवे और सड़क परिवहन में तालमेल रखने तथा उनके भावी विकास के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अधिक समन्वय उत्पन्न करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) समिति ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भूमि तथा जल संसाधन

†११२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि तथा जल सम्बन्धी संसाधनों की पूर्ण क्षमता की उपयोगिता के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल प्रश्न अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). वह रिपोर्ट अभी भी मंत्रालय के विशेषज्ञों के विचाराधीन है। इस रिपोर्ट में भूमि तथा जल संसाधनों के विकास की सम्भावनाओं, खेती करने के अच्छे तरीके अपनाने और कृषि क्षेत्रों में पशु चिकित्सा की अच्छी प्रविधि अपनाने, ढोरों के विकास, वन शास्त्र और मीन क्षेत्रों आदि के बारे में सुझाव दिये गये हैं। यह रिपोर्ट वास्तव में इन संसाधनों के विकास के लिये एक योजना के रूप में नहीं हैं, अपितु इसमें तो केवल उस स्तर का अनुमान लगाया गया है जहां तक कि दीर्घ काल तक इनका विकास किया जा सकता है। इसलिये यदि इस रिपोर्ट में दिये गये निर्णय ठीक भी हों तो भी उन्हें कार्यान्वित करना और अल्पकाल में ही सफलता प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। रिपोर्ट में स्वयं यह सुझाव दिया गया है कि अन्तिम निर्धारित लक्ष्य लगभग ५० वर्षों की अवधि में ही पूरा किया जा सकेगा। अतः रिपोर्ट पर विचार कर लेने के बाद भी इसके निष्कर्षों को इस क्षेत्र के विकास में कई अनुवर्ती योजनाओं के निर्माण में केवल पथ-प्रदर्शक के रूप में ही ध्यान में रखा जा सकेगा।

जनता भोजन सेवा योजना

†**११२१. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य स्टेशनों पर "नई जनता भोजन सेवा" योजना लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : इस योजना को अभी पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं है और इसलिए उसे अन्य स्टेशनों पर लागू करने के मामले पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

तिन्नेवेली-कुमारी अन्तरीप रेलवे लाइन

†**११२२. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने तिन्नेवेली से कुमारी अन्तरीप तक प्रस्तावित रेलवे लाइन के बारे में यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट की छानबीन की है; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क और (ख). रेलवे बोर्ड अभी उस रिपोर्ट की छानबीन कर रहा है।

बीज फार्म

†११२३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४,००० बीज फार्म स्थापित करने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा; और

(ख) बीज वृद्धि योजना सरकार ने कब अपनायी थी **और** अब तक कितना बीज तैयार किया गया और किसानों को बांटा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही वह प्रस्तुत कर दी जायगी ।

अधिक समय तक काम करने की मजूरी का हिसाब लगाना

†**११२४. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कारखानों में कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अधिक समय तक काम करने की मजूरी का हिसाब लगाने में मकान किराया भत्ता शामिल करने के प्रश्न के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है; और

(ग) किस तारीख से उपर्युक्त निर्णय लागू किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

डाक-तार कर्मचारी

†**११२५. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९६० में आम हड़ताल में भाग लेने के कारण डाक-तार विभाग के कितने कर्मचारी अभी निलम्बित हैं; और

(ख) क्या उन्हें निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) ५१ ।

(ख) आर० एम० एस० 'एफ' डिविजन सेन्ट्रल सर्कल नागपुर के ४ पदाधिकारियों को छोड़ कर इन सभी पदाधिकारियों को निर्वाह भत्ता दिया जाता है । इन चार पदाधिकारियों को इसलिए निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया है कि उन्होंने मूल नियम ५३(२) के अधीन आवश्यक घोषणा-पत्र प्रस्तुत नही किया ।

सूरतगढ़ फार्म

†**११२६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में सूरतगढ़ के केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म के उत्पादन की निकासी किस प्रकार की गयी;

(ख) उसे कब बेचा गया और उठा लिया गया; और

(ग) उससे कितनी आमदनी हुई और वह कब प्राप्त हुई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) सूरतगढ़ फार्म के उत्पादन की निकासी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है :—

(१) फार्म के लिए आवश्यक बीच पहले ही सुरक्षित रख लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों की बीज सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं;

(३) शेष और ऐसा अनाज, जो बीज के लायक नहीं होता, उपयोग के लिए राजस्थान सरकार को दे दिया जाता है ।

(४) इसके बाद भी जो बच जाता है वह टेन्डर या सार्वजनिक नीलाम से बेच दिया जाता है ।

पिछले तीन साल में जितनी मात्रा की निकासी हुई उसका विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ख) ज्योंही मांगें इकट्ठी कर ली जाती हैं और विभिन्न राज्यों के बीच नियत कर दी जाती हैं त्योंही बीज बेच दिया जाता है । राज्य कुछ अवधि तक बीज उठाते रहते हैं जो मौसम की हालत, रेलवे के माल डिब्बों का मिलना, परिवहन आदि बातों पर निर्भर होता है । राजस्थान के लिए नियत किये गये बीज के अलावा दूसरा अनाज उठाना भी कुछ समय तक चलता रहता है और यह भी ऊपर उल्लिखित बातों पर निर्भर होता है । बिक्री या नीलाम के द्वारा बेचा जाने वाला अनाज बोली लगाने वाले १५ दिन के अन्दर उठा लेते हैं । पिछले तीन वर्षों में अर्थात प्रत्येक वर्ष दो फसलों के लिए सभी प्रकार के अनाज के सम्बन्ध में प्रस्ताव की वास्तविक तारीखों और विभिन्न दलों द्वारा विभिन्न खेपों के उठाये जाने के बारे में ब्यौरा फार्म के अभिलेखों में उपलब्ध है । यह सब आंकड़े इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगेगी ।

(ग) १६५७–५८ और १६५८–५६ में निम्नलिखित वास्तविक आय हुई :—

१६५७–५८ .	२७१,२७७
१६५८–५६	२,३०१,३७६

ये रकमें राज्य सरकारों के मामले में खातों में लिखापढ़ी करके और दूसरों के सम्बन्ध में भुगतान से वसूल की गयीं । जब कभी विभिन्न प्रकार के अनाज नीलाम या टेन्डर द्वारा बेचे गये तभी ये रकमें प्राप्त की गयीं ।

१६५६–६० में अब तक राज्य सरकारों और दूसरों को १६,५१,००० रुपये का अनाज बेचा गया । अभी पूरी रकम वसूल नहीं की गयी है क्योंकि राज्य सरकारों के मामले में खातों में लिखा-पढ़ी करने में कुछ समय लगता है । अभी लगभग ८,२१,००० रुपये का स्टाक पड़ा हुआ है और उसकी निकासी अभी होनी है । अनुमान है कि सभी अनाजों से इस वर्ष मोटे तौर पर २७,७२,००० रुपये की कुल आमदनी हुई ।

यहां भी, प्रत्येक के मामले में किस किस तारीख को लिखा पढ़ी की गयी और विभिन्न खरीददारों से कब कब रकमें वसूल हुईं इस सम्बन्ध में पूरा पूरा ब्यौरा फार्म के अभिलेखों से इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगेगी ।

सोने के लिये डिब्बे

†११२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री १० अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या २८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ५०० मील से अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों के सोने के लिए तीसरे दर्जे के प्रस्तावित नये ढंग के डिब्बे बनाने के सम्बन्ध में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : अक्तूबर, १९६० के अन्त तक, बड़ी लाइन के लिए १३७ और छोटी लाइन के लिए ५३ डिब्बे बनाये जा चुके हैं। नवम्बर, १९६० में बड़ी लाइन के लिए २५ और छोटी लाइन के लिए २७ डिब्बे बनाये जाने की संभावना है।

भाखड़ा जलाशय में मिट्टी का जमाव

†**११२८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा जलाशय में मिट्टी का जमाव रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासन और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त बोर्ड अन्तिम रूप से बनाने और उसकी अधिसूचना निकालने के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अन्तर्राज्यीय (पंजाब—हिमाचल प्रदेश) भू-संरक्षण समन्वय बोर्ड जो फरवरी, १९६० में बनाया गया था, अभी हाल में निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठित किया गया है :—

हिमाचल प्रदेश प्रशासन

१. लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, हिमाचल प्रदेश . .	अध्यक्ष
२. मुख्य सचिव .	सदस्य
३. विकास आयुक्त . .	सदस्य
४. वित्त सचिव .	सदस्य
५. मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
६. कृषि निदेशक	सदस्य

पंजाब

१. आयोजन आयुक्त अथवा पंजाब सरकार द्वारा मनोनीत कोई अन्य पदाधिकारी	उपाध्यक्ष
२. वित्त सचिव . .	सदस्य
३. कृषि सचिव . .	सदस्य
४. सामान्य प्रबंधक, भाखड़ा बांध	सदस्य
५. मुख्य वन संरक्षक .	सदस्य
६. कृषि निदेशक . .	सदस्य

भारत सरकार

वरिष्ट निदेशक, भू-संरक्षक बोर्ड . .	सदस्य

मिनिकाय प्रकाश-स्तम्भ

†**११२९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन द्वारा भारत को मिनिकाय द्वीप स्थित मिनिकाय प्रकाश-स्तम्भ के विधिवत् हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : ब्रिटेन द्वारा मिनिकाय प्रकाश-स्तम्भ का स्वामित्व भारत को विधिवत् हस्तान्तरित करने के लिए करार का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और वह ब्रिटेन की सरकार को उस पर विचार करने के लिए भेजा जायगा ।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क

११३०. श्री पद्म देव : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क के ऊपर तथा नीचे के भाग कब तक मोटर चलाने योग्य हो जायेंगे ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क के निचले भाग को भाखड़ा-नंगल तक बढ़ाने और उसे सभी मौसमों में यातायात के योग्य बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) शिमला से आगे हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २२—पुरानी सड़क से नीची रखी गयी है । यह सड़क ९६ मील तक (रामपुर से आगे १२ मील) सभी मोटरों व उससे आगे १३१वें मील तक जीप मोटरों के चलने लायक है । इसके बाकी भाग पर विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है । इस नये मार्ग के बनने में चूंकि कुछ समय लगने की सम्भावना है अतः तापरी (१२३/० मील) से पूर्व (१८६/० मील) तक की पुरानी सड़क को, जिस पर खच्चर चलते हैं, जीप मोटर चलाने लायक चौड़ा बनाने का निर्णय किया गया है ।

(ख) नांगल से कीरतपुर के बीच पहले से ही एक सड़क है । कीरतपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से शिमला तक की सड़क का निर्माण हिमाचल प्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल है । इस सड़क के बन जाने से नांगल से शिमला, जो हिन्दुस्तान—तिब्बत सड़क—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २२ पर पड़ता है, के बीच एक सड़क सीधी बन जायगी ।

(ग) सवाल नहीं पैदा होता ।

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़

†**११३१.** { **श्री प्र० के० देव :**
कुमारी मो० वेदकुमारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को दी गयी रूसी मशीनों में, जिन्हें अभी सूरतगढ़ के केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म में काम में लाया जा रहा है; कोई बड़ी खराबी आ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या खराबी है ;

(ग) क्या उसे ठीक किया जा सकता है; और

(घ) इन मशीनों के फुटकर पुर्जों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) आवश्यक फुटकर पुर्जे रूस से मंगाये जाते हैं और सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पशुओं की मृत्यु

†११३२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में छूत के रोगों से जैसे एनथ्राक्स हैमोराजिक सेप्टीकेमिया, ब्लैक क्वार्टर, रिन्डरपेस्ट, पांव और मुंह के रोग तथा अन्य रोगों से कितने पशुओं की मृत्यु हुई, उसका मासिक औसत कितना था या पिछले तीन वर्षों में अलग अलग वार्षिक कितनी मृत्यु हुई; और

(ख) छूत के रोगों के इलाज के लिये राज्यों की सहायता से भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९**] ।

(ख) रोगों को रोकने और इलाज करने के उपाय राज्य सरकार को करना होता है । छूत के रोगों से पशुओं की रक्षा करने के प्रभावशाली तरीके बढ़ाने के लिये भारत सरकार अनुसन्धान योजनाएं प्रस्तुत करती है और चलाती है और अखिल भारतीय आधार पर इन रोगों का सामना करने के लिये राज्यों को सामान्यतया सहायता देती है । उपलब्ध संसाधनों से इस क्षेत्र में यथोचित कार्य किया जा रहा है । आंकड़ों से यह दिखायी पड़ेगा कि सामान्यतया मृत्यु की दर घट रही है ।

जहाज बनाना

†११३३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज बनाने के भ रतीय कारखानों में जहाज तैयार करने के लिये कौन कौन सी विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड और जहाज बनाने वाली दूसरी कम्पनियों के साथ सहकार्य कर रही हैं;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अमरीकी विकास-ऋण निधि तथा ऋण देने वाले अन्य विदेशी अभिकरणों ने जहाज बनाने वाले भारतीय उद्योगों को ऋण दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो कितना और किन करारों के अधीन,

(घ) क्या इस सम्बन्ध में विदेशी सहायता पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ङ). जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०**]

दिल्ली में मकानों की समस्या

†११३४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मकानों की समस्या जमीन की कीमतों में वृद्धि और मकानों की कमी का प्रश्न हल करने की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है; और

(ख) क्या क्षेत्र के विस्तार और कम आय वाले समुदायों को जमीन दिये जाने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). अभी इस विषय पर विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में तापीय संयंत्र

†११३५. **श्री कोडियान** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य में बिजली की कमी पूरी करने के लिये आपातकालीन उपाय के तौर पर बिजली पैदा करने के लिये एक तापीय संयंत्र बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

वन संसाधनों का सर्वेक्षण

†११३६. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वन संसाधनों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने के लिये सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का मोटे तौर पर क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार कुल कितनी रकम खर्च करेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श्या० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में पीएच० डी० कोर्स

†११३७. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली, में प्रतिवर्ष कुल कितने छात्र पीएच० डी० कोर्स के लिये भरती किये जाते हैं;

(ख) इस संस्था में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ;

(ग) क्या १९५९ और १९६० में अब तक सभी सुरक्षित स्थान भर गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ५५ ।

(ख) २० प्रतिशत ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) १९५९ में पीएच० डी० कोर्स में भरती के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के किसी छात्र ने आवेदन नहीं किया । १९६० में पांच ऐसे छात्रों में से चार को बुलाया गया था किन्तु एक इन्टरव्यू के लिये नहीं आया । जो तीन छात्र इंटरव्यू के लिये बुलाये गये थे उनमें से दो उस स्तर के नहीं समझे गये और इस कारण अनुसूचित जाति के केवल एक ही छात्र को पीएच० डी० कोर्स में भरती किया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के लिये भाखड़ा का पानी

†११३८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये भाखड़ा का पानी लेने की योजना सरकार ने अन्तिम रूप से बना ली है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और कब से ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता।

"जब कमायें तभी भुगतान करें" (पे व्हाइल यू अर्न) योजना के अधीन खरीदे गये जहाज

†११३९. **श्री म० रा० कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जब कमाये तभी भुगतान करें" योजना के अधीन गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों ने कितने जहाज खरीदे हैं;

(ख) इस योजना के अधीन खरीदे गये जहाजों की कुल लागत कितनी है; और

(ग) इस नई योजना को चालू किये जाने से कितना अतिरिक्त टन भार प्राप्त हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३६ जहाज।

(ख) लगभग १३.९२ करोड़ रुपये।

(ग) १७१,९२१ जी० आर० टी०

बम्बई–आगरा सड़क

†११४०. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदावरी पर नया पुल बनाकर नासिक में बम्बई-आगरा सड़क दूसरी ओर से ले जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सड़क दूसरी ओर से ले जाने के लिये जमीन प्राप्त की जा चुकी है और सड़क बनाने के लिये मिट्टी खोदने और पत्थर इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है। पुल की नीव के लिये खुदाई का काम भी चल रहा है।

कोंकण नौवहन जांच समिति

†११४१. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोंकण नौवहन सेवा समिति की रिपोर्ट इस बीच मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार अभी रिपोर्ट की सिफारिशों की छानबीन कर रही है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के साथ ही साथ सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय घोषित करने का विचार है। रिपोर्ट की एक प्रति और रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर सरकार के निर्णय यथा संभव शीघ्र सभापटल पर रखे जायेंगे ।

बम्बई से कोल्हापुर तक विमान सेवा

†११४२. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर निवासियों ने बम्बई से कोल्हापुर तक विमान सेवा की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). कारपोरेशन ने यह बताया है कि उन्हे समय समय पर बम्बई और कोल्हापुर के बीच विमान सेवा आरम्भ करने की प्रार्थनायें मिली हैं परन्तु इस समय यह सेवा चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

टालीगंज रेलवे ऊपरी पुल

†११४३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में टालीगंज रेलवे ऊपरी पुल की ऊंचाई बढ़ाने के लिये योजना का क्या ब्योरा है ; और

(ख) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कब समाप्त होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी)** : (क) वर्तमान रास्ता सड़क निचला पुल का विस्तार मेहराब पर ३५ फुट है जिसमें सड़क की सतह से ऊपर १२ फुट ७ इंच का रास्ता है। प्रस्तावित योजना में सड़क की सतह को ३ फुट ऊंचा करके और नई सड़क की सतह से १४ फुट ६ इंच का रास्ता देकर दोनों ओर से यातायात के लिये दो रास्तों के लिये ८०फुट खुले स्थान की व्यवस्था है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस योजना पर लगभग २२.४५ लाख रुपये व्यय होंगे जिस में से यह तय हुआ है कि रेलवे १३.८० लाख रुपये देगी और बाकी रकम राज्य सरकार, राज्य परिवहन, कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कलकत्ता निगम और कलकत्ता ट्रामवेज़ द्वारा १५–१०–६० को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में किये गये निर्णय के अनुसरण में, दी जायेगी ।

(ख) अभी कोई निश्चित लक्ष्य नहीं बताया जा सकता क्यों कि कार्य का वास्तविक रूप से आरम्भ उपरोक्त भाग (क) में निर्देशित सभी पक्षों द्वारा लागत की मंजूरी देने और पुल को फिर से बनाने के लिये उस रेलवे भूमि को शरणार्थियों से खाली कराने पर, जिसकी उपागमन मार्ग आदि के बारे में आवश्यक है, निर्भर करता है ।

त्रिपुरा में भू-अर्जन

†११४४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की समूची ढलाई और सोनामूरा, त्रिपुरा में अरलिया मौजा के एक भाग का अर्जन करने का प्रसताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस अर्जन के लिये अध्यादेश जारी कर दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को अर्जित की जाने वाली भूमि के स्वामियों से विरोध-पत्र प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) उसका क्या कारण है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) त्रिपुरा प्रशासन ढलिया ताल्लुक और सोनामूरा सब-डिवीजन में अरलिया मौजा में निचले क्षेत्र की ४६० एकड़ भूमि के अर्जन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मालिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(घ) प्रशासन द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

रेलवे दुर्घटना

†**११४५. श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ अक्तूबर, १९६० को या इसके आस पास पश्चिम रेलवे पर लोखाडा और भिलदी स्टेशनों के बीच एक दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था और कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुये ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच किसने की और उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १७-१०-१९६० को लगभग १५.०२ बजे पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन के पालनपुर-गांधीधाम सेक्शन पर लोखाड़ा और भिलदी स्टेशनों के बीच एक लेवल क्रासिंग पर, जिस पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, एक यात्री गाड़ी एक मोटर ट्रक से टकरा गई ।

(ख) से (घ). रेलवे के सरकारी इन्सपेक्टर ने इस दुर्घटना की जांच की है । उनकी अस्थायी उपपत्तियों के अनुसार यह दुर्घटना मोटर ट्रक के चालक की असावधानी के कारण हुई । निम्नलिखित व्यक्ति हताहत हुये :

मारे गये	.	एक
घायल :		
गम्भीर रूप से .	. .	आठ
मामूली रूप से .	. .	दो

चिकित्सा सेवाओं का राष्ट्रीयकरण

†**११४६. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था के संस्था दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान द्वारा दिये गये भाषण की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिये चिकित्सा सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाये : और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अतिरिक्त भारत सरकार के पास अखिल भारत चिकित्सा सेवाओं संस्था के संस्था दिवस पर भाषण करते हुय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान के भाषण का कोई रिकार्ड नहीं है जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिये चिकित्सा सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाये। चिकित्सा सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव कोई सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रोहे[1] और कोढ़

†**११४७. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत की बीमारियों जैसे रोहे और कोढ़ को दूर करने के लिये आन्दोलन करने के लिये भारत को यूनिसेफ से कितनी वित्तीय सहायता मिली है ;

(ख) इन रोगों को रोकने के लिये भारत की वार्षिक आवश्यकता क्या है ; और

(ग) इस दिशा में क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वर्ष १९५७–५८ से १९५९–६० तक रोहे रोकने के लिये आन्दोलन करने के लिये यूनिसेफ से २,२०,५९९ रुपये के मूल्य के उपकरण प्राप्त हुये हैं। कोढ़ नियंत्रण योजना के लिये अभी कोई यूनिसेफ सहायता नहीं मिली है ।

(ख) अभी तक इन रोगों को रोकने के लिये वार्षिक आवश्यकता का हिसाब नहीं लगाया गया है। वर्ष १९६०–६१ में रोहे नियंत्रण परियोजना और कोढ़ योजना के लिये केन्द्रीय आयव्ययक में क्रमशः ३.०८ लाख रुपये और ४०.९३ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ग) रोहे और कोढ़ के विरुद्ध आन्दोलन के लिये उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले पग संलग्न टिप्पण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**।

यूगोस्लाविया से जहाज

†**११४८. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि क्या यूगोस्लाविया के जहाज निर्मालता संघ ने भारत को यूगोस्लाविया के बने जहाज बेचने में वृद्धि करने के लिये भारत में एक कम्पनी स्थापित की है और ५ करोड़ रुपये का एक ऋण मंजूर किया है जिससे ४०,००० टन भार के जहाज खरीदे जा सकते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी, नहीं। सरकार को इसका पता नहीं है। तथापि, यूगोस्लाविया की सरकार से रुपये के आधार पर १०० लाख डालर तक के भारत के लिये जहाज बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कि अब भारतीय जहाज निर्माताओं के विचाराधीन है ।

डाक चपरासी

†**११४९. डा० सामन्त सिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषत: ग्राम्य क्षेत्रीय डाक घरों में डाक चपरासियों की नियुक्ति की क्या शर्तें हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा सर्किल के पुरी जिले में गढ़मनित्री डाक घर में एक डाक चपरासी है और क्या डाक अधिकारियों को जनता को नियमित रूप से डाक मिलने में होने वाली कठिनाइयों का पता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Trachoma

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) जब विभागातिरिक्त एजेन्टों का कार्य ५ घंटे से अधिक नहीं होता और पूर्ण-कालिक व्यक्ति रखने का औचित्य नजर नहीं आता तो विशेषत: ग्राम्य क्षेत्रीय डाक घरों में विभागातिरिक्त डिलीवरी एजेन्ट नियुक्त किये जाते हैं।

(ख) और (ग). इस डाक घर में एक विभागातिरिक्त डिलीवरी एजेन्ट है जो एक मिले हुए क्षेत्र के ६ गांवों में डाक बांटता है। डाक अधिकारियों को स्थानीय जनता की नियमित रूप से डाक के मिलने की कठिनाई की कोई खबर नहीं मिली है।

कृषि संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान

†११५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य कृषक को उपज बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कराने की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों के लिये कोई व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया जायेगा ताकि उन्हें प्राप्त परिणामों के बारे में बताया जा सके ; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (ग). किसानों के खेतों में किसानों को राज्य कृषि विभाग और क्षेत्र विस्तार सार्थ द्वारा उपज बढ़ाने के लिये अनुसन्धानों के परिणामों पर आधारित वैज्ञानिक जानकारी से अवगत कराने सम्बन्धी अपने कृत्य के भाग के रूप में हर सीज़न में प्रदर्शन किये जाते हैं। यह जानकारी किसानों को अन्य विभिन्न उपायों द्वारा भी दी जाती है जैसे विस्तार सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, ग्राम्य प्रसारण और ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविर।

दिल्ली और मुरादाबाद के बीच डीजल कार सेवा

†११५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को दिल्ली और मुरादाबाद के बीच एक तीन घंटे की डीज़ल कार गाड़ी सेवा लागू करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं। परन्तु समाचारपत्रों में दिल्ली और मुरादाबाद के बीच एक तेज़ चलने वाली डीज़ल-कार सेवा लागू करने का सुझाव किया गया था।

(ख) दिल्ली-मुरादाबाद सेक्शन पर डीज़ल रेल-कार सेवा लागू करने के लिये कोई यातायात औचित्य नहीं है। इस के अतिरिक्त इस सेक्शन पर फालतू लाइन क्षमता और फालतू डीज़ल रेल-कारें भी उपलब्ध नहीं हैं।

दुग्ध चूर्ण

११५२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाल की राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धानशाला में गांवों में मक्खन निकाले हुए मट्ठा तथा दूध का दुग्ध चूर्ण बनाने की विधि तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विधि का उपयोग किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान शाला, करनाल में डेरी उद्योग (जैसे छाछ) के क्रीम निकले हुए और अन्य द्रव्य उपजातों को खुले कढ़ायों में सुखाने के लिये एक सादा तकनीक निकाली गई है। इस तकनीक से दूध-चूर्ण का उत्पादन होता है, इसे चपाती, डबल रोटी, टाफियां इत्यादि बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस को दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ।

(ख) इस विधि का ब्यौरा अधिक प्रचार के लिये इस विभाग के विस्तार निदेशालय को भेज दिया गया है ।

गोदावरी नदी का बेसिन

†११५३. **श्री सुगन्धि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी नदी के बेसिन की कुल औसतन वार्षिक जल क्षमता कितनी है ;

(ख) इस समय कितने प्रतिशत जल का इस्तेमाल किया जाता है और कितने प्रतिशत जल नष्ट होता है ;

(ग) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मैसूर राज्यों में गोदावरी नदी और इस की शाखाओं के अपर बेसिन में कितनी वर्तमान परियोजनायें हैं और प्रत्येक परियोजना को कितने यूनिट जल दिया जाता है ;

(घ) भावी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी और उन की जल की आवश्यकता क्या होगी ; और

(ङ) इस की विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता पूरी करने पर गोदावरी से कृष्णा नदी को देने के लिये कितना फालतू पानी मिल सकेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** :(क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

रेलवे कर्मचारियों को बकाया का भुगतान

†११५४. **श्री ब्रज राज सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद डिवीज़न में शन्टरों और फायरमैन ग्रेड बी० को रेलवे मंत्री द्वारा वर्ष १९५७ में घोषित नये करार के अनुसार बढ़ी दरों पर गाड़ी के साथ चलने के भत्ते की बकाया का भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे बोर्ड के निदेशों के बावजूद सम्बन्धित शन्टरों और फ़ायरमैनों को बढ़ी हुई दरों पर कथित भत्ते की बकाया का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों को अभी तक न दी गई कथित बकाया रकम की राशि कितनी है ; और

(घ) कथित बकाया के भुगतान में देरी करने के लिये सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जायेगी, तो वह क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) शन्टरों के मामले में मार्च, १९५७ के अपग्रेडिंग आदेशों के अधीन गाड़ी के साथ चलने के भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । फायरमैन ग्रेड बी० के मामलों में गाड़ी के साथ चलने के भत्ते की बकाया का भुगतान नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). यह विलम्ब रेलवे प्रशासन द्वारा फायरमैनों की पदाली में संख्या निर्धारित करने में आई कठिनाइयों के कारण हुआ । देय राशि का पदाली में संख्या निश्चित किये जाने के बाद ही हिसाब लगाया जा सकता है। रेलवे प्रशासन से कठिनाइयों को दूर करने के कुछ प्रस्ताव मिले हैं जो विचाराधीन हैं ।

अन्दमान द्वीप समूह में इमारती लकड़ी का नीलाम

†११५५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस दर पर २४१ टन इमारती लकड़ी का फिर से नीलाम किया गया उस का प्रति टन क्या मूल्य था; और

(ख) इस मूल्य की मूल नीलाम मूल्य से क्या तुलना है और अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) लगभग ३७ रुपये प्रति टन ।

(ख) मूल नीलाम मूल्य जिस पर मेसर्ज़ पी० सी० राय ने यह इमारती लकड़ी खरीदी थी, वह १८५ रुपये से २१७.५० रुपये प्रति मन तक था। इमारती लकड़ी के दुबारा नीलाम करने पर वसूल कम मूल्य का कारण यह था कि सार्थ द्वारा माल न उठाये जाने पर वह खराब हो गया था।

गढ़-मधुपुर और जेनापुर के स्टेशन कर्मचारी

†११५६. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष १५ अगस्त, १९६० से भयंकर बाढ़ के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के गढ़-मधुपुर और जेनापुर स्टेशनों के कर्मचारी कितने समय तक माल-डिब्बों और केबिनों की छतों पर रहे ;

(ख) उन की हालत के बारे में डी० टी० एस० खुर्दा रोड के कार्यालय में प्रथम बार सूचना कब प्राप्त हुई और उन के बचाव के लिये कार्यवाही कब की गई ;

(ग) क्या उनको आवश्यक सहायता के लिये डी० टी० एस० ने राज्य सरकार को कोई सूचना भेजी और यदि हां, तो कब; और

(घ) खुर्दारोड जिला सदरमुकाम से उपरोक्त स्टेशनों पर कर्मचारियों की हालत जानने के लिये पहुंचने वाला प्रथम पदाधिकारी कौन था और वह कब वहां पहुंचा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) इस वर्ष बाढ़ के दौरान गढ़-मधुपुर और जेनापुर के स्टेशन कर्मचारियों ने माल-डिब्बों और केबिनों की छतों पर आश्रय नहीं लिया ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जेनापुर यार्ड में पानी भरा हुआ था और वह गाड़ियों के गुजरने के लिये असुरक्षित था और कर्मचारियों के क्वार्टरों के आसपास भी बाढ़ का पानी भरा था और डी० टी० एस० खुर्दा-रोड ने आवश्यक सहायता के लिये राज्य सरकार को १६-८-६० को सूचना भेजी ।

(घ) यह पता नहीं है कि खुर्दारोड सदरमुकाम से कौन पदाधिकारी पहले वहां पहुंचा परन्तु सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को आवश्यक सहायता देने और लाइन पर यातायात चालू रखने के लिये निरन्तर प्रयत्न रखा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मन्दापौर और पम्बन के बीच सड़क पुल

†११५७. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामेश्वरम् को सड़क द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये मन्दापौर और पम्बन के बीच कोई सड़क पुल नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसको बनाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) वहां पर एक रेलवे पुल विद्यमान है । यातायात को देखते हुए, जो अधिक नहीं है, सड़क पुल बनाने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

बम्बई में गोदियां

†११५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में गोदियों का आधुनिकीकरण करने, विकास करने और उन्हें अधिक गहरा करने की योजना बना ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). बम्बई गोदी का आधुनिकीकरण करने की एक योजना बम्बई पत्तन न्यास ने बनायी है । इसकी पत्तन न्यास द्वारा लन्दन में अपने परामर्शदाता इंजीनियरों के परामर्श के साथ ब्यौरेवार जांच की जा रही है । इस योजना पर ८.३५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिस में १.५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है । नयी योजना में विक्टोरिया डौक को अलेग्जेंडर डौक से, दोनों के बीच एक आवागमन मार्ग बना कर, मिला देने की व्यवस्था है । ऐसे मार्ग से इसके साथ साथ छः गहरे बर्थ मिलेंगे और उससे विक्टोरिया डौक के बर्थों तक विक्टोरिया डौक के प्रवेश मार्ग पर वर्तमान भंवरों वाले दर्वाजे से जाने की बजाय जहाज अलेग्जेंडर डौक के प्रवेश-द्वार से जा सकेंगे । इससे विक्टोरिया डौक में पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा बनाये रखना सम्भव हो सकेगा जिससे उस बन्दरगाह में अधिक गहरे डुबाव वाले जहाज़ खड़े हो सकेंगे । बन्दरगाह दीवार (हार्बर वॉल) के साथ भूमि को साफ करने का भी प्रस्ताव है ताकि सड़कें और रेलवे लाइन बनाने के लिये, परिवहन शेड बनाने के लिये और बन्दरगाह पर माल भरने के लिये बड़े खुले स्थान की व्यवस्था करने के लिये उपलब्ध क्षेत्र को बढ़ा कर विक्टोरिया डौक बेसिन के पूर्वी ओर बर्थों की माल लादने उतारने की क्षमता को बढ़ाया जा सके ।

रिहांद बांध

†११५९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहान्द बांध के निर्माण की नवीनतम प्रगति क्या है;

(ख) स्थापित किये गये और स्थापित किये जा रहे जनरेटिंग सेटों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और क्या समय निर्धारित किया गया है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) अन्तिम रूप से पुनरीक्षित अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) विभिन्न सिंचाई, रेलवे और औद्योगिक संस्थानों द्वारा उपभोग के अलग अलग यूनिटों में क्या आंकड़े हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) खुदाई और नींव तैयार करने का कार्य लगभग पूरा हो गया है । बांध और सम्बन्धित कार्यों पर कन्क्रीट डालने का काम ९६.९ प्रतिशत तक पूरा हो गया है ।

(ख) अधिष्ठापित बिजली बनाने की क्षमता २,५०,००० किलोवाट की है जिसमें प्रति ५०,००० किलोवाट के ५ सेट शामिल हैं और उसमें बाद में एक छटा सेट लगाने की भी व्यवस्था है । इस समय जो पहले और दूसरे सेट बन रहे हैं, उनके जून, १९६१ तक चालू हो जाने की आशा है और बाकी तीन सेटों के क्रमशः जुलाई, सितम्बर और अक्तूबर में चालू होने की आशा है ।

(ग) वर्तमान प्राक्कलनों में संशोधन किया जा रहा है । अन्तिम रूप से पुनरीक्षित प्राक्कलन लागत का उत्तर प्रदेश सरकार से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होने और उसकी भारत सरकार द्वारा जांच किये जाने के बाद पता चलेगा ।

(घ) रिहान्द परियोजना से बिजली की संभावित खपत के पृथक् पृथक् आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

१. उद्योग	६७.५ मिलोवाट
२. रेलवे	४०.० मिलोवाट
३. मध्य प्रदेश राज्य	२१.० मिलोवाट
४. उत्तर प्रदेश में विभिन्न बिजली . .	१८.४ मिलोवाट

नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा हिन्दी फार्मों का प्रयोग

११६०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने बिजली, पानी के बिलों तथा अन्य प्रकार के फार्मों को हिन्दी में छपवाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है और भविष्य के लिये क्या योजना बनाई गई है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने अन्य विभागों के कार्य में भी हिन्दी प्रचलित करने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई अवधि निश्चित की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुष्ठ रोग नियंत्रण

†११६१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुष्ठरोग रोकने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये कुष्ठरोग विरोधी उपायों द्वारा अब तक क्या सफलता मिली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रथम योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों में ४ अध्ययन तथा उपचार केन्द्र और २६ सहायक केन्द्र स्थापित किये गये । द्वितीय योजना में इन केन्द्रों को चालू रखा गया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १७० सहायक केन्द्र (नियंत्रण एकक) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । इस लक्ष्य में से अब तक ८० केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ।

चालू वित्तीय वर्ष में शेष केन्द्र स्थापित करने के लिये आवश्यक बजट उपबंध कर दिया गया है । इस को देखते हुए यह आशा की जाती है कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी । केन्द्रों द्वारा किये गये काम का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(१) परियोजना क्षेत्रों की जन-संख्या . . .	१,२०,६५,७६७
(२) जितनी जन-संख्या का सर्वेक्षण किया गया	८२,२८,६६५
(३) कुष्ठ के ज्ञात रोगी . .	१,०६,१२२
(४) उपचार के लिये दर्ज मामले .	६६,२६६
(५) जिन व्यक्तियों का उपचार किया गया . .	५६,३६०
(६) कुष्ठरोगियों के सम्पर्क में आये हुए स्वस्थ व्यक्तियों की देख रेख	२,६०,८८८

इसके अतिरिक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये मद्रास के निकट एक केन्द्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन तथा अनुसंधान संस्था मद्रास सरकार के सहयोग से ५ जनवरी, १६५५ को स्थापित की गई थी । १६५५ से इस संस्था में २४८ मेडिकल अफसरों तथा १२४ स्वास्थ्य तथा स्वच्छता निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा, मद्रास की अध्यापन संस्थाओं के विद्यार्थी-प्रशिक्षार्थी तथा परिचारिकायें कुष्ठरोग का अल्पावधि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे जाते हैं । इस संस्था में ८८४ रोगियों के लिये स्थान है । इस संस्था ने कुष्ठ रोग की कुछ दवाइयों जैसे इतिसूल आदि के बारे में यह देखने के लिये अनुसंधान भी किया है कि वे दवाइयां कहां तक प्रभावी हैं ।

महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से मेडिकल कालेज और अस्पताल, नागपुर में उन डाक्टरों को छः सप्ताह का अल्पावधि पुनर्नवीकरण पाठ्यक्रम देने के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र चालू किया गया है जिन्हें कुष्ठ रोग नियंत्रण एककों की व्यवस्था करने के लिये रखा जायेगा । अब तक, विभिन्न राज्यों के ४६ मेडिकल अफसरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, इस प्रशिक्षण केन्द्र में स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी मेडिकल अफसरों तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को अल्पावधि प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है । १६० अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों तथा ३३ मेडिकल अफसरों ने इस केन्द्र में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया ।। फरवरी, १६५८ में भारत सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की एक कुष्ठ रोग मंत्रणा समिति बनाई। यह समिति कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्य का निरीक्षण करती है और वर्तमान कार्यक्रमों में सुधार के उपाय बताती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांधी स्मारक कुष्ठरोग फाउन्डेशन, वर्धा के सहयोग से प्रत्येक राज्य के, जहां कुष्ठरोग नियंत्रक एकक स्थापित किये गये हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ मेडिकल अफसर को प्रशिक्षित करने के लिये लिलकलापल्ली, बाविल्ली (आन्ध्र प्रदेश) में १५ दिसम्बर, १९६० से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अफसर अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के लिये राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कोर्स चालू कर सकें तथा साथ ही कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्रों में लगाये जाने वाले मेडिकल अफसरों के लिये आवश्यक पुनर्नवीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकें ।

हिन्दी में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के फार्म

११६२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी फार्मों का हिन्दी अनुवाद कराने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना से सम्बन्धित फार्मों का हिन्दी में अनुवाद कराने का प्रश्न भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अधीन है ।

इस विषय में १९५५ में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों में फार्म इत्यादि के हिन्दी में प्रयोग की मांग नहीं की गई है ।

अमृतसर तथा नंगल बांध में टेलीफोन

†**११६३. श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९६० तक पंजाब के अमृतसर तथा नंगल बांध में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन के लिये प्रार्थनापत्र दिये; और

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों के यहां टेलीफोन की व्यवस्था कर दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** :

	अमृतसर	नंगल बांध
(क)	१५४०	२४
(ख)	१५	१२

हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि

११६४. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितनी कृषि योग्य भूमि है और इसमें कितनी सिंचाई योग्य और कितनी बारानी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किनी सिंचाई योग्य भूमि में सिंचाई का प्रबन्ध किया गया और सारी सिंचाई योग्य भूमि में कब तक सिंचाई की योजना पूर्ण हो जायेगी ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में बिजली की दर

११६५. श्री पद्म देव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और विद्युत् शक्ति की दर क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दर अधिक है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) (१) घरेलू प्रयोजनों के लिये—३७ नये पैसे प्रति यूनिट ।

(२) औद्योगिक प्रयोजनों के लिये—१५ नये पैसे प्रति यूनिट ।

(ख) जी, हां । ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अनुपाततः अधिक दर के निर्धारण के लिये ग्रामों में पारेषण एवं वितरण की अधिक लागत ही उत्तरदायी है। नगरीय क्षेत्रों में इस किस्म का व्यय लगभग ३००० रुपये प्रति किलोवाट है, जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह ६००० रुपये प्रति किलोवाट है ।

चीनी के कारखाने

†**११६६. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन जिन चीनी कारखानों के प्रार्थना-पत्र सरकार के पास विचाराधीन पड़े हुए थे उनमें से कितने चीनी कारखानों को इस वर्ष अगस्त से नवम्बर, १९६० के अन्त तक लाइसेंस दिये गये हैं, तथा वे कारखाने किन-किन राज्यों में स्थित हैं;

(ख) नासिक जिले के निपाढ़ चीनी कारखाने को कब लाइसेंस दिया जायेगा; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अभ्यंश में से लाइसेंस दिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) ३४ प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में लाइसेंस मंजूर किये गये हैं जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् । जब भी लाइसेंस दिया जायेगा, वह तृतीय पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य में से दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में हिन्दी अंकों का प्रयोग

†११६७. **श्री क० स० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि रेलवे में हिन्दी अंकों का प्रयोग किया जाये; और

(ख) क्या रेलवे स्टेशनों की घड़ियों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के स्थान पर हिन्दी अंक किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे के अहातों में लगे हुए साइन-बोर्डों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाता है यद्यपि हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में देवनागरी के अंकों का भी प्रयोग किया जाता है ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मीलों को मीट्रिक प्रणाली में बदलना

†११६८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीलों को मीट्रिक प्रणाली में बदलने में अब तक क्या व्यय हुआ है; और

(ख) इस पर कुल कितने व्यय का अनुमान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]** ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आपने मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया है मैं उससे सहमत हूं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के रूप में . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव को नियमबाह्य ठहरा दिया है, उस दिन मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार यथाशक्ति इस सम्बन्ध में कार्य कर रही है । आज प्रातःकाल के समाचार पत्र से भी यह ज्ञात हुआ है कि कानपुर में विद्युत संभरण की दशा में बहुत सुधार हो गया है । तब फिर इस विषय को बार बार उठाना ठीक नहीं है । वस्तुतः माननीय सदस्य का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि वह केन्द्रीय सरकार पर ऐसे विषय के ऊपर लांछन लगाना चाहते हैं जिसका दायित्व राज्य सरकार पर है ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मुझे अभी एक घंटे पूर्व कानपुर से कुछ सूचना प्राप्त हुई है । उसे मैं सभा को दे सकता हूं । वह इस प्रकार है । सबसे अधिक खपत वाले समय को अर्थात् ५ बजे शाम से १० बजे रात्रि को छोड़ कर सभी औद्योगिक उपक्रमों को बिजली दी जा रही है । आज 'लोड' ३४ से ३५ मेगावाट है जब कि सामान्य अधिकतम लोड ४० से ४४ मेगावाट होता है । आशा है कल प्रातः तक अवस्था सामान्य हो जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वहां के सैनिक अधिकारियों ने कुछ उपकरणों की मांग की है. . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को बार बार वहां के प्रश्न नहीं पूछने चाहियें । वहां भी एक सरकार है जो वहां प्रशासन कर रही है इस प्रकार बार बार खड़े हो कर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है । मैं स्थगन प्रस्ताव के बहाने यहां चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं । मैं ने उनका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी, मुझे इस सम्बन्ध में केवल यह सूचना मिली है कि वह विषय स्थगन प्रस्ताव के उपयुक्त नहीं है, इसके कोई कारण नहीं दिये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके कारण बताने के लिये बाध्य नहीं हूं । इसके पूर्व मैंने एक सूची प्रकाशित कर परिचालित की थी जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया था, जिनके आधार पर स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये जा सकते हैं । स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का दायित्व पूर्णतः मेरा है । स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तीन बातें ध्यान में रखनी चाहियें । पहिला कि वह विषय अविलम्बनीय हो, दूसरा वह लोक हित में हो, और तीसरा वह एक निश्चित मामला हो । जब मैं देखता हूं कि इनमें से कोई भी कारण स्थगन प्रस्ताव में मौजूद नहीं है तो मैं इसे अस्वीकार कर देता हूं ।

* * *

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे अस्वीकार करने के बावजूद भी माननीय सदस्य बहुत कुछ कह गये हैं, मैं उन्हें यह सब कहने से नहीं रोक सकता हूं, तथापि यह सब बातें संसदीय चर्चा के अभिलेख में नहीं रहेंगी न कहीं प्रकाशित ही होंगी । यदि माननीय सदस्य इस प्रकार का प्रयत्न करते रहेंगे तो इसे सभा की मानहानि समझा जायेगा और उसके विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही की जायेगी । माननीय सदस्य की यह आदत बन गई है कि मेरे रोकने के बावजूद भी वह अपनी बातें कहने का प्रयत्न करते हैं, यदि वे आवश्यक समझें तो मुझे अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सहमत करने का प्रयत्न करें तथापि मैं उन्हें इस समय कुछ कहने का अवसर नहीं दे सकता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अन्दमान और निकोबर द्वीपसमूह खाद्य अपमिश्रण रोक नियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अक्तूबर, १९६० के अन्दमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २४१/३२–२/६०–जे की एक प्रति, जिसमें अन्दमान और निकोबर द्वीपसमह खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९६० दिये हुए हैं, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी० २४८१/६०]

**अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार यह अंश निकाल दिया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १६५५ की धारा ३ की उप धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक १८ नवम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६४ में प्रकाशित भारतीय मक्का (माण्ड बनाने में प्रयोग पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १६६० ।

(२) दिनांक २४ नवम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०५ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) आदेश, १६६० ।

(३) दिनांक २४ नवम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०६ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १६६० ।

(४) दिनांक २४ नवम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०७ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं के लाने ले जाने पर नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १६६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २४८२/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

१३ नवम्बर, १६६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : नियम १६७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भाखड़ा बांध के एक ट्रांसफार्मर (परिवर्तक यंत्र) में हुई दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप एक कामगर की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हुआ"

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : नंगल के हिन्दुस्तान केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स कारखाने में भाखड़ा के बायें किनारे के बिजली घर से बिजली पहुंचाने के लिये ६६ किलोवोल्ट की पारेषण लाइन लगाई गई है । १३ नवम्बर, १६६० की शाम को इस ६६ किलोवोल्ट लाइन से सम्बन्धित एक सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर फट गया जिसके फलस्वरूप एक कामगर की मृत्यु हो गयी और दूसरा घायल हो गया । ऐसा इस कारण हुआ कि जलता हुआ तेल कामगर के ऊपर गिर गया जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई । दोनों कामगरों को दुर्घटना के तत्काल पश्चात् नंगल अस्पताल में पहुंचा दिया गया था । दूसरे कामगर की चिकित्सा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शक्तिशाली ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे ऊंचे वाल्टेज को सही और सुरक्षित तरीके से नापा जाता ह । आलोच्य ट्रांसफार्मर में लोहे का एक छोटा अन्तर्भाग और लच्छी होती है जो कि एक गोल इस्पात की टंकी के अन्दर रखे रहते हैं, जिसके ऊपर ६६ किलोवाट की बुशिंग और टर्मिनल कवर चढ़ी रहती है । घेरेदार टंकी और बुशिंग में तेल भरा रहता है । यह शक्तिशाली ट्रांसफार्मर आफीसीन इलेक्ट्रोमेकेनिकी गेलिलियो जो इटली की एक विख्यात फर्म है के द्वारा बनाया हुआ था । यह बाहर के स्विचयार्ड में लगा हुआ था। उसे उस स्थान पर लगाने का काम निर्माता फर्म के इंजीनियरों की देख रेख में, तथा अनुदेशों के अधीन आवश्यक परीक्षण करने के उपरांत किया गया । परीक्षा करने के पश्चात् तेल भी ठीक प्रकार का पाया गया । इस परीक्षण का परिणाम निर्माताओं को बताया गया और इस सम्बन्ध में उनकी पुष्टि प्राप्त हुई कि यह उपकरण कार्य आरम्भ करने के लिये उपयुक्त है ।

दुर्घटना के दिन ट्रांसफार्मर एकक, जिससे कि ६६ किलो वोल्ट के बाहरी उपकरण को बिजली जाती थी, चलाया गया, तथा सामान्य सावधानियां बरतने के पश्चात् धीरे धीरे वाल्टेज की शक्ति बढ़ायी गयी । इटेलियन निर्माता इंजीनियर, उस शक्तिशाली ट्रांसफार्मर के निकट वाल्टेज नाप रहा था तथा एक उपविभागीय अधिकारी तथा दो कामगरों की सहायता से उस उपकरण का कार्य देख रहा था ।

जब विद्युत् उत्पादक यंत्र का वोल्टेज १० किलो वोल्ट पर पहुंचा तो माप करने का काम बन्द कर दिया गया । मीटर हटा दिया गया । उपविभागीय अधिकारी तथा इटेलियन इन्जीनियर विद्युत् उत्पादक संयंत्र पर यह फोन करने के लिये गये कि वोल्टेज संतोषजनक है । ऐसे समय यह दुर्घटना घटी । ट्रांसफार्मर के बन्द होने के कारणों की जांच की जा रही हैं । निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने इस घटना की सूचना अपने कारखाने को दे दी है और वे अनुदेशों की प्रतिक्षा कर रहे हैं ।

विद्युत् उत्पादक संयंत्र में जो कि बायें किनारे के बिजली घर में लगा हुआ है, जिसने कि १४ नवम्बर, १९६० के दिन अनुसूचित समय पर काम करना आरम्भ किया, कोई खराबी नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि यह भाखड़ा के पहिले विद्युत् उत्पादक एकक की जांच थी, भाखड़ा में बायें किनारे के बिजली घर से नंगल उर्वरक कारखाने को अभी बिजली मिलनी प्रारम्भ नहीं हुई है । इसलिये विद्युत् संभरण में गड़बड़ी पैदा होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

इस अवसर पर यह भी उल्लेख कर देना उचित होगा कि ६६ किलोवोल्ट सर्किट के अन्य दो सिंगल फेज टांसफार्मर भी खराब ज्ञात होते हैं । इन तीनों टांसफार्मरों की कीमत १०,००० रु० के लगभग है ।

भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से पाकिस्तान के वित्त मंत्री के साथ, ऐसे वित्तीय मामलों पर जिन पर कि दोनों देशों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ था, हाल में हुई बातचीत के संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं ।

३० मार्च, १९६० को इस सभा में दिये गये वक्तव्य में मैंने यह संकेत दिया था कि उन प्रश्नों का निपटारा करने के लिये जिन पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, हमारे बीच अग्रेतर बात-

---

†मूल अंग्रेजी में

चीत होगी। तत्पश्चात् जब प्रधान मंत्री सितम्बर में सिंधु पानी करार, १९६० पर हस्ताक्षर करने के संबंध में पाकिस्तान गये, उस समय पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने इन वित्तीय प्रश्नों का, जिन पर कोई समझौता नहीं हुआ था, उल्लेख किया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री से वाशिंगटन में भी मेरी एक संक्षिप्त मुलाकात हुई, और हम दोनों ने यह निश्चय किया कि हम इन मामलों पर नई दिल्ली में चर्चा करेंगे। २३ से २५ नवम्बर के बीच हुई हमारी हाल की बैठकों तथा बाद में हमारे अधिकारियों के बीच जो वार्त्तायें हुईं, उनके द्वारा ऐसे मामलों की संख्या, जिन पर कोई समझौता नहीं हुआ था, और भी कम हो गई, तथा दोनों पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण से परिचित हुये। विभाजन के पश्चात् एक देश के द्वारा दूसरे देश पर किये गये दावों पर भी विचार किया गया जिन्हें पाकिस्तान द्वारा भारत को चुकायी जाने वाली ऋण की राशि के निश्चय हो जाने तक निलम्बित रखा गया था और जिन्हें पूर्ण वित्तीय समझौते के साथ ही समायोजित किया जाना होगा।

मुझे भी इस बात से निराशा हुई है कि अन्तिम वार्ता के दौरान भी अन्तिम रूप से कोई फैसला नहीं हो सका, तथापि मैं अनुचित रूप से निराश नहीं हुआ हूं। ये चर्चायें इस संबंध में लाभकारी सिद्ध हुई हैं कि इससे बकाया वित्तीय मामलों के संबंध में दोनों देशों का दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है और इससे हम लोग एक दूसरे का दृष्टिकोण और भी स्पष्ट तरीके से समझ सके हैं।

बातचीत बहुत अच्छे वातावरण में हुई। हमने इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिये पुनः मिलने का निश्चय किया है। यह दोनों देशों की इस इच्छा का द्योतक है कि इस लम्बी वार्त्ता का अन्त दोनों देशों के हित में हो। अगली बैठक का कार्यक्रम पाकिस्तान के वित्त मंत्री की सलाह से तय किया जायेगा। सभा इस बात से सहमत होगी कि मैं इस समय चर्चा के संबंध में अधिक ब्यौरा नहीं दे सकता हूं। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में धैर्य रखें तथा आशा करें कि इस लम्बी वार्त्ता के अन्त में दोनों देशों को कोई सर्वसम्मत हल प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार यह भारत और पाकिस्तान के बीच की मैत्री को दृढ़ बनाने का एक और कदम होगा।

गैर-अनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं गैर-अनुसूचित संचालकों (आपरेटरों) के प्रति सरकारी नीति के संबंध में वक्तव्य का संक्षेप देता हूं।

५ अगस्त, १९५९ को कलिंग एयरलाइन्स द्वारा संचालित डकोटा एयरक्राफ्ट वीटी—डी जी पी की दुर्घटना (जो ३ अगस्त १९५९ को हुई थी), पर चर्चा के दौरान तत्कालीन परिवहन और संचार मंत्री श्री स० का० पाटिल ने यह आश्वासन दिया था कि दुर्घटना की जांच संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्वतंत्र चालकों द्वारा गैर-सरकारी उड़ानों के संबंध में सरकारी रुख के संबंध में एक विस्तृत वक्तव्य दिया जायेगा। ज्ञापन सहित जांच के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां जिसमें सरकार का निर्णय भी शामिल है, संसद् पुस्तकालय में रखी गयीं हैं।

सभा के कुछ सदस्यों ने कलिंग एयरलाइन्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाये हैं। सरकार ने उनकी जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की, समिति की जांच के आधार पर कलिंग एयरलाइन्स के विमान चालकों और इंजीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संचालक के विरुद्ध भी कार्यवाही करने पर विचार किया गया। संचालक को यह कारण बताने का नोटिस दिया गया कि उसकी अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द कर दी जाये। उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की सावधानी से जांच करने के उपरांत तथा समिति के नियुक्ति के पश्चात् से संचालन के कार्य में हुये सुधार पर विचार करते हुये यह निश्चय किया गया कि दंड देने के स्थान पर चालन पर कड़ी नजर रखी जाये। समवाय ने अपनी ओर से संचालन कुशलता में सुधार करने की दिशा में पहिले कदम के रूप में व्यवस्थापक निदेशक की सेवायें समाप्त कर दीं।

गैर-सरकारी संचालकों के प्रति सरकारी रवैये के प्रश्न पर, सभा में कई बार यह कहा गया है कि हम बुनियादी नीति को नहीं बदलना चाहते हैं, वह यह है कि उन्हें पहिले की तरह कार्य करने दिया जाये लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक क्षमता की अनुमति न दी जाये। सरकार ने इस मामले पर एक बार पुनः सावधानी से विचार किया, तथा वह इस नतीजे पर पहुंची कि विकास की वर्तमान दशा में अपनी बुनियादी नीति को बदलने का कोई कारण नहीं है। केवल इस आधार पर कि चार संचालकों में से एक ने नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं किया है, गैर-अनुसूचित संचालकों का राष्ट्रीयकरण करना ठीक नहीं है। सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि वह इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करे कि गैर-अनुसूचित संचालक नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करें।

मैं गैर-अनुसूचित चालकों के प्रति सरकारी नीति के बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**।

समवाय (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री कानूनगो द्वारा ३० नवम्बर, १९६० को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

> "कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मुझे विधेयक के वर्तमान स्वरूप से बड़ा असन्तोष है। सरकार विरोधी दलों की संयुक्त मांग के आगे भी नहीं झुक रही है। वह समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये।]

मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि बहुत दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि औद्योगिक समवाय यदि अपनी इच्छा से अपने मुनाफे का कुछ प्रतिशत भाग किसी राजनीतिक दल को चन्दे के रूप में देना चाहें, तो उसमें कोई बुराई नहीं।

हमें समाचारपत्रों की खबरों से पता चला है कि पिछली बार समवायों ने कांग्रेस दल को जितना धन चन्दे के रूप में दिया था, उसका कुछ भाग कुछ व्यक्तिगत कांग्रेसमैनों की जेबों में गया था। हमारे देश के राजनीतिक दल अपने सदस्यों पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाते। यदि चन्दा दल को मिल भी जाये, तो यह कोई गारण्टी नहीं रहती कि उसे उसी प्रयोजन के लिये खर्च किया जायेगा। जिसके लिये कि चन्दा दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

ऐसी परिस्थितियों में सरकार का इस गलत नीति पर अड़े रहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री के भाषण से लगता है कि उनको स्वयं इस प्रकार चन्दा लेना कोई बड़ा नैतिक तरीका नहीं लगता । इसीलिये उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दल ऐसे चन्दे लेते हैं और उनको कांच के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं चलाने चाहियें । यह बड़ा गलत नजरिया है ।

सरकार को तो एक आदर्श पेश करना चाहिये था । लेकिन सरकार उसके लिये तैयार नहीं ।

माननीय मंत्री ने कहा था कि इस प्रश्न पर मत देने के लिये सभी सदस्य स्वतंत्र होंगे । उन पर दल का अनुशासन नहीं थोपा जायेगा । लेकिन उनके दल के सचेतक ने सदस्यों को वह अधिकार नहीं दिया ।

माननीय मंत्री ने कहा था कि हमें उनकी नेकनीयती पर विश्वास करना चाहिये । और उसके आधार पर संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये । फिर माननीय मंत्री यह दावा कैसे करते हैं कि पिछले चुनावों के दौरान समवायों से चन्दे लेने में कोई अनुचित बात नहीं हुई ?

श्री अशोक मेहता ने उनसे पूछा था कि पिछले आम चुनावों के दौरान २ करोड़ रुपये चन्दे के रूप में देने वाले लगभग पचास समवाय कौन-कौन से थे और वह राशि एक बार में दी गई थी, या थोड़ी-थोड़ी करके कई वर्ष में । उन्होंने पूछा था कि पिछले चुनावों के बाद उनमें से कितने समवायों को परमिटों या अनुज्ञप्तियों वगैरह की सुविधायें दी गईं । लेकिन माननीय मंत्री ने वह सब नहीं बताया । माननीय मंत्री ने कहा कि विरोधी दलों के सदस्यों को जाकर उन समवायों का लेखा स्वयं देखना चाहिये ऐसे गम्भीर प्रश्न पर माननीय मंत्री को ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिये था । सरकार को ऐसी सूचना इकट्ठी करके सभा के सामने रखने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने कहा था कि हमें इस व्यवस्था से इसलिये कोई डर नहीं होना चाहिये क्योंकि सरकार स्वयं छोटे-छोटे समवायों और उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है । और वे राजनीतिक दलों को अधिक चन्दा नहीं दे पायेंगे । मैंने तब भी कहा था कि छोटे-छोटे समवाय भी २५,००० रुपये तक दे ही सकेंगे । और छोटे-छोटे समवायों को तो सरकार से और भी अधिक भय रहेगा । वे तो मंत्रियों के एक इशारे पर ही २५,००० रुपये दे देंगे । इसका मतलब है कि अब यह बुराई और अधिक व्यापक रूप धारण कर लेगी । यह नया संशोधन तो सरकार को और अधिक शक्ति प्रदान कर रहा है ।

जबकि ऊपर से देखने पर यह लगता है कि सरकार ने विरोधी दलों की संयुक्त मांग के आगे झुककर ही समवायों के चन्दों पर २५,००० रुपये की सीमा लगा दी है ।

माननीय मंत्री ने हमारे स्वतंत्र दल पर कुछ बड़े अनुचित आरोप लगाये हैं । उनका ख्याल शायद यह है कि स्वतंत्र दल जनता और शेयर धारियों के हितों की चिन्ता नहीं करती, उसे प्रबन्धकों के ही हितों की परवाह है । हमने अपने दल के वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि हमारा दल मुक्त, निर्बाध व्यापार का नहीं, मुक्त प्रयास का हामी है । हम असामाजिक कार्यवाहियों को रोकने के लिये राज्य के नियंत्रन को आवश्यक समझते हैं । इसके दो पहलू हैं । समवायों के अल्पसंख्यक शेयरधारियों को प्रबन्ध निदेशकों की शरारतों से बचाने के लिये विधि में व्यवस्था की जानी चाहिये । मैंने स्वयं ऐसी व्यवस्थायें बनाने में सरकार की सहायता की है ।

लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शेयरधारियों के मतभेदों का लाभ उठाकर, सरकार औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं अपनी शक्ति बढ़ा लेती है। हम इसे अनुचित मानते हैं। इस क्षेत्र में सरकार की शक्ति न्यूनतम रहनी चाहिये।

माननीय मंत्री और उनके सहयोगियों ने श्री मसानी पर अनुचित आरोप लगाया है कि वह हर सरकारी विनियमन और एक समवाय द्वारा दूसरे में विनियोजन के विरुद्ध हैं। श्री मसानी ने अपनी विमति टिप्पणी में केवल इतना कहा है कि जो समवाय अपनी आस्तियों का २० प्रतिशत से अधिक भाग दूसरे समवायों में विनियोजित करता है, उसे भूतलक्षी प्रभाव से दण्डित करने की शक्ति सरकार को ग्रहण नहीं करनी चाहिये। यदि आपको २० प्रतिशत की सीमा निर्धारित करनी है, तो भविष्य के लिये करें। ऐसे विनियोजनों की मंजूरी शेयरधारियों से लेने की व्यवस्था होनी चाहिये, सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं। उन्होंने विरोध तो नहीं किया।

हम नहीं चाहते कि औद्योगिक समवायों के मामलों में सरकार आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप की शक्तियां ग्रहण करे। इसका यह मतलब तो नहीं कि हम औद्योगिक क्षेत्र में अराजकता के हामी हैं। ऐसे आरोप लगाना बड़ा अनुचित है।

सरकार इतनी व्यापक शक्तियां ग्रहण कर रही है। इसका अर्थ है कि समवाय विधि प्रशासन के लिये इतनी शक्तियां ग्रहण की जा रही हैं। आज सरकार शासनदल के हितों से स्वतंत्र नहीं हो सकती। सरकार और शासक दल लगभग एक ही हैं। अब इस बात की क्या गारन्टी है कि समवाय विधि प्रशासन शासकदल के राजनीतिक हित नहीं साधेगा ?

समवाय विधि में इतने अधिक दण्डों की व्यवस्था है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनकी पकड़ में कोई भी उद्योगपति नहीं आता। बस केवल एक मूंदड़ा को सरकार ने देखा कि वह शरारतें करता है और उसके खिलाफ सारी व्यवस्थायें लागू कर दी गईं। उस पर मुकदमों की भरमार हो गई। लेकिन हमारे देश में जो दर्जनों मूंदड़ा हैं, वे क्यों समवाय विधि प्रशासन की पकड़ में नहीं आते ? इसका कारण यही है कि सरकार खुद इन व्यवस्थाओं को लागू नहीं करना चाहती। उस तरफ से आंखें मूंद लेती है। इसीलिये कि उद्योगपति कांग्रेस को चन्दा देते हैं। और इसी के लिये उद्योगपति कांग्रेस को चन्दा देते हैं।

इसीलिये मेरा सुझाव है कि समवाय विधि प्रशासन को सरकार के अधीन न रखा जाये। उसे एक संविहित आयोग का रूप दे दिया जाये। तब शासक बल उसे प्रभावित नहीं कर पायेगा।

मैं शासक दल को एक चेतावनी देना चाहता हूं। यह चेतावनी सभी दलों के लिये है। हर दल को जनता से मिलने वाले चन्दों पर ही निर्भर करना चाहिये। यदि जनता किसी दल को चन्दा देने के लिये तैयार नहीं हो, तो उस दल को उसका परिणाम भुगतना चाहिये। महात्मा गांधी को तो कभी भी चन्दे की कमी नहीं पड़ी। व्यक्तियों के चन्दे और समवायों के चन्दे में जमीन आसमान का अन्तर है। गांधी जी ने स्वयं इन दोनों में विभेद किया था। कांग्रेस को भी इसके लिये साहस बटोरना चाहिये। उसे जनता से आशा करनी चाहिये। सभी दलों को जनता को ही आधार बनाना चाहिये।

यदि कांग्रेस समवायों से चन्दा लेगी, तो परोक्ष रूप से स्वीकार करेगी कि वह जनता से दूर जा पड़ी है। इसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा।

मैं इस विधेयक के पक्ष में नहीं हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : समवाय विधेयक पर हमारी चर्चा अब अपनी अन्तिम अवस्था में है ।

इस विधेयक से हमें पूरी तौर पर सन्तोष नहीं हुआ है । इसकी व्यवस्थाओं को कुछ और व्यापक रूप दिया जाना चाहिये था । फिर भी, यह एक अच्छा विधेयक है । विशेष लेखा-परीक्षा की व्यवस्था बड़ी अच्छी है । सरकार कुछ संशोधनों को आसानी से स्वीकार कर सकती थी । मजदूर आंदोलन के सभी नेताओं ने मांग की थी कि समवायों के बन्द होने की स्थिति में संबंधित मजदूरों को मिलने वाले छंटनी-प्रतिकर की अधिकतम सीमा १,००० रुपये से बढ़ाकर २,५०० रुपये की जानी चाहिये । सरकार ने इसको भी स्वीकार नहीं किया ।

पहले के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के सोल विक्रय अभिकर्त्ता बन जाने के संबंध में विधि की कुछ त्रुटियां दूर करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन सरकार यह चाहती है कि तीन वर्ष की अवधि में भी पहले के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को सोल विक्रय अभिकर्त्ता नियुक्त किये जाने चाहियें । इसमें हमें सावधानी से काम लेना चाहिये, इसलिये कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता लोग बड़े चालबाज़ होते हैं ।

श्री रंगा ने समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों का प्रश्न भी उठाया था । इस पर काफी बहस हो चुकी है, इसलिये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा । कल श्री अशोक मेहता ने एक वक्तव्य दिया था और माननीय मंत्री ने उसका खंडन किया था । मैं जानना चाहता हूं कि उसमें तथ्य क्या हैं ? सरकार को उसके संबंध में तथ्य इकट्ठे करने और सभा के सामने रख देने चाहियें । हम जानना चाहते हैं कि यह बात कहां तक सच है कि १९५७ के चुनावों के समय ५० समवायों ने कुल मिलाकर २ करोड़ रुपये का चन्दा कांग्रेस को दिया था ।

माननीय मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कल कहा था कि यदि चन्दा लेने का अधिकार केवल व्यक्तियों को दे दिया जाये, तो भी वे किसी न किसी बहाने समवायों की निधियों से उन चन्दों की राशि निकाल लेंगे, और विधि को नाकाम बना देंगे । यदि परिस्थिति वास्तव में इतनी ही बिगड़ी हुई है, तो उसे ठीक किया जाना चाहिये । श्री रंगा ने इसके कुछ और भी पहलू हमारे सामने रखे हैं । उन पर बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

हम श्री रंगा की इस बात से सहमत नहीं कि समवाय विधि प्रशासन बिल्कुल अक्षम है । वह काफी सक्षम संगठन है और उसके प्रतिवेदनों से हमें बड़ी मदद मिलती है । हां, यह जरूर है कि उसने कभी-कभी वह तत्परता नहीं दिखाई जिसकी उससे आशा थी । लेकिन यदि समवाय विधि प्रशासन को संसद् का नैतिक समर्थन और सरकार का इशारा मिल जाये, तो उसमें तत्परता आ जायेगी । और तब वह कर अपवंचकों को चुन-चुन कर सामने लाता जायेगा ।

हमें अर्जनकारी सामान, धन-दौलत जमा करने वाले समाज के विरुद्ध लड़ने के लिये समाजवाद ने ही प्रेरणा दी है । हम उसके स्थान पर समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं श्री मसानी उसके स्थान पर समाजवाद नहीं, बल्कि समृद्धिशील समाज लाने की बातें करते हैं । हमें उससे कोई विरोध नहीं यदि वह समृद्धि वास्तविक हो और समूची जनता के लिये हो । हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिले । मैं मानता हूं कि यह विधेयक समाजवादी समाज की ओर कोई बड़ा या महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन उसकी ओर थोड़ा इशारा तो करता है ।

अब देश के पूंजीपतियों को अपना धन समाज सेवा के कामों में लगाना चाहिये । उनमें कुछ बड़े योग्य व्यक्ति हैं । उनको समाज की सेवा करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब समय आ गया है कि देश के सभी वर्गों को एक होकर मिलकर देश का विकास करने में जुटना चाहिये। श्री मसानी से मेरी अपील है कि वह अपनी प्रतिभा इसी दिशा में लगायें।

वर्तमान अर्जनकारी समाज से लड़ने के लिये हमें कुछ वैधानिक कार्यवाही भी करनी पड़ेगी। यह विधेयक हमें उस दिशा में थोड़ा सा ही सही, कुछ तो आगे बढ़ाता है। यह दूसरी बात है कि इसमें त्रुटियां हैं और इससे हमें पूर्ण सन्तोष नहीं है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

†**श्री सोमानी** (दौसा): अब इस अवस्था पर, मैं इस विधेयक का ब्यौरेवार विश्लेषण नहीं करना चाहता। १९५६ के अधिनियम ने पहले ही सरकार को पर्याप्त शक्तियां दे रखी थीं। इस विधेयक ने उनको अधिक व्यापक बनाने के साथ ही, कुछ नयी शक्तियां भी देने की व्यवस्था की है। यह विधेयक शास्त्री समिति की सिफारिशों से भी आगे बढ़ गया है।

हमारे देश में बड़ी संख्या में छोटे और मझोले दर्जे के समवाय बन रहे हैं। समवाय विधि प्रशासन को उनका पथ प्रदर्शन और उनकी सहायता करनी चाहिये। ऐसे समवायों को इस विधेयक की जटिल व्यवस्थायें समझने और पालन करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही विभिन्न प्रादेशिक केन्द्रों को भी अधिक कार्य क्षम बनाना चाहिये। उनको विशेषज्ञों की सलाह मिलती रहनी चाहिये।

समवाय विधि प्रशासन को कदाचारों और गड़बड़ी के उन मामलों पर ही अधिक समय खर्च करना चाहिये जो वास्तव में गम्भीर किस्म के हों, छोटे-मोटे और प्रविधि से संबंध रखने वाले मामलों पर नहीं। १९५६ के अधिनियम के प्रशासन के बारे में कोई भी ऐसी बड़ी शिकायत नहीं आई कि लोगों को तंग किया गया। अब चूंकि और भी अधिक व्यापक शक्तियां ग्रहण की जा रही हैं, इसलिये समवाय विधि प्रशासन को इस मामले में पहले से अधिक सतर्क रहना चाहिये।

सरकार द्वारा इतनी व्यापक शक्तियां ग्रहण करने का एक परिणाम यह हो रहा है कि विदेशी समवाय कुछ आशंकित हो रहे हैं। इस समय हमें विदेशी मुद्रा की बड़ी आवश्यकता है, इसलिये हमें विदेशी विनियोजनों को आकर्षित करने की कोशिश करनी चाहिये। समवाय विधि विभाग को ऐसी स्वस्थ परम्परायें बनानी चाहियें कि विदेशी समवाय आशंकित न हो पायें। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि अवक्षयण निधि के लिये उचित राशि रखे बिना समवाय लाभांश की घोषणा नहीं कर सकेगा। प्रशासन को इस शक्ति का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इसके कारण उत्पादक उपक्रमों के लिये पूंजी-निर्माण की प्रक्रिया में बाधा न पड़ पाये। पूंजी-निर्माण के लिये उचित वातावरण बनाने के लिये कभी-कभी यह भी जरूरी होगा कि अवक्षयण के लिये पर्याप्त राशि न रख पाने पर भी लाभांश घोषित किया जाये।

इसी प्रकार, अन्तर समवाय विनियोजनों या विक्रय अभिकर्त्ता करारों के संबंध में जो शक्तियां हैं, उनका प्रयोगा भी ऐसे ढंग से किया जाना चाहिये कि समवायों को तंग न होना पड़े।

समवायों के सही किस्म के कामों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

सरकार को तमाम तरह की मंजूरियां देने में लालफीताशाही नहीं चलानी चाहिये। अभी कल ही योजना आयोग के उप सभापति, श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने अपने एक भाषण में कहा है कि दो योजनाओं का हमारा अनुभव यह है कि योजनाओं की कार्यान्विति के लिये अपनी प्रशासकीय कार्य-क्षमता और ईमानदारी बढ़ाना बड़ा आवश्यक है। समवाय

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सोमानी]

विधि प्रशासन को संयुक्त स्कंध उपक्रमों के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योग देना है, इस लिये उसे भी इतनी ही कार्य-क्षमता दरकार है ।

निबटारे में विलम्ब होने से, यहां के समवाय ही नहीं, विदेशी विनियोजकों के दिमाग़ में भी बड़ी आशंकायें रहती हैं। अधिकांश सरकारी विभागों में लालफीताशाही चलती है । इसका हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है । विदेशी विनियोजकों के प्रस्तावों पर विचार करने में बड़ा विलम्ब होता है ।

समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों के प्रश्न पर मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । मैं सिर्फ एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, जिसका श्री त्यागी जी ने कल जिक्र किया था। उनको ग़लतफहमी यह है कि चीनी और सूती कपड़ा उद्योगों पर एक अनिवार्य उपकर जैसा लगा दिया गया था कांग्रेस के लिये चन्दा इकट्ठा करने को । मुझे इसकी थोड़ी जानकारी है ।

मंत्रियों का तो इस से कोई संबंध ही नहीं । कांग्रेस के कुछ समर्थक अपनी इच्छा से उन समवायों के पास कांग्रेस के लिये चन्दा लेने गये थे। यह सही है कि चन्दे की राशि को एक मोटे तौर पर इस आधार पर निर्धारित किया गया था कि किस मिल का उत्पादन कितना है। कुछ सूती कपड़ा मिलें ऐसी भी थीं, जिन्होंने एक पाई भी नहीं दी थी। इसलिये उसे अनिवार्य उपकर कहना ग़लत है ।

यदि लोग चाहते हैं कि चुनावों पर बड़ी-बड़ी रकमें खर्च न की जायें, तो उस के लिये चुनाव की प्रक्रिया को संशोधित करना चाहिये । लेकिन जब तक चुनावों पर बड़ी-बड़ी राशियां खर्च करने की व्यवस्था है, तब तक चन्दा इक्ट्ठा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये।

अमरीका में यह व्यवस्था है कि राजनीतिक पार्टियों को अनिवार्यतः अपने चन्दों का हिसाब प्रकाशित करना पड़ता है । यह व्यवस्था बड़ी अच्छी है । जनता को पता चल जाता है कि किस दल को कहां से रुपया मिला है । लेकिन समवायों से मिलने वाले चन्दों पर प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा अनुचित होगा ।

अब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना का समारम्भ करने जा रहे हैं। तृतीय योजना में निजी क्षेत्र में औद्योगीकरण का काफी बड़ा कार्य-क्रम सम्मिलित है । इसलिये अब हमारे देश में हजारों नये-नये समवाय खड़े होंगे। समवाय विधि प्रशासन का यह दायित्व होगा कि उन समवायों की प्रगति में कोई बाधा न पड़े। उसे उद्योगों की आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मुझे प्रसन्नता है कि सभा ने संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को लगभग उसी रूप में स्वीकार कर लिया है । समवाय अधिनियम १ अप्रैल, १९५६ से लागू किया गया था। उस के लगभग एक वर्ष बाद ही उस के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए शास्त्री समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति की सिफारिशों और समवाय विधि विभाग के सुझावों के आधार पर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक की विशेष बातें यह हैं, विशेष लेखा परीक्षा, "इन्टरलाकिंग" तथा अंशों के सट्टेबाजी के बारे में उपबंध, मैनेजिंग एजेन्ट आदि की प्रथा को ख़त्म करना आदि आदि ।

---

†मूल अंग्रजी में

इस में असार्वजनिक समवायों के विशेषाधिकारों को भी कुछ कम किया गया है परन्तु अब भी इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें काफ़ी उन्मुक्तियां दी गई हैं। यदि इन समवायों ने उचित रूप से व्यवहार नहीं किया तो संभवः है इन विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कम करने के लिये सरकार को फिर एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ जाये ।

श्री रंगा ने इस के बारे में बताया कि सरकार को समवाय के निजी कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब वह ज़माना बीत गया है जब सरकार देश के सार्वजनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। अब तो सरकार देश के सभी लोगों की दैनिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण करने के भी अधिकार लेती है । उन्हें समझना चाहिये कि हमारी आयोजित अर्थ-व्यवस्था है । पहली और दूसरी योजनाएं समाप्त हो गई हैं और तीसरी योजना आरम्भ होने को है । इसलिए आवश्यक है कि उद्योग और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण हो।

मेरे विचार से खण्ड ६८ में कोई बात ग़लत नहीं है । समवाय जो चाहें राजनैतिक दलों को दे सकते हैं। सरकार की करारोपण नीति के कारण ऐसे थोड़े से ही लोग बचते हैं जो राजनैतिक दलों को अथवा पूर्त संस्थाओं को कुछ धन दे सकें । और यह अब संभव नहीं है कि हम पहले की तरह दरवाज़े-दरवाज़े पर जा कर दलों के लिए चंदा इक्ट्ठा करें । इसलिए ऐसी व्यवस्था होना आवश्यक है कि समवाय अपनी इच्छा से दलों को जो चाहें दे सकें ।

कल, मेरे मित्र श्री त्यागी ने कहा कि इस से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं समझता हूं कि आज सार्वजनिक जीवन में बहुत भ्रष्टाचार है और सरकार को इस के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। परन्तु मैं नहीं समझता कि राजनैतिक दलों को अंशदान मिलने के कारण भ्रष्टाचार अधिक फैलेगा।

श्री रंगा ने बताया कि राजनैतिक दलों के विचार, कार्यक्रम अलग होने पर भी वह सब इस मामले में एक मत हैं कि समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान देने का उपबन्ध नहीं बनाया जाना चाहिए। केवल कांग्रेस को नीचा दिखाने के उद्देश्य से सभी विरोधी दल एक मत होकर इस उपबन्ध का विरोध करते रहे मालूम होते हैं क्योंकि और किसी बात पर या नीति पर तो उन में कोई समझौता हो नहीं पाता।

मैं बताना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस ही अंशदान नहीं लेगी अपितु अन्य सभी दल भी अंश दान ले सकेंगे ।

इस विधेयक के द्वारा प्रशासन को दिए गए अधिकारों की वृद्धि की जा रही है । मैं समझता हूं कि इन अधिकारों के कारण समवाय विधि-विभाग समवायों का उत्पीड़न नहीं करेगा। जब समवाय अधिनियम संसद् में पारित हुआ था उस समय, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख ने कहा था कि इस विभाग पर समवाय अधिनियम के प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है अपितु समवायों से संबंधित अन्य संस्थाओं जैसे स्टाक एक्सचेंज, वित्तीय निगमों आदि के प्रशासन की भी जिम्मेदारी इस पर है । सरकार को उन के इन शब्दों को भूल जाना नहीं चाहिए और अब इस प्रकार के उपबन्ध बनाने चाहिएं जिस से स्टाक एक्सचेंज जैसी संस्थायें समवाय विधि-प्रशासन के अधीन आ जायें ।

[श्री अ० चं० गुह]

हम वित्तीय प्राधिकारों तथा आर्थिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि उद्योगों आदि के विकास के अवसर कम पूंजी वाले व्यक्तियों को मिलें । इसलिए मेरा सुझाव है कि समवाय विधि प्रशासन कम पूंजी वालों की सहायता करें जिस से कम पूंजी वाले व्यक्तियों को उद्योगों में शामिल कराने की सरकारी नीति लागू हो सके ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके द्वारा समवायों का सुप्रबंध तथा लेखों को अच्छी तरह रखने की व्यवस्था की जा रही है । यह आवश्यक है कि समवायों में इस के अनुसार काम हो क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा होने से व्यक्ति में काम करने का उत्साह बढ़ता है ।

राजनैतिक दलों को अंशदान दिए जाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया । मैं विरोधी पक्ष को बताना चाहता हूं कि इंगलैंड में भी व्यापारी कंज़रवेटिव पार्टी को अंशदान देते हैं क्योंकि उनकी नीतियां समान होती हैं और लेबर पार्टी को लेबर यूनियनों से अंशदान मिलते हैं क्योंकि उनकी नीतियां समान होती हैं। परन्तु अभाग्यवश भारत में हमारे सामने वाणिज्य तथा उद्योग को स्थिर करने का प्रश्न है और इंगलैंड के समान केवल समान दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं है ।

भारत में मुख्य दल दो हैं। एक कांग्रेस तथा दूसरा साम्यवादी। शेष दल इस मामले में महत्वहीन हैं। कांग्रेस का पिछले कई वर्षों से शासन है और देश में स्थिरता लाने में वह सफल हुई है । सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रगति हुई है । उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिये स्थिरता आवश्यक है और यदि समवाय कांग्रेस को चंदा देते हैं तो इस लिये कि कांग्रेस के होने से देश में स्थिरता भी बनी रहेगी।

मेरा सुझाव है कि उद्योग आदि के विकास के तरीकों का पता लगाने के लिये एक गवेषणा विभाग बनाया जाना चाहिये ।

†**श्री दामानी** (जालोर) : मैं शास्त्री समिति तथा संयुक्त समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक की कमियां दूर करने के लिये बड़ा परिश्रम किया है । परन्तु उपबन्धों में इन कमियों को दूर करने में जो संशोधन किये गये हैं वह इस प्रकार के हैं कि उनसे कठिनाइयां बढ़ने की आशंकायें अधिक हैं ।

मैं समझता हूं कि विशेष लेखारीक्षा का उपबन्ध होने से ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति केवल विरोध की भावना से प्रशासक को अथवा सरकार को विशेष लेखापरीक्षा के लिये लिख दें और समवाय को बेकार ही में तंग करें, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचायें । मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की शिकायत मिलने पर सरकार उसकी पूरी जांच कराये और तब विशेष लेखापरीक्षा के आदेश दें ।

इस समय लाभांशों की घोषणा अवक्षयण आदि को निकाल कर नहीं की जाती है । परन्तु इस विधेयक के पारित होने के बाद ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी । मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध नये तथा पुराने दोनों समवायों के लिये अहितकर होगा । इसलिये अनुरोध करता हूं कि इस धारा को उदारता से लागू किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

धारा ३६९, ३७०, ३७२ और २९५ एक समवाय की पूंजी दूसरे समवाय में लगाने के बारे में हैं। इन उपबन्धों को कठिन इसलिये बनाया जा रहा है क्योंकि दुरुपयोग के कुछ मामले सामने आये हैं। यदि इसकी जांच की जाये तो पता लगेगा कि इस पद्धति से उद्योगों के विकास में लाभ होता है। केवल ऐसा कुछ नियंत्रण लगाया जाना चाहिये जिससे पूंजी का दुरुपयोग न हो सके। इसके बारे में भी मेरा यही अनुरोध है कि इसको भी उदारता से लागू किया जाये जिससे देश के उद्योग के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके।

मैं समझता हूं कि प्रबन्धक की नियुक्ति तथा उसकी पुनःनियुक्ति के लिये भी सरकार की अनुमति लेने के उपबन्ध से हानि होने की संभावना है। इसलिये इसको लागू करने में भी उदारता बरती जानी चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की कुछ व्यवस्थाओं का मैं स्वागत करता हूं। खास तौर से स्पेशल आडिट के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है, वह स्वागत करने योग्य है। मैं समझता हूं इस व्यवस्था से कम्पनियों को जनता के हित में चलाने में सहायता मिलेगी और जनता को लाभ होगा।

परन्तु मुझे दुःख है कि इस सदन में काफी वाद-विवाद के बावजूद भी सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्था करने को सहमत नहीं हुई जिससे देश का राजनीतिक जीवन शुद्ध और पवित्र बन सकता। मेरा मतलब राजनीतिक पार्टियों को तथा राजनीतिक कार्यों के लिये कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों से है। मुझे दुःख है कि बार-बार सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में जो व्याख्यायें की गई हैं वे देश की जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल नहीं होंगी कि आज का शासक दल कम्पनियों से चन्दे लेने का इच्छुक नहीं है या वह देश में कोई ऐसा पवित्र राजनीतिक जीवन प्रारम्भ करना चाहता है जिससे कोई कितना ही छोटे से छोटा दल या पार्टी क्यों न हो वह भी शासकीय पार्टी के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में अपनी इच्छाओं को तथा अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकती है। खास तौर पर ऐसे समय में जबकि देश गरीबी के दौर में से गुजर रहा है, अच्छा होता अगर सरकार इस बात का प्रयत्न करती कि राजनीतिक पार्टियां चुनावों में कम खर्च करें। यह दलील देना कि चूंकि चुनावों में बहुत अधिक खर्च होता है और चूंकि अकसर मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोग चुनाव में खड़े होते हैं जोकि चुनाव का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टियों के लिये हमें ऐसी व्यवस्था रखनी पड़ी है, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आज की पृष्ठभूमि में यह कोई उचित दलील नहीं है। अब जबकि सरकार ने यह तय कर लिया है कि राजनीतिक पार्टियां कम्पनियों से चन्दा ले सकती हैं तो सरकार को चाहिये कि वह यह व्यवस्था करे कि कम से कम ऐसे चन्दों पर इनकम-टैक्स जरूर लिया जाये। मुझे डर है कि जो आजकल व्यवस्था है उसके मुताबिक उस चन्दे को जो राजनीतिक दल को दिया जाता है या जो राजनीतिक कार्यों के लिये दिया जाता है, उसे व्यापार चलाने के कार्य में खर्च किया हुआ माना जा सकता है और इस दृष्टि से कोई भी खर्च जो व्यापार को बढ़ाने में या व्यापार-कार्य चलाने के लिये खर्च किया जाता है, इनकम-टैक्स से बच सकता है और व्यापार के खर्चे में आ सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस स्टेज पर यह आश्वासन दे कि जो चन्दे राजनीतिक पार्टियों को दिये जायेंगे उन पर इनकम-टैक्स जरूर लिया जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जबकि यह मान लिया गया है कि राजनीतिक पार्टियों को चन्दे दिये जा सकते हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी भी आ जाती है, इस वास्ते उसे भी और साथ ही क्योंकि आज उसकी सरकार है, इसलिये सरकार को भी इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि क्या यह उचित नहीं होगा कि समस्त राजनीतिक पार्टियों को चाहे

[श्री ब्रजराज सिंह]

वे किसी भी विचार धारा की क्यों न हों, इस बात के लिये बाध्य किया जाये कि वे साल में एक बार अपना सारा हिसाब किताब छापे और उसमें बतायें कि उन्हें कहां से कितना रुपया प्राप्त हुआ है, किस तरह से उसको खर्च किया है और बाकी क्या बचा है। अगर इस तरह की व्यवस्था किसी तरह से सरकार कर सके तो उस प्रश्न का भी जवाब आ जायेगा जो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की ओर से इस सदन में बहस के दौरान में उठाया गया है और बार-बार दूसरे सदस्यों की तरफ से कहा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां मुल्क में इस तरह की हैं जो विदेशों से कुछ रुपया प्राप्त करती हैं, कोई पूर्व से करती हैं, कोई पश्चिम से करती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देश की जनता के लिये बहुत भयानक चीज है और इस तरह की बातों की अनुमति नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर ऐसा होता है और सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना सकती है, जैसा कि बहस के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शायद कानून द्वारा यह नहीं किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज को जनमत के द्वारा जरूर रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिये। लोगों को इस बात का पता चलना चाहिये कि कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो विदेशों से चन्दे ले कर अपनी कार्रवाईयों को हिन्दुस्तान में चलाती हैं। यह तभी सम्भव हो सकता है जब सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हो, अपनी पार्टी को उसमें शामिल करते हुए कि जनता को बतलायें कि कितने चन्दे कहां से मिले हैं और किस तरह से खर्च हुए हैं और इस तरह का सालाना हिसाब किताब छापे और जनता को उसको देखने का अधिकार दे। अब जबकि धारा ९८ के अन्तर्गत पार्टियों को कम्पनियों से चन्दे लेने की अनुमति दे दी गई है, कम से कम देश के राजनीतिक जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजनीतिक पार्टियों को वह बाध्य करे, यदि यह कानून द्वारा हो सके तो कानून बना कर और अगर कानून द्वारा न हो सकता हो तो, कांग्रेस पार्टी के सब से बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते, कि वह दूसरी पार्टियों को इस बात के लिये सहमत करे कि जो भी चन्दे उन्हें मिलते हैं, चाहे वे किसी भी साधन से क्यों न मिलते हों, उन सब को वे हिन्दुस्तान की जनता के सामने रखें और जनता की सूचनार्थ उनको प्रकाशित करें, और यह करवा सकना उसके लिये कठिन भी नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो लोग जान सकेंगे कि कौन लोग कैसे हैं, किस वर्ग के हैं और किस वर्ग के हितों की कितनी रक्षा कर सकते हैं या करना चाहते हैं। सम्भवतः श्री रंगा और श्री भसानी की पार्टी को छोड़ कर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां यह मानती हैं कि देश में समाजवाद कायम होना चाहिये, लेकिन किस तरह का समाजवाद कायम करना है, क्या सीमा है, क्या परिभाषा है, इसके बारे में मतभेद रहता है। यह मतभेद कहां तक रहता है, किन-किन के बारे में है यह तभी पता चल सकता है जबकि राजनीतिक पार्टियों की पृष्ठभूमि, उनकी परम्परा, उनको चन्दे कहां से मिलते हैं और किस तरह से खर्च होते हैं, इस सब का पता जनता को चले और जब तक इस सब का पता नहीं चलेगा, जनता में गलतफहमी बनी रहेगी। इस वास्ते इस गलतफहमी को दूर करना बहुत आवश्यक है। इस वास्ते मैं आशा करता हूं कि कानून द्वारा और कानून द्वारा नहीं हो सकता है तो शासकीय पार्टी होने के नाते विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की सहमति के द्वारा उसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे राजनीतिक पार्टियां अपने उन साधनों को जनता के सामने रख सकें जिन साधनों से कि उनको रुपया मिलता है।

आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। यह कहना कि राजनीतिक पार्टियां अगर कम्पनियों से चन्दा नहीं लेंगी तो चल नहीं सकती हैं, सही नहीं है। व्यक्तियों को

हमेशा आजादी रहती है कि वे चन्दे दे सकते हैं। लेकिन दूसरों के पैसों में से चन्दे देना और बिना उनकी सहमति के देना कहां तक मुनासिब है, यह विचारणीय विषय है। यह साफ है कि हमेशा पूरे शेयरहोल्डर, कभी किसी काम के लिये पहुंच नहीं सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं। कुछ लोगों को ही चन्दे देने का अधिकार दे देना, मैं समझता हूं गलत बात है। लेकिन अब इस चीज को मान लिया गया है, इस वास्ते इसको बदला नहीं जा सकता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि सरकार जो व्यवस्था कर चुकी है, उस व्यवस्था की प्रगति की रिपोर्ट हर साल सदन में पेश होनी चाहिये और उसमें यह बताया जाना चाहिये कि देश में कितनी कम्पनियां थीं, कारपोरेट बाडीज थीं जिन्होंने चन्दे राजनीतिक पार्टियों को दिये और किस-किस राजनीतिक पार्टी को कितने कितने चन्दे दिये। अगर सरकार इस सुझाव को मान लेगी तो देश की जनता को यह जानने का अवसर मिल सकेगा कि कितने चन्दे कौन पार्टियां पा रही हैं और किन-किन कम्पनियों से पा रही हैं। दो तीन साल की प्रगति को देखने के बाद सरकार इस बात को मान सकती है कि राजनीतिक पार्टियों को चन्दे कम्पनियों को देने की आजादी नहीं होनी चाहिये और न ही राजनीतिक पार्टियों को हक होना चाहिये कि कम्पनियों से चन्दे ले सकें। उस समय वह इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर सकती है और अगर समझे तो जो व्यवस्था की गई है उसे खत्म भी कर सकते हैं।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मैं ने यह देखा है कि इस प्रकार की विधियों को लागू करने में बड़ी कठिनाई होती है। और प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। मैं आशा करता हूं कि प्रशासन तथा मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस विधेयक को उचित प्रकार से लागू किया जाये।

इस विवाद में माननीय सदस्यों ने तीन प्रकार के दृष्टिकोण रखे हैं। एक पक्ष समवायों पर अधिक नियंत्रण चाहता है। दूसरा नियंत्रण नहीं चाहता तथा तीसरा विधि की क्रियान्विति में सावधानी चाहता है। सरकार ने भी तीसरे पक्ष के विचारों को अपनाया है।

सभा में सोल सैलिंग एजेन्टों के बारे में खण्ड ९९ पर बहुत चर्चा हुई है। श्री मसानी ने इसके बारे में कहा है कि इस खण्ड के द्वारा समवायों के कामों में सब से अधिक हस्तक्षेप होगा। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो नियंत्रण लगाया है वह अन्य देशों जैसे ब्रिटेन अथवा अमरीका की तुलना में बहुत कम है। यद्यपि मैं समवाय प्रशासन के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूं परन्तु जो भी मेरी जानकारी हैं उस के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सोल सैलिंग एजेन्ट, कमीशन के रूप में, बहुत लाभ उठाते हैं। इसलिए उन पर नियंत्रण आवश्यक है या ऐसी व्यवस्था बनाना आवश्यक है जिस से वह अधिक लाभ न उठा पायें।

समय-सीमा के बारे में मेरा विचार था कि इसको तीन वर्ष किया जाये। श्री मुरारका द्वारा यह कहे जाने पर कि इस अवधि को बढ़ा कर पांच वर्ष से दस वर्ष कर दिया जाये, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। संभव है कुछ कठिनाइयां सामने आएं परन्तु मैं समझता हूं कि यदि समवाय विधि प्रशासन ठीक प्रकार से काम करेगा तो सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इसलिए प्रशासन को ही अच्छी प्रकार से दृढ़ हो कर काम करना चाहिए।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की ज्वायेंट कमेटी की रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ हम काननी रूप देने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, सिर्फ आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों को चलाने के लिये गांधी जी ने यह बतलाया था कि उन के संचालक एक ट्रस्टी के तौर पर उद्योगों को चलायें । अब आप ने यह देखने का अधिकार प्राप्त कर लिया है कि दरअस्ल उद्योगों के संचालक उन को ट्रस्टी के रूप में चलाते हैं या नहीं । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हालांकि कम्पनी ऐक्ट में काफी अधिकार आप को दिये गये हैं, लेकिन आप का कम्पनी एक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना लूज रहा कि उस पर जितनी एफेक्टिव तौर पर अमल होना चाहिये था उतना आप नहीं कर पाये और पिछले वर्षों में इसका इतना बुरा परिणाम आया है जिस से देश को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है ।

हमारे लिये उद्योग ऐसी चीज है जिस के द्वारा हम अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों का लिविंग स्टैन्डर्ड काफी ऊंचा उठा सकते हैं और उद्योग धन्धों को काफी सहूलियात दे सकते हैं । प्रोडक्शन बढ़ाना, उस की क्वालिटी सुधारना, लोगों को एम्प्लायमेंट देना, यह सारी की सारी बातें इस कम्पनी एक्ट के अन्दर बहुत हद तक आ जाती हैं । जैसा कि आप ने अपनी स्पीच में कहा था कि कम्पनियों को किसी प्रकार की हानि न पहुंच सके, इस के लिये स्पेशल आडिटर की भी गुंजाइश कर दी गई है । मैं तो यह देखना चाहता हूं कि जो स्पेशल आडिटर का क्लाज है, उस पर आप कहां तक अमल करते हैं । हमारे सामने यह बड़ी भारी चीज़ है । दरअस्ल अगर आप अपने कम्पनी एक्ट पर अमल करते हैं, तो मैं यह मानता हूं कि जो आप की योजनायें हैं, उन्हें आप पूरी तौर पर सफल कर सकेंगे । मैं नहीं चाहता कि अगर आज कोई कारखाना खड़ा है तो वह किसी भी हालत में बन्द हो सके । यह देखना आप का काम है कि अगर किसी ने पूंजी लगाई है, तो उसको नुक्सान न हो, उस की पूंजी सेफ रहे, हमारे उद्योग बढ़ें और हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लायमेंट लोगों को दे सकें । हालांकि इसके बारे में मेरा एक छोटा सा संशोधन था, लेकिन आप ने उसे माना नहीं । अगर आप ने अपने कम्पनी एक्ट पर पूरी तौर से अमल कराया तो मेरे संशोधन की या इस धारा की भी जरूरत नहीं है । मैं नहीं चाहता कि रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन का पैसा मिले । क्यों कोई कम्पनी वाइंड अप की जाय और किसे प्रायरिटी दी जाये और किसे नहीं, इस का मौका ही नहीं आना चाहिये ।

दूसरी बात पोलिटिकल पार्टीज को धन देने की थी । आप ने अपना क्लाज पास करा लिया है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप एक अलग पोर्टफोलियो रख कर इतना तो देखें कि कौन सी कम्पनियां इस तरह के कंट्रिब्यूशन दे रही हैं । सभी पार्टियां को, यहां तक कि विरोधी पार्टियों को भी यह सोचना चाहिये, कि जो कम्पनियां नुक्सान में चल रही हैं, जो बन्द होने वाली हैं और जो वेजेज नहीं दे रही हैं, प्राविडेंड फंड नहीं चुका रही हैं, कम से कम ऐसी कम्पनियों से एक भी पैसा पोलिटिकल पार्टीज न लें । ऐसी कम्पनियां चैरिटी भी न दें सकें क्योंकि चैरिटी भी बाद की चीज है, पहली चीज यह है कि कम्पनी फले फूले, आगे बढ़े, वह बेकारी पैदा न होने दे, प्रोडक्शन ठप्प न हो जाय । जो कारखाने बने हैं उन का विकास होना चाहिये, उन का प्रोडक्शन बढना चाहिये, क्वालिटी ठीक होनी चाहिये, सस्ता सामान लोगों को बेच कर वे कम्पनियां धन प्राप्त कर सकें और अपने लोगों को डिविडेंड भी दे सकें, मजदूरों को जो सहूलियात दे सकें, दें ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : इस विधेयक पर चर्चा के समय यह प्रश्न उठा कि संविधान के अधीन नागरिकों को दिये गए कुछ मूल भूत अधिकारों को एक समवाय में निहित माना जा सकता है और क्या समवाय एक नागरिक है । उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का फैसला करने में सर्वदा हिचकिचाहट की है । १९५५ में नागरिकता विधेयक पर विचार के समय भी इस प्रश्न को सभा में उठाया गया था । परन्तु सरकार ने उस समय कहा था कि इस प्रश्न को समवाय विधेयक पर चर्चा के समय पूछना अधिक उचित होगा । अब समय आने पर भी सरकार ने कुछ नहीं बताया है ।

मैं समझता हूं कि लोक समवायों द्वारा दिये जाने वाले अंशदानों के बारे में जो उपबन्ध बनाए गए हैं वे बिल्कुल ठीक हैं । और उन में सुधार की गुंजायश नहीं है । मुझे इसका आश्चर्य है कि श्री रंगा ने इस धारा का विरोध किया ।

†**श्री रंगा** : मैं ने किसी एक धारा का विरोध नहीं किया है । मैं तो इसका विरोधी हूं कि राज्य को इतने अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए ।

†**श्री नथवानी** : इस धारा का संशोधन करके हम उन अधिकार पर प्रतिबन्ध ही लगा रहे हैं इस कारण तो उन्हें इसका विरोध बिल्कुल ही नहीं करना था ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : धारा २९३ में राजनैतिक दलों को अंशदान देने का ज़िक्र नहीं है परन्तु अब हम उसमें स्पष्ट रूप से राजनैतिक दलों कों अंशदान देने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

†**श्री नथवानी** : मेरा तो ख्याल था कि "पूर्त अथवा अन्य प्रयोजनों" शब्दों में राजनैतिक कार्यों के लिये भी अंशदान देना आ जाता है । १९५५ में भी यह कहा गया था कि प्रशासन को ऐसे अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये क्यों कि ऐसा होने से देश को औद्योगीकरण में बाधा उत्पन्न हो जायेगी । परन्तु प्रसन्नता है कि ऐसा नहीं हुआ और समवाय का प्रशासन संतोषजनक रूप में हुआ ।

मेरा माननीय मंत्री से एक सुझाव है कि यह एक विशाल विधेयक है इसलिये इसके अधि-नियम बनने के तुरन्त बाद यदि सरकार पुराने उपबन्ध तथा उनमें किये गये संशोधनों को अलग से प्रकाशित करा दें तो समझने में आसानी होगी ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : संयुक्त समिति के सदस्यों ने कठोर परिश्रम करके इस विधेयक को जिस रूप में प्रस्तुत किया है उससे मेरा काम बहुत हल्का हो गया है । संयुक्त समिति ने जिस रूप में इसे प्रस्तुत किया था, सभा ने इस को लगभग उसी रूप में पारित कर दिया इससे स्पष्ट है कि सभा इन उपबन्धों से सहमत ही है ।

इस विधेयक के २१५ खण्डों में से तीन अथवा चार खण्ड ऐसे हैं जिन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि वह निगमों के प्रशासन के दृष्टिकोंण से बहुत महत्वपूर्ण हैं । मुझे प्रसन्नता होती यदि पारित किये गये संशोधनों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती । उदाहरण के रूप में यदि कुछ मामले सामने न आये होते तो खण्ड १३६ तथा १२० का संशोधन करना आवश्यक नहीं था । मैंने पूंजी मिलने तथा औद्योगिक प्रगति के बारे में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई शंकाओं का उत्तर दे दिया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि खण्ड १३६ के अधीन हमने जो अधिकार लिये हैं वह केवल इस कारण लिये हैं जिससे अन्तर समवाय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

विनियोजनों के बारे में ठीक बात का पता लगाने के लिये प्राधिकार प्राप्त हो सके। अंशधारियों की स्वीकृति से तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ऐसा विनियोजन करने की कोई सीमा निश्चित नहीं है, बशर्ते कि उद्देश्य सद्भावपूर्ण हो।

विशेष लेखापरीक्षा के बारे में सदस्यों में कुछ मतभेद है। मैं बताना चाहता हूं कि यह अधिकार निगमों को नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं लिया गया है। यह तो केवल तथ्यों को जानने के लिये लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस खण्ड के अधीन अधिकारों का उपयोग करने का अवसर नहीं आयेगा।

जैसा मैंने अभी बताया अधिकांश सदस्यों ने खण्डों का समर्थन किया है। मैं आशा करता हूं कि विनियमन करने वाले खण्डों को व्यवहार में नहीं लाया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि निगमों के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति तथा विनियोजक निगमों के कार्यवहन की नीति इस प्रकार बना देंगे जिससे अधिनियम के विनियमनकारी उपबन्धों का इस्तेमाल करने का मौका नहीं आयेगा।

मैं आयोग का आभारी हूं जिसके प्रतिवेदन पर इस विधेयक का संशोधन किया गया। वह प्रतिवेदन कितने ही महीनों तक कठिन परिश्रम करके बनाया गया था।

मैं जान बूझ कर उस खण्ड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूं कि उन तर्कों को प्रस्तुत करने का उचित स्थल वह है जब राजनैतिक दलों के विनियमन अथवा चुनाव और राजनैतिक कार्यवाही का विनियमन करने वाली संविधि पर विचार हो रहा हो। मैं यह समझता हूं कि इस उपबन्ध के द्वारा केवल अनुमति दी गई है क्योंकि निगम, व्यक्तियों के समान इतने उदार नहीं होते हैं।

श्री अशोक मेहता के प्रश्नों का उत्तर मेरे साथी दे चुके हैं। परन्तु फिर भी मैं सरकार द्वारा सूची सभा-पटल पर रखने के बारे में उन्हे बताना चाहता हूं कि निगमों, लोक समवायों के संतुलनपत्र सार्वजनिक सम्पत्ति होते हैं। उनको कोई भी देख सकता है तथा निर्णय कर सकता है। सरकार ही उनके अध्ययन की जिम्मेदारी क्यों ले।

यह कहा गया कि विधि का प्रशासन विधि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। और इसको इस प्रकार लागू किया जाना चाहिये जिससे राजनैतिक दल अपने को उत्पीड़ित न समझें। इस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि समवाय विधी प्रशासन के प्रतिवेदनों से यह पता लगेगा कि प्रशासन ने कभी भी ज्यादती नहीं की है। सच यह है कि इस सभा के सभी दलों ने इसके प्रतिवेदन पर चर्चा के समय प्रशासन की सराहना ही की है।

†**श्री रंगा** : क्या प्रतिवेदन में राजनैतिक दलों को दिये गये अंशदानों की सूचना भी हुआ करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं इस चीज़ को अधिक महत्व नहीं देता हूं।

समवायविधि प्रशासन के प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जाते रहेंगे। इस तथ्य से कि इस विधेयक पर विवाद के समय सभी सदस्यों ने सामग्री के लिये प्रतिवेदन का ही सहारा लिया है, पता लग जाता है कि विभाग अपने काम से सभा और देश को संतुष्ट कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रशासन समवायों और निगमों की सहायता करने में प्रयत्नशील रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रशासन पर काम का भार अधिक हो जाने के कारण यद्यपि इसको कर्मचारी और चाहियें थे परन्तु वर्तमान स्थिति में उनकी वृद्धि नहीं की गई।

उदाहरणतः अन्य देशों में भी इसी प्रकार के प्रशासन में १०० ० विशेषज्ञ रहते हैं परन्तु हमारे यहां केवल २५ विशेषज्ञ थे। मैं आशा करता हूं कि कुछ समय बाद हमारे पास विशेष जानकारी वाले अधिक व्यक्ति हो जायेंगे।

निगम प्रबन्ध से सम्बन्धित विभिन्न विधियों को समन्वित करने के बारे में मैं आशा करता हूं कि कुछ समय बाद सरकार इस प्रकार की प्रक्रिया बना सकेगी जिससे समन्वय हो सकेगा।

मैं संयुक्त समिति के सदस्यों, विभिन्न संस्थाओं जिन्होंने अपने दृष्टिकोण हमारे सामने रखे, मंत्रालय के तथा संसद् सचिवालय के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संयुक्त समिति के कार्य में इतने परिश्रम से काम किया है।

अन्त में मैं संयुक्त समिति के सभापति की सराहना करता हूं कि जिनके सद्प्रयत्नों तथा परिश्रम से हम यह काम पूरा करने में समर्थ हो सके हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, मैं गोविन्द बल्लभ पंत की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जब इस विधेयक को इस सभा में प्रस्तुत करने की बात उठी थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था लेकिन बाद में यह पुरस्थापित किया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें इस अधिनियम को और आगे जारी करने के लिए बार बार सदन के समक्ष आना पड़ता है। परन्तु सरकार भी इसके लिए बाध्य है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। मैं उन हालात पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। मेरा निवेदन है कि जब संविधान स्वीकार किया गया था तो अनुच्छेद २२ में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद् को निवारक नजरबन्दी कानून पारित करने का अधिकार होगा। आश्चर्य की बात यह थी कि संविधान के स्वीकार होने के तुरन्त एक मास बाद ही तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को निवारक नजरबन्दी विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा। उन्होंने इसकी आवश्यकता को बड़े यथार्थ तथा तथ्यपूर्ण ढंग से सदन के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हम चाहते थे कि इसे यहां न लाया जाये लेकिन सुरक्षा और जनहित की व्यवस्था के लिये उन्हें यह विधेयक यहां पारित करने के लिये प्रस्तुत करना पड़ा है। हमें भी इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिए चार पांच बार सदन के समक्ष आना पड़ा है। आज देखने वाली बात यह है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

कि जिन कारणों का उल्लेख सब से पूर्व इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्या उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है अथवा स्थिति वही है जो पहले थी ? देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमें उन सब कारणों पर विचार करना है। क्या देश में जन सुरक्षा को भंग करने वाली समाज विरोधी शक्तियां समाप्त हो गयी हैं ? आपको पता ही है कि देश के विभिन्न भागों में देश की सुरक्षा को कायम रखने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ा है।

गत बार जब इस उपरोक्त अधिनियम की अवधि बढ़ाने का विधेयक सदन ने पारित किया था तो गृह-कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस सम्बन्ध में पूरे आंकड़ सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी कि किस प्रकार यह अधिनियम पारित किया गया है और किन परिस्थितियों में राज्य सरकारों ने इस अधिनियम का प्रयोग किया है। अब हम इसके क्रियात्मक रूप पर संसद् के दोनों सदनों में चर्चा कर रहे हैं। इस अधिनियम की अवधि इस वर्ष के अन्त में समाप्त होने वाली है। हमने इस बारे में सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया है और सभी का यही मत है कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि इस अधिनियम की अवधि और तीन वर्ष तक के लिए बढ़ा दी जाए।

इस दिशा में दो बातें सब से अधिक विचारणीय हैं। प्रथम यह कि क्या इस प्रकार का कोई कानून होना चाहिये अथवा नहीं। दूसरा यह कि क्या गत वर्षों में इस कानून का अनुचित प्रयोग तो नहीं किया गया। अतः मैं भी इन बातों को ही अपने समक्ष रख कर इस विषय पर चर्चा करूंगा।

सर्व प्रथम बात तो यह है कि इस प्रकार का अधिनियम होना इसलिए जरूरी है कि इसके होते उदंड, कानून न मानने वाले तथा उच्छेदक तत्वों पर कुछ आतंक अवश्य रहता है और उन पर अवरोधक प्रभाव बना रहता है। यदि ऐसा न हो तो स्थिति को सम्भालना बहुत ही कठिन हो जाय और राज्य सरकारें उच्छेदक तत्वों का जो कि इधर उधर मिलते हैं मुकाबला करने में सफल न हो सकती। हमें यह याद रखना चाहिये कि केवल भारतीय दंड संहिता आदि जैसे दंड अधिनियम से इन तत्वों का सामना करना कठिन है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत इस प्रकार के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है क्योंकि इसके लिये भारत की संचित निधि से खर्च होगा। इसलिये इसके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है।

†**श्री दातार** : मैं इसका भी उत्तर दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोजाबाद) : जब तक औचित्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे दिया जाता मैं नहीं समझता कि हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां आवश्यक नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव ऐसी स्थिति में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप यह नहीं कह सकते कि यह पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। विधेयक पुर:स्थापना की स्थिति से निकल आया है, अत: हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए। अगर माननीय सदस्य उस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह आपत्ति उठा सकते हैं। मैं उस पर निर्णय दूंगा।

†**श्री मी० च० मसानी** (रांची पूर्व) : औचित्य प्रश्न का माननीय मंत्री उत्तर तो अवश्य दे सकते हैं लेकिन सभा आगे की कार्यवाही शुरू करे इससे पूर्व आपके निर्णय की जरूरत है।

†**उपाध्यक्ष** : **महोदय** माननीय मंत्री का कहना है कि वह इसका उत्तर देंगे अत: हमें उनकी बात सुननी चाहिये।

†**श्री दातार** : मैं कह रहा था कि इस प्रकार का विधान बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे समाज विरोधी तत्वों का ह्रास होगा। और हमने इस दिशा में राज्य सरकारों से भी परामर्श कर लिया है। उनका मत है कि इस अधिनियम की अवधि को लगभग तीन वर्ष के लिए और बढ़ा देना चाहिए। यही कारण है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार जो प्रथम बात मैंने कही थी उसके बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है इस पर काफी गर्मागर्म विवाद हो चुका है। यह कहा गया था कि यह अधिनियम उन मामलों पर भी लागू किया गया है जिन पर कि उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए था और इसका बहुत ही दुरुपयोग किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हुए इस बात का उत्तर दूंगा कि ऐसा नहीं किया गया। तोड़ फोड़ की अवस्था में इस अधिनियम का आश्रय लेना आवश्यक था। माननीय सदस्यों को इस अधिनियम के प्रयोग के बारे में सांख्यकीय जानकारी दी जा चुकी है। जैसा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी जानकारी से प्रकट होता है कि सरकार किसी प्रकार की भी उचित गतिविधियों को दबाने के लिये इसका प्रयोग नहीं कर रही। जो व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। गत तीन वर्ष अर्थात् १९५७–६० के दौरान में नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या केवल ५६९ रही है। उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसे एक वर्ष से अधिक समय की अवधि के लिए नजरबन्द रखा गया हो। एक जनवरी, १९६० को नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या सारे भारत में केवल ९६ थी। यदि इन आंकड़ों का और आगे विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि धारा ३(१)(क)(१) के अन्तर्गत केवल २२ मामले थे। इसी प्रकार धारा ३(१)(क)(२) के अन्तर्गत ५०० मामले थे जिनका सम्बन्ध देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाने का था। धारा ३(१)(क)(३) के अन्तर्गत केवल ४५ मामले थे और धारा ३(१)(ख) के अन्तर्गत केवल २ ही मामले थे।

प्रथम जनवरी, १९६० को जो केवल ९६ व्यक्ति नजरबन्द थे उनमें १४ बम्बई राज्य में थे और ५६ पश्चिमी बंगाल के। यह ही दो राज्य थे जहां कि नजरबन्दों की सब से अधिक संख्या थी। दोनों राज्यों की संख्या ७० हो जाती है जब कि सारी संख्या ९६ है। पश्चिमी बंगाल में जो ५६ व्यक्ति पकड़े गये थे उन में से ५४ आदतन गुंडे थे। इसी प्रकार बम्बई राज्य के १४ नजरबन्दों में से १३ गुंडे थे। इस बात को तो सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि गुंडापन को समाप्त करना तो सरकार का काम है ही। उसका तो हर हालत में उचित रूप से मुकाबला करना ही होता है। इस बात को सभी माननीय सदस्यों को देखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है जिसकी ओर कि आपका ध्यान जाना चाहिये कि बहुत लोग जो नजरबन्द किये गये उनके अपराध राजनीतिक नहीं हैं। राजनीतिक मामलों में नजरबन्द किये गय व्यक्तियों की संख्या बहुत ही नाममात्र है। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राज्य सरकारें साधारणतः इस कानून के उपबन्धों का आश्रय लेकर कार्यवाही नहीं करती। केवल इस विधान का उपयोग उसी समय किया जाता है जब कि यह बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। और वह भी देश की सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से। देश की सुरक्षा की रक्षा करने तथा गड़बड़ी करने वाले लोगों को दबाने के लिये जब कोई और मार्ग नहीं रह जाता तो इस विधान का प्रयोग किया जाता अन्यथा किसी और काम के लिये इसकी ओर नहीं देखा जाता। केवल इन्हीं दो कारणों के लिये इसका प्रयोग किया गया है।

गत वर्ष की बात लीजिये ३१-१२-१९५९ से लेकर ३०-९-१९६० तक कुल नजरबन्दों की संख्या १५३ थी। इसमें से ११६ मामले धारा ३(१) (क)(२) के अन्तर्गत थे। इस धारा के सम्बन्ध में मैं पहले बता चुका हूं।

धारा ३ (१) (क) (३) के अन्तर्गत केवल ३७ नजरबन्दी के मामले थे उनमें से भी आठ ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्बन्ध राजनीतिक दलों से था।

इन सब तथ्यों से यह प्रकट हो जाता है कि कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप कहां तक ठीक है कि इस कानून को कुछ विशेष राजनीतिक दलों की गतिविधियों को रोकने के काम में लाया जाता है। मेरा निवेदन है कि यह आरोप बिलकुल गलत और निराधार है। मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि राजनीतिक दलों की गतिविधियों को दबाने के लिये यह विधान बिलकुल प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। आपको पंजाब और आसाम की घटनाओं का पता है ही। पंजाब में काफी गिरफ्तारियां हुईं और वह करनी भी पड़ीं परन्तु निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत केवल एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया गया।

†**एक माननीय सदस्य** : मास्टर तारा सिंह।

†**श्री दातार** : आसाम में भी पहले पहल एक मामले में और बाद में सितम्बर में चार मामलों के लिए इस विधान का प्रयोग करना पड़ा। दिल्ली, मणिपुर इत्यादि में भी ऐसी ही बात है, जब तक मजबूरी सामने नहीं आई, इस विधान का प्रयोग नहीं किया गया। मणिपुर में एक बहुत गलत आन्दोलन चलाया गया। विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य ने वहां उत्तरदायी शासन की मांग की। यह मामला संसद् के सामने आना चाहिए, वही इसके बारे में कुछ निर्णय करने का अधिकार रखती है। माननीय सदस्य इस उद्देश्य के लिए यहां अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे। हमारे अनुसार तो वहां वस्तुतः ही उत्तरदायी सरकार है क्योंकि मणिपुर राज्य के मामलों पर इस सभा तथा दूसरी सभा के सदस्य चर्चा कर सकते हैं। परन्तु उन्होंने वहां के प्रशासन की इस मांग को मानने के लिए मजबूर करना चाहा। अतः हमें वहां मजबूर होकर आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर नजरबन्द करना पड़ा। २३८ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ी। २१५ लोग क्षमा याचना करने पर छोड़ दिये गये। ७४ पर मुकदमा चल रहा है। अन्ततोगत्वा आन्दोलन असफल हो गया। इस मामले में भी हमने केवल ८ ही व्यक्तियों के मामले को इस कानून के अन्तर्गत लिया है क्योंकि हम इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा निवेदन है कि जिन परिस्थितियों का मैंने उल्लेख किया है यदि माननीय सदस्य उसका ध्यान से अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही हमने इस विधेयक को प्रस्तुत करने का साहस किया है। एक ओर हम विकास परियोजनाओं को प्रत्येक स्थान पर चालू कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। दूसरी ओर हमें यह भी देखना है कि जो लोग कानून को हाथ में लेकर गड़बड़ करने पर तुले हुए हैं उन्हें भी नियन्त्रण में रखा जाय। इसी कारण मजबूर होकर हमें यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा है। अतः हमें दोनों ओर पूरी सावधानी से काम करते हुए सचेत रहना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखने का प्रयत्न किया जाता है कि देश के विकास कार्यक्रम में जहां तक सम्भव हो कोई रुकावट पैदा न हो और ये कार्य बराबर प्रगति की ओर बढ़ता रहे। अतः ये परिस्थितियां हैं जिनके कारण हमने बाध्य होकर यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्तमान अवस्था में इस प्रकार के कानून का होना परमावश्यक है।

यदि सरकार चाहती तो वह इस कानून को स्थायी रूप दे सकती थी। उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों में बताया गया है कि यदि देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों का मामला हो तो मौलिक अधिकारों की कोई संगति नहीं रहती है। न्यायालयों ने यह भी कहा है कि इस कानून के अन्तर्गत सलाहकार बोर्डों की भी व्यवस्था है। १-१-१९६० से ३०-९-१९६० तक ८४ मामले सलाहकार बोर्डों को भेजे गये जिनमें से सलाहकार बोर्डों ने १५ नजरबंदियों को रिहा किया। यह न्यायिक व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण यह रहा है कि इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद १९ के विरुद्ध जिसमें कि कुछ मूलभूत अधिकारों का उल्लेख मिलता है नहीं समझा जाना चाहिए। जब कुछ समाज विरोधी तत्व अपना काम करने मैदान में निकल आये तो कार्यपालिका को इस सम्बन्ध में अपना समाधान करना ही पड़ता है। अर्थात् ऐसे लोगों को नजरबन्द करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं होता। केवल इतना ध्यान रखना होता है कि प्राप्त अधिकारों का अनुचित प्रयोग न किया जाय। कोई दुराशय वाली बात नहीं होनी चाहिए।

सलाहकार समितियां नजरबन्दों के मामलों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करती हैं और अधिनियम के अन्तर्गत वह नजरबन्द की सारी शिकायतें सुन कर और हालात का अनुमान लगाकर अपना स्वतन्त्र निर्णय देती हैं। निवारक निरोध अधिनियम के अधीन सलाहकार समिति का निर्देश सरकार को मानना ही होता हैं। इन सलाहकार बोर्डों के कहने पर जिन लोगों को रिहा कर दिया गया है, उनकी संख्या बहुत थोड़ी ही है। ऐसे मामलों की संख्या तो और भी कम है, जिन्हें उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालयों में ले जाया गया हो। मेरा निवेदन यह है कि यदि सारे हालात पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम को कभी भी अनुचित रूप में प्रयोग में नहीं लाया गया है। यह भी आप स्वीकार करेंगे कि आज के वातावरण को ध्यान में रखते हुए हमने जो तीन वर्ष के लिए इसकी अवधि को बढ़ाने के लिए कहा है वह भी अनुचित नहीं है।

जिन हालात का हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं उनके अनुसार इस अधिनियम को विधि आयोग को सौंपने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि विभिन्न न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट मत है कि यह अधिनियम संविधान के अनुरूप है। संविधान के अनुच्छेद २२ के अधीन यह स्पष्ट है कि संसद् को निवारक निरोध अधिनियम बनाने की छूट है। और ऐसा कानून बनाना मूलभूत अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं है।

[श्री दातार]

अत : यह कहना ठीक नहीं है कि इसे विधि आयोग को भेजा जाये क्योंकि विधि आयोग का कोई प्रश्न ही नहीं आता। दूसरी बात यह कही गयी है कि इस अवधि को थोड़े समय के लिए बढ़ाया जाय ताकि नयी संसद् भी इस पर अपना स्वविवेक व्यक्त कर सके। हम इस अधिनियम को केवल तीन वर्षों के लिए अर्थात् १९६२ के अन्त तक के लिए बढ़ा रहे हैं। मार्च १९६२ में चुनाव होंगे और मई १९६२ के अन्त तक ही नयी संसद् बैठ सकेगी अत: नई संसद् को इस पर विचार करने के लिये काफी समय मिल जायेगा और शुरू में नई संसद् के पास काफी काम भी होता है। अत: जब तक इस पर विचार करने का समय आयेगा तब तक इस अधिनियम की बढ़ी हुई अवधि के तीन वर्ष समाप्त हो जायेंगे। तभी संसद् इस पर विचार कर सकेगी। अत: इस दिशा में दी गयी युक्तियों में कोई सार नहीं और जहां तक अवधि बढ़ाने की बात है उसमें कुछ भी असंगत नहीं। जहां तक कि औचित्य प्रश्न की बात है सन् १९५० से लेकर अब तक यह अधिनियम सभा के सामने छ: बार रखा गया है और कभी भी राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह कोई धन विधेयक नहीं है न इसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। अत: मैं इस विधेयक को सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री नौशीर भरूचा अपना औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करें।

†**श्री नौशीर भरूचा** : इस विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद ११७(१) और ११७(३) दोनों लागू होते हैं, इस अनुच्छेद को अनुच्छेद २२ के खंड ४ के साथ पढ़ा जाना चाहिये।

अनुच्छेद २२(४) में उपबंध किया गया है कि :

> "निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—
>
> (क) ऐसे व्यक्तियों से जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं, अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उस की राय में पर्याप्त कारण हैं :"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब यह विधेयक पारित होगा तो मंत्रणा-मंडली भी नियुक्त होगी या जारी रहेगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरे कथन का आशय यह है कि इस विधेयक पर संचित निधि में से धन व्यय किया जायेगा अत: यह तब तक प्रस्तुत या पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की सिफारिश न हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें संचित निधि से व्यय होगा, अत : राष्ट्रपति की अनुमति होनी आवश्यक है, तथापि इस समय इस पर चर्चा की जा सकती है। निसंदेह हम इसे तब तक पारित नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त न हो जाय।

†**श्री दातार** : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है मैं इस मामले पर विचार करूंगा। अनुच्छेद ११७ (३) के अनुसार विधेयक तब तक पारित नहीं हो सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति

---

†मूल अंग्रेजी में

अवर जरूरी हो तो प्राप्त न कर ली जाय । तथापि हम अभी विचार कर रहे हैं । अतः मैं इस मामले में तदनुसार कार्यवाही करूंगा प्रत्यक्षतः मैं यह बता रहा था कि जब हम मंत्रणा-मंडली नियुक्त करते हैं हम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ही नियुक्त करते हैं जिन्हें पहले से ही संचित निधि में से वेतन दिया जा रहा है । इन मंत्रणा मंडलियों को भी अधिकांश राज्य सरकारें ही नियुक्त करती हैं । अतः केन्द्रीय सरकार उसमें कोई प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेती है । वस्तुतः इस प्रकार उसमें संचित निधि का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : आपने यह निर्णय दिया है कि विधेयक पर चर्चा की जा सकती है लेकिन उसे पारित नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय विचित्र लगता है, क्योंकि विधेयक का पारित होना एक अटूट क्रम है । सरकार जो विधेयक प्रस्तुत करती है वह पारित करने के लिये ही रखती है अतः उस पर पहिले चर्चा करना तथा तब अनुमति के आने तक प्रतीक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता है, मेरा निवेदन है कि इन बातों पर विचार करते हुये विधेयक पर इस समय विचार न किया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे दुःख है कि इस सम्बन्ध में पहले ही अध्यक्ष-पीठ द्वारा निर्णय दिया जा चुका है । मुझे उन निर्णयों का पालन करना होगा । प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि विधेयक को उस पर राय जानने के लिये १५ दिसम्बर, १९६० तक परिचालित किया जाय ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि विधेयक को उस पर राय जानने के लिये २० दिसम्बर, १९६० तक परिचालित किया जाये ।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने अपने भाषण में एक पत्र का जिक्र किया है जो कि सभा के कुछ सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री को लिखा था, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पत्र का उत्तर माननीय प्रधान मंत्री की ओर से दे रहे थे ? यह आश्चर्य का विषय है कि प्रधान मंत्री को लिखे गये गोपनीय पत्रों का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब यह पत्र समाचारपत्रों में प्रकाशित हो गया है तो वह जनता की सम्पत्ति बन गया है, अतः कोई भी व्यक्ति इस पर आलोचना कर सकता है ।

†**श्री नाथपाई** : समाचारपत्र में पत्र प्रकाशित नहीं हुआ है, उसमें केवल यह प्रकाशित हुआ है कि ऐसा एक पत्र कुछ सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को भेजा गया था, मैं केवल यह जानना चाहता था कि माननीय मंत्री महोदय ने पत्र पर अपनी राय प्रगट की थी या कि प्रधान मंत्री की ओर से उत्तर दिया था ?

†**श्री दातार** : मैंने उन बातों का उत्तर दिया है जो कि उस पत्र में उठाई गयी थीं । इस पत्र के सम्बन्ध में समाचार आज के ही समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है । अतः मैंने उसका यहां उल्लेख किया। यह उत्तर प्रधान मंत्री की ओर से नहीं था केवल उन्हीं बातों का उत्तर था जो कि आज के पत्र में प्रकाशित हुई थीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह अपना दूसरा संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राजराज सिंह : मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : मैंने श्री दातार से ऐसे असंगत, अनुपयुक्त तथा साधारण भाषण की आशा नहीं की थी। उन्होंने इस विधेयक के संबंध में देश की भावनाओं को समझने से बिल्कुल इंकार कर दिया है। इसी कारण सभा की परम्पराओं का उल्लंघन करके हमने इसका पुरस्थापन के समय ही विरोध किया। वस्तुत: यह एक ऐसा विधेयक है जिससे देश की राजनीति दूषित हो रही है। दु:ख की बात है कि इसे संविधान में बुनियादी अधिकारों के परिच्छेद में ही स्थान दिया गया है। किन्तु संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य होगा कि इस प्रकार की कार्यवाही तभी की जायेगी जब कि विशेष स्थिति पैदा हो जाय, लेकिन सरकार ने इसे विधि पुस्तिका का अनिवार्य अंग बना लिया है।

मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि १९५० में इसी सभा में तत्कालीन गृहमंत्री ने यह कहा था कि मुझे स्वतंत्र भारत के सम्मुख इस विधि को रखते हुये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और मैं कोई ऐसा कारण नहीं ढूंढ़ सका जिसके आधार पर इसे प्रस्तुत किया जाये। उस समय इस विधेयक की अवधि केवल एक वर्ष रखी गई थी। लेकिन तत्पश्चात् किसी न किसी कारण से यह अवधि बढ़ायी जाती रही।

यदि हमारे देश में आपातकालीन स्थिति है तो निसंदेह यह विधि लागू होनी चाहिये किन्तु श्री दातार ने इस विधेयक को पारित करने के जो कारण बताये हैं वे संतोषजनक नहीं हैं।

श्री दातार ने बताया है कि यह अधिनियम होने के बावजूद ३१ दिसम्बर, १९५९ को इसके अधीन निरुद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या केवल ९६ थी। मैं तो कहूंगा ऐसे अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध किये गये उनमें से ६९ गुंडागर्दी के अपराध में, १२ नागा उपद्रवी कार्यवाहियों के लिये, ५ डाकुओं को संरक्षण देने के अपराध में, २ तस्कर व्यापार करने के अपराध में, ३ जासूसी करने के अपराध में थे। वस्तुत: इन अपराधियों में से अधिकांश को अन्य विधियों के अधीन कैद किया जा सकता था। इसके लिये निवारक निरोध अधिनियम की शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुत: सरकार वर्तमान विधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं करती है और नई नई विधियां बनाती है।

वास्तविक बात यह है कि अधिनियम की धारा ३(१) (क) (३) के अधीन बहुत कम व्यक्ति निरुद्ध किये जाते हैं जब कि इस धारा के अन्तर्गत मुनाफाखोर, चोरबाजारी करने वाले तथा अन्य ऐसे ही लोग निरुद्ध किये जाने चाहिये थे। अधिकांश व्यक्ति धारा ३ (१) (क) (२) के अधीन निरुद्ध किये जाते हैं, क्यों कि यह धारा कानून और व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्ध रखती है इसके अधीन सरकार अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को आसानी से निरुद्ध कर सकती है वस्तुत: हम इसी कारण इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं।

बंगाल में पिछले दिनों खाद्यान्नों को सस्ते कीमत पर देने के लिये अन्दोलन किया गया था। उस अन्दोलन के दिनों में हमने देखा कि निवारक निरोध अधिनियम के अधीन ८७ व्यक्तियों को "शांति उल्लंघन करने वालों के नाम पर" निरुद्ध कर दिया गया। जब कि उनकी मांगें बिल्कुल उचित और वैध थीं, दु:ख की बात यह थी कि एक भी मुनाफाखोर को निरुद्ध नहीं किया गया।

इस सभा के अधिकांश सदस्य यह बात भली भांति जानते हैं कि इस अधिनियम के नाम पर है सरकार अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों से बदला लेती है। इस सम्बन्ध में श्री तेवर का दृष्टांत भी दिया

†मूल अंग्रेजी में

जा सकता है जो कि काफी बहुमत से लोक-सभा के लिये चुने गये थे, उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध कर दिया गया तथापि न्यायालय ने उनको छोड़ दिया ।

दूसरा उदाहरण श्री पी० एन० सिंह का है । मैंने यह मामला इसके पूर्व भी लोक सभा में उठाया था । श्री पी० एन० सिंह इस आधार पर गिरफ्तार कर लिये गये थे कि वे एक आन्दोलन चलाना चाहते थे । उनका मामला उच्च न्यायालय के समक्ष गया और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं था । उन्होंने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की भी जांच की और जांच करने के उपरांत यह कहा कि सरकार ने उनका मामला गलत तरीके पर चलाया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अभी हाल की हड़ताल में भी सरकार ने इसी अधिनियम का सहारा लिया । लखनऊ में विद्यार्थी वर्ग के झगड़ों के दौरान भी इसी अधिनियम के अधीन कुछ विद्यार्थियों को निरुद्ध कर दिया गया । उनमें से आठ विद्यार्थी अभी तक हवालात में ही हैं । इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सरकार इस अधिनियम का प्रशासन किस प्रकार दमन के लिये कर रही है ।

इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार किस प्रकार अपना प्रशासन करती है । प्रधान मंत्री ने इस सभा में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि वे उत्तरी सीमा में भारत के विरुद्ध कार्यवाहियां कर रहे हैं । इन तीनों व्यक्तियों ने इस आरोप का खण्डन किया और तत्सम्बन्धी पत्र प्रधान मंत्री को तथा उसकी प्रतिलिपियां मेरे को भेजीं । वस्तुत: सरकार कुछ ऐसे लोगों की सूचना के आधार पर आरोप लगाती है, जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिये । इस बात से स्पष्ट है कि जब तक सरकार अपने कार्य की पद्धति में परिवर्तन नहीं करेगी तब तक केवल इस प्रकार के अधिनियमों को पारित करने से कोई लाभ नहीं होगा । वस्तुत: सरकार ने आचार्य कृपालानी के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये था कि निवारक निरोध के कितने मामले उच्च न्यायालय तक गये और कितने मामलों में सजा बहाल रखी गयी । इस से इस अधिनियम की उपयुक्तता प्रामाणित हो जाती ।

केरल की साम्यवादी सरकार ने अपने विरुद्ध चलने वाले आन्दोलन के विरुद्ध कभी भी इस अधिनियम का प्रयोग नहीं किया यदि वह चाहती तो वह भी इसके प्रयोग से कई व्यक्तियों को निरुद्ध कर सकती थी ।

अंग्रेजी शासन के दिनों में जब हमारी राष्ट्रीयता जोरों पर थी तो हम इन अधिनियमों को काले कानून कहा करते थे । तथापि आज सरकार इस कानून को स्थायी रूप देना चाहती है, दुख का विषय है कि देश भर में इस कानून का एकमत विरोध होने पर भी केवल सरकार इसके पक्ष में है इससे सरकार की नीयत पर संदेह होना स्वाभाविक है ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन)** : क्या आप राष्ट्रपति की सिफारिश से सम्बन्धित प्रश्न पर अपना निर्णय दे चुके हैं या आप यह निदेश दे चुके हैं कि अनुच्छेद ११७(३) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश आनी चाहिये । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुनने को तैयार हूं, तथापि मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुके हैं, तब क्या यह उचित है कि माननीय मंत्री को उसी विषय पर पुन: बोलने की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

अनुमति दी जाय । भले ही वे कितने ही विद्वान और अपने विषय के विशेषज्ञ क्यों न हों । क्या आप दूसरे सदस्यों को भी इस विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे ?

†श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, यदि निर्णय के बाद में विरोधी पक्ष का कोई सदस्य निर्णय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेगा तो क्या उसे भी अनुमति प्राप्त होगी ?

†श्री उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई विधि सम्बन्धी मामला होगा तो मैं अवश्य दोनों ओर की राय सुनना चाहूंगा ।

†श्री अ० कु० सेन : श्री नाथ पाई ने मेरे सम्बन्ध में जो कुछ कहा है मैं उसके लिये उनका कृतज्ञ हूं, तथापि उन्होंने जो आपत्ति की थी वह निराधार है क्योंकि अध्यक्ष को अधिकार है कि वह अपने निर्णय बदल सकता है । तथापि उसे विश्वास होना चाहिये कि अपना निर्णय बदलने के लिये उसके पास काफी कारण हैं ।

मुझे स्मरण है कि मैंने इस सम्बन्ध में इस से पूर्व भी चर्चा की है, अनुच्छेद ११७ (३) तभी लागू होता है जब कि विधेयक के उपबंधों के परिणामस्वरूप भारत की संचित निधि में से व्यय किया जाय । केवल इस अनुमान से कि इस विधेयक को क्रियान्वित करने पर सरकार को कुछ व्यक्ति नियुक्त करने होंगे और उसके कारण भारत की संचित निधि में से व्यय करना होगा यह अनुच्छेद लागू नहीं होता है । इस बात की कोई आशंका नहीं है कि कोई व्यय किया जायेगा । उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो कि अध्यक्ष होता है वह कुछ पारिश्रमिक नहीं लेता है । वस्तुतः इस में कोई ऐसा उपबंध है ही नहीं जिसके फलस्वरूप कोई व्यय हो । मैं इस सम्बन्ध में पहले भी अपने तर्क पेश कर चुका हूं और आपने इन तर्कों के आधार पर अपना निर्णय देने की कृपा की थी । मैं इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा कि यह चर्चा किस सभा में हुई थी ।

†उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह याद है कि दस वर्ष पूर्व मैंने यह मामला उठाया था और अध्यक्ष पीठ से उसके विरुद्ध निर्णय दिया गया था ।

†श्री अशोक मेहता (मुजफ्फरपुर) : माननीय मंत्री का भाषण सुनकर मुझे दुःख पहुंचा । उन्होंने कहा कि यदि इस कानून से इतने बड़े देश में पांच सौ के लगभग लोगों की स्वतंत्रता छीन भी ली गयी तो क्या हुआ । यह बड़ी विचित्र बात है । स्वतंत्रता के हनन के संदर्भ में संख्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता । एक भी व्यक्ति की चलने फिरने की स्वतंत्रता पर छापा मारना उतना ही गंभीर विषय है जितना कि अनेक लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना ।

यह अद्भुत तर्क है कि इस सभा के पांच सौ सदस्यों में से केवल दो सदस्यों पर ही इस कानून का प्रभाव पड़ा है इस कारण शेष लोगों को घबराना नहीं चाहिए । इन्हीं बातों से पता चलता है कि प्रशासन का पतन आरम्भ हो चुका है ।

माननीय मंत्री ने न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख किया है । राज्य बनाम आशुतोष नामक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि जहां कार्यपालिका साधारण विधि का आश्रय छोड़ कर असाधारण विधि की शरण ले, वहां उसका उद्देश्य अत्यधिक क्रूर होता है । यह ठीक तरीका नहीं है । इसके अलावा सरकारी पक्ष से यह दलील दी जा रही है कि संविधान इस कानून की अनुमति प्रदान करता है । यह ठीक है । यदि संविधान अनुमति प्रदान

†मूल अंग्रेजी में

न करता तो इस सभा में ही यह विधेयक न आ सकता। इसलिये हमें तो देखना चाहिए कि क्या स्थिति ऐसी है जो ऐसे कानून का औचित्य सिद्ध करती है। हमें यह भी देखना है कि सरकार ने इसका प्रयोग किस तरह से किया है। जब सरकार जनता की स्वतंत्रता पर आघात करके संतुष्ट हो वह स्थिति चिन्ताजनक होती है।

यह कानून १९५० में पेश किया गया था। इसे प्रस्तुत करते समय सरदार पटेल ने कहा था कि भारत के साम्यवादी राज्य की शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार साम्यवाद या साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुगामियों का विरोध नहीं करती परन्तु जो लोग ध्वंसात्मक कार्यवाही करना चाहते हैं उनको साधारण कानून के अन्तर्गत रोकना थोड़ा कठिन है।

इस कारण यह कानून बना था। पता नहीं साम्यवादियों की आधुनिक नीति क्या है, परन्तु इसे साम्यवादियों के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाता। मैं ऐसा चाहता भी नहीं। अब तो अन्य दलों को दबाने के लिए यह तरीका आसान है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत जो ६६८ व्यक्ति निरुद्ध किये गये थे उन में से १४० को सलाहकार बोर्डों के कहने पर छोड़ा गया और २८४ को सरकार ने अपने आप ही छोड़ दिया। क्या यह इस कानून का दुष्प्रयोग नहीं है। श्री जैन का यह मत है कि यह चीज़ बुरी नहीं। गलती को बाद में ठीक कर लेना क्या बुरा है! परन्तु बात यह है कि जब आप किसी की स्वाधीनता पर आघात करते हैं तो बाद में उसे किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर सकते। उसकी क्या क्षतिपूर्ति हो सकती है?

पिछले तीन वर्ष में तीन संसद् सदस्यों, ३० विधान सभा सदस्यों को निरुद्ध किया गया और वे सारे कांग्रेस से भिन्न दलों से सम्बन्धित थे। स्वतंत्र दल को छोड़ कर शेष सभी दलों के सदस्यों में से एक न एक अवश्य इस कानून की लपेट में आया है।

पश्चिमी बंगाल तथा बम्बई राज्य में इस कानून का अत्यधिक प्रयोग हुआ जबकि उड़ीसा, केरल तथा मद्रास में इसका ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ। क्या श्री दि० चं० राय इस कानून के बिना काम ही नहीं चला सकते? बंगाल में ३४३ बार इस कानून का आश्रय लिया गया। इसका क्या कारण था। उत्तर प्रदेश में भी अनेक बार इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। इसलिये मैं श्री जैन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें क्योंकि वे वहां के पुलिस आयोग के अध्यक्ष हैं। कुछ राज्य बड़ी ही ढिलायी से अनावश्यक रूप में इस कानून का प्रयोग करते रहे हैं जो अच्छा नहीं है।

भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के जुर्म में इस कानून के अधीन एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। अधिक लोगों को शांति भंग करने की आशंका के लिए ही पकड़ा गया है। शांति भंग करने की बात कुछ भी महत्व नहीं रखती। आखिर लोकतंत्रात्मक प्रणाली में विरोधी दल सरकार को बदलने का अनवरत प्रयत्न किया ही करते हैं। अन्यथा प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं।

इस कानून के अधीन श्री नाथ पाई जैसे लोगों को निरुद्ध किया गया। यदि देश की रक्षा को उनसे खतरा था तो फिर उन्हें इस सभा में अब क्यों बैठने दिया जाता है। यह आरोप निराधार एवं अत्याचारपूर्ण थे। इस तरह की बातों से काम नहीं चल सकता। इसी तरह श्री पी० एन० सिंह का मामला है। उनके विरुद्ध तीन आदेश निकाले गये। तीनों अलग अलग थे। उच्च न्यायालय ने उन्हें इसी कारण रिहा किया कि तीनों आदेश अलग अलग प्रकार के थे। इस मामले से पता चलता है कि राज्य सरकारें किस लापरवाही से इन मामलों में कार्यवाही कर रही हैं। यह व्यवहार किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि एक संसद् सदस्य के साथ हुआ है।

[श्री अशोक मेहता]

माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि निरुद्ध व्यक्तियों में से कुल कितने लोगों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। हर आदमी तो अपील भी नहीं कर सकता परन्तु मैं समझता हू कि कम से कम ३१ व्यक्तियों की रिहाई उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा हुई है।

यद्यपि इस कानून के अनुसार तब कार्य किया जाता है जब राज्य सरकार को विश्वास हो जाय कि एक व्यक्ति खतरा पैदा कर रहा है। परन्तु उसमें भी एकरूपता होनी चाहिए। श्री सिंह के मामले ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार एकरूपता से काम ही नहीं करती।

इस सभा में हर रोज यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरकार एक देश विशेष द्वारा भेजे गये गुप्तचरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है। परन्तु हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में इस कानून का आश्रय ही नहीं लिया जाता। एक आध मामला ऐसा शायद हुआ होगा। इस कानून को गुंडागर्दी के दमन के लिए भी प्रयुक्त किया जा रहा है। क्या ऐसी चीजों का दमन साधारण कानून के अन्तर्गत होना संभव नहीं है।

श्री मुकर्जी ने कहा कि सरकार को पुलिस की रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर पुलिस भी सरकार ही का एक हिस्सा है। परन्तु इतना अवश्य होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छापा मारने से पहले उसे सुना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में अकेले पुलिस पर भरोसा करना ठीक नहीं है।

भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता का विषय काफी गंभीर विषय है; इस कारण इस पर सरकार को तद्विषयक महत्व के अनुसार ही विचार करना चाहिए। इसे अधिक देर तक कायम रखना देश के हित में नहीं है।

जम्मू और काश्मीर में, जो भारत ही का एक अंग है इस कानून से भी ज्यादा खतरनाक एक और कानून है। मेरे विचार में राज्यों को ऐसे गंभीर विषयों में स्वायत्तता प्रदान करना हानिकर है। आर्थिक विषयों में स्वायत्तता का और महत्व है।

श्री दातार ने कहा कि पंजाब हालांकि इतनी गड़बड़ चली है पर फिर भी सरकार ने इस कानून के अन्तर्गत केवल एक आदमी को ही निरुद्ध किया है। यह खूब रही। उसी एक व्यक्ति के विरोध के कारण इतनी ज्यादा गड़बड़ी मच रही है। सरकार की ऐसी कार्यवाहियों से ही तो गड़बड़ होती है।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कानून को और बढ़ाना उचित नहीं है। इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए। यदि बढ़ाना भी हो तो उस समय तक ही इसे बढ़ाया जाय जब तक इस संसद् की कालावधि रहती हो।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मुझे याद है कि यह २५ फरवरी, १९५० का दिन था जब सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सदन के समक्ष यह कह कर यह विधेयक प्रस्तुत किया था कि लगभग ३५० अत्यन्त खतरनाक कम्युनिस्ट नजरबन्दों को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिहा कर दिये जाने की सम्भावना है। अगर यह विधेयक पारित नहीं किया गया तो वे लोग रिहा हो जायेंगे। अतः देश की सुरक्षा के हित में यह नजरबन्दी विधेयक स्वीकार किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने बड़ी नम्रता से इसके लिए अपील की और सभा को इस विधान को स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने इसका उस समय भी विरोध किया था। मैंने कहा था कि इस दिशा में शीघ्रता से काम लिया जा रहा है। हमें अच्छे सिद्धान्तों पर आधारित विधान निर्माण करना चाहिए।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

इस पर सरदार पटेल ने कहा था कि यह आपातकालीन बात है, बाद में इस पर विस्तार से विचार कर के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित किसी इस प्रकार के विधान की व्यवस्था कर ली जायेगी जो कि इसका स्थायी विकल्प होगा। यह उनका आश्वासन था और एक वर्ष के समय के लिए उसे स्वीकार किया गया था। परन्तु देखते देखते १० वर्ष व्यतीत हो गये हैं। प्रत्येक तीन वर्ष के बाद इसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है। यह भी हर्ष की बात है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष हमें इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर तो मिल ही जाता है। वास्तव में देखा जाय तो विधान हमारे भारत के कानून का कलंक है। आज स्थिति भी आपातकालीन नहीं दिखाई देती। यह तो ठीक ही है कि देश में ऐसे पंचमार्गियों के रूप में आपात विद्यमान है और वे विदेशी आक्रमणकारियों का हित-साधन करते हैं। गुंडों आदि की बात निराधार है। यदि यह कारण बताया जाता कि चीनी आक्रमण और उसके भारतीय एजेन्टों के उच्छेदक कार्यों को रोकने के लिए यह विधान लाया जा रहा है, तो बात समझ में आ सकती है। परन्तु वह बात तो सरकार के दिमाग में भी नहीं आई। आश्चर्य की बात यह है कि वास्तविक खतरे की उपेक्षा करके हम व्यक्तियों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहे हैं। यह भी आश्चर्य की बात है कि जो शस्त्र साम्यवादी लोगों के साथ लड़ने के लिए निर्माण किया गया था, वह अब सब पर चलाया जा रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि साम्यवाद और अधिनायकवाद स्वतन्त्र समाज के विकास में बड़ी भारी रुकावटें डालते हैं और उन्हें रोका जाना चाहिए। परन्तु इस अधिनियम के विरुद्ध हमारा विरोध भिन्न दृष्टिकोण से है और वह साम्यवादी दल से भिन्न है। खेद है कि सरकार वास्तविक तोड़फोड़ करने वालों को तो पकड़ने का साहस रखती नहीं और अपने दल का कल्याण करने के लिए इस प्रकार के अधिनियम बना रही है।

मेरा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक दोषी नहीं घोषित हो सकता जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। जब तक किसी की गद्दारी अदालत में सिद्ध नहीं हो जाती उसे देशभक्त ही कहा जायेगा। शेख अब्दुल्ला को आपने जेल में नजरबन्द कर रखा है, चाहिए यह कि उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाय। मास्टर तारा सिंह को ले लीजिये, आखिर उन्हें क्यों नजरबन्द किया गया है? वह उसी प्रकार के अच्छे देशभक्त हैं, जितने कि हम इस सदन के सदस्य हो सकते हैं। आखिर वह मांग तो यही करते हैं न कि पंजाब राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाये। सारे देश में ऐसा हुआ है तो पंजाब में इसके लिए नजरबन्दी की आवश्यकता क्या है। यदि यह भी मान लिया जाय कि यह आन्दोलन साम्प्रदायिक है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि जो भी साम्प्रदायिक हो उसे जेल में डाल दिया जाय। फिर यह कौन फैसला करता है कि यह आन्दोलन साम्प्रदायिक है। एक आदमी क्षेत्रीय पुनर्गठन की मांग करता है तो राजनीतिक ढंग से उससे लड़िये, उसे निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द कर देने में सरकार की कोई बहादुरी नहीं है।

इसी प्रकार हड़ताल को रोकने के लिए निवारक नजरबन्दी अधिनियम का आश्रय लिया गया। श्री नाथपाई को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार को हड़ताल रोकने और उसे अवैध घोषित करने का पूर्ण अधिकार है परन्तु लोगों को नजरबन्द करके हड़ताल का मुकाबला करना शोभा की बात नहीं है। इसी प्रकार इस अधिनियम की ताकत के सहारे मध्य प्रदेश में महाराजा बस्तर को परेशान किया जा रहा है। स्वतन्त्र देश के नागरिक

[श्री मी० रु० मसानी]

होते हुए भी उनकी स्वतन्त्रता छीनी जा रही है। अन्त में मैं एक बात कहता हूं कि यदि आपने यह विधेयक स्वीकार ही करना है तो इसे जम्मू और काश्मीर राज्य में भी लागू किया जाय। मेरा निवेदन है कि अधिनियम का पिछले दिनों घोर दुरुपयोग किया गया है और वर्तमान रूप में इसका समर्थन करना कठिन कार्य है। मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री नसवुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा मत यह है कि देश में जो वातावरण है उसे देखते हुए यह बड़ा जरूरी है कि इस विधान को हमारी संविधि पुस्तक का स्थायी कानन बनाया जाय। इस बात के सबूत की कोई आवश्यकता नहीं कि देश में बहुत सी राष्ट्र विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं। साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता,, तथा भाषावाद का जोर हो रहा है। देश की आन्तरिक सुरक्षा को स्थायी खतरा है अतः इस प्रकार के विधान का होना बहुत ही जरूरी है।

यह बात भी बड़ी ठोस है कि कुछ समाज विरोधी तत्व आजकल हमारी सीमाओं पर गड़बड़ कर रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत विरोधी और चीन पोषक प्रचार इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन का उद्देश्य ही यह है कि भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला जाय। इन बातों को मान लिया गया है और संसद् में इस की चर्चा हो चुकी है। इन हालात में क्या किया जाना चाहिये ? मेरा पूर्ण विश्वाश है कि जब तक इन तत्वों को रोका नहीं जायेगा देश को खतरा बना रहेगा।

बहुत लोगों ने कहा है कि इस विधान द्वारा हमारे मूल अधिकारों पर छापा मारा गया है। परन्तु यह सोचने की बात है कि जब इन मूल अधिकारों द्वारा ही देश के सामूहिक हितों को पददलित किया जाये तो और सिवा इस के मार्ग भी क्या रह जाता है।

निवारक निरोध की परिभाषा कहीं नहीं की गई। यह समझना चाहिये कि यह विधान दंड देने वाला नहीं प्रत्युत सावधानी बरतने वाला विधान है। इस का उद्देश्य निवारक है दंड देना नहीं। जो लोग चाहते हैं कि ऐसा विधान न बनाया जाय, उन्हें देश में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण करनी चाहियें कि इस की आवश्यकता ही न रहे।

यह विधान हमारे राष्ट्रीय हितों में है। ऐसे समय में जब समाज विरोधी तत्व सक्रिय हों देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये इस की बहुत आवश्यकता है। इस विधान में परामर्श बोर्ड तथा उच्चतम न्यायालय में जाने की भी व्यवस्था की गई है जहां किसी भी प्रकार के नजरबन्द के साथ होने वाले अन्याय के सम्बन्ध में चर्चा हो सकती है। और बोर्ड उन पर विचार कर सकता है यदि नजरबन्दी की शिकायतें ठीक है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। अतः इस के विरुद्ध दी गई युक्तियां असंगत हैं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे स्थायी बना दिया जाये।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस भावना से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि स्वतंत्रता को सब से अधिक प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिये। यदि ९९ दोषी मुक्त हो जायें तो कोई बात नहीं परन्तु एक निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिये। परन्तु हमें देखना यह है कि क्या हमारे देश में विधि का आदर किया जाता है। विचार करने की बात है कि हमारे देश की जो आज की परिस्थिति है और जिस तरह से कानून भंग किया जाता है, क्या इस को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम बिना इस प्रकार के कानून के काम चला सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहना गलत है कि लोकतंत्रीय देशों में इस प्रकार के कानून नहीं । इस प्रकार के कानून अमेरिका में भी हैं और इंगलैंड में भी । उस के अनुसार सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द कर दे । हो सकता है कि उन देशों की सरकारों को इस कानून की बहुत कम आवश्यकता पड़े क्योंकि वहां के लोग हमारे लोगों के मुकाबले में विधि का अधिक आदर करते हैं ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे ?

†**श्री आचार** : जी हां ।

†**सभापति महोदय** : तो आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का अट्ठावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६०/११ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १ दिसम्बर, १६६०
१० अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	१६३५—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६०५	बाढ़ नियंत्रण की वृहद् योजना	१६३५—३७
६०६	केन्द्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्था . . .	१६३७—३६
६०७	होटलों के लिये ऋण .	१६३६—४२
६०८	भूमि सर्वेक्षण	१६४२—४५
६०६	उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय यातायात . .	१६४५—४७
६११	सेफ डिपाजिट लाकर . . .	१६४७–४८
६१२	विशाखापत्तनम में सूखी गोदी . .	१६४८—५३
६१४	प्रशासन का विकेन्द्रीकरण . .	१६५३—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	१६५६—६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६१०	बैलों से खींचे जाने वाले उपकरणों के लिये प्रादेशिक अनुसंधान-व-परीक्षण केन्द्र	१६५६–५७
६१३	एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिये जेट विमान	१६५७
६१५	ग्राम्य क्षेत्र जल संभरण योजनायें . .	१६५७
६१६	राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के लिये वृहद् योजना .	१६५८
६१७	पोचमपाद परियोजना . . .	१६५८
६१८	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था . . .	१६५८–५६
६१६	नौवहन भाड़ा दर	१६५६
६२०	आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां . . .	१६५६–६०
६२१	डाक तथा तार विभाग के स्वयं सेवक . . .	१६६०
६२२	विजयवाड़ा से विमान सम्पर्क . . .	१६६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६२३ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता कार्यालय से धन-राशि का गुम होना १६६०–६१
६२४ राष्ट्रीय उष्णप्रदेशीय ऋतुविज्ञान संस्था . . १६६१
६२५ राष्ट्रीय कृषि सूचना बोर्ड . . . १६६१–६२
६२६ एशियाई राजपथ १६६२
६२७ कुर्दुवादी–मिराज–लटूर लाइन . . . १६६२
६२८ स्वास्थ्य उपकर का आरोपण १६६३
६२९ कनाडा से गेहूं का आयात . . . १६६३
६३० विलिंगडन अस्पताल . . १६६३–६४
६३१ रेलवे द्वारा इस्पात का परिवहन . . १६६४
६३२ मद्रास पत्तन १६६४–६५
६३३ क्षय-रोग नियंत्रण १६६५–६६
६३४ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के टोकन कार्ड . . १६६६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०९९ रेलवे सुरक्षा बल १६६६
११०० रेलवे में चोरियां १६६६–६७
११०१ चीनी का उत्पादन १६६७–६८
११०२ डाक तथा तारघर १६६८
११०३ संघ राज्य-क्षेत्रों के अस्पतालों में नर्सें . १६६८
११०४ स्टेशनों के नामों में परिवर्तन . . १६६८–६९
११०५ उत्तर प्रदेश में रेलवे की आउट एजेंसियां . . १६६९
११०६ मध्य रेलवे के प्राथमिक स्कूल १६६९
११०७ आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण योजना . १६६९–७०
११०८ भारतीय नौवहन उद्योग के लिय ऋण . . . १६७०
११०९ रामगंगा नदी परियोजना . . . १६७०–७१
१११० उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार भवन . . . १६७१
११११ डाक तथा तार घर १६७१–७२
१११२ एयर इंडिया इन्टरनेशनल के पैम्फलेट . . . १६७२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१११३	लौह अयस्क खानों के लिये रेलवे लाइन	१६७२
१११४	कटक के लिये जल निस्सारण योजना	१६७२–७३
१११५	उड़ीसा में सहकारी चीनी फैक्टरी	१६७३
१११६	राष्ट्रीय राजपथ	१६७३
१११७	पूर्वोत्तर रेलवे के पुल	१६७३–७४
१११८	पूर्वोत्तर रेलवे की डाक गाड़ियों में वेकुअम ब्रेक	१६७४
१११९	रेल-सड़क परिवहन में समन्वय	१६७४
११२०	भूमि तथा जल संसाधन	१६७४–७५
११२१	जनता भोजन सेवा योजना	१६७५
११२२	तिन्नेवेली–कुमारी अन्तरीप रेलवे लाइन	१६७५
११२३	बीज फार्म	१६७५–७६
११२४	अधिक समय तक काम करने की मजूरी का हिसाब लगाना	१६७६
११२५	डाक-तार कर्मचारी	१६७६
११२६	सूरतगढ़ फार्म	१६७६–७७
११२७	सोने के लिये डिब्बे	१६७७–७८
११२८	भाखड़ा जलाशय में मिट्टी काजमाव	१६७८
११२९	मिनिकाय प्रकाश-स्तम्भ	१६७८–७९
११३०	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क	१६७९
११३१	केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़	१६७९
११३२	पशुओं की मृत्यु	१६८०
११३३	जहाज बनाना	१६८०
११३४	दिल्ली में मकानों की समस्या	१६८०
११३५	केरल में तापीय संयंत्र	१६८१
११३६	वन संसाधनों का सर्वेक्षण	१६८१
११३७	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में पी० एच० डी० कोर्स	१६८१
११३८	दिल्ली के लिये भाखड़ा का पानी	१६८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११३९	"जब कमायें तभी भुगतान करें" (पे व्हाइल यू अर्न) योजना के अधीन खरीदे गये जहाज .	१६८२
११४०	बम्बई–आगरा सड़क	१६८२
११४१	कोंकण–नौवहन जांच समिति	१६८२–८३
११४२	बम्बई से कोल्हापुर तक विमान सेवा	१६८३
११४३	टालीजंग रेलवे ऊपरी पुल	१६८३
११४४	त्रिपुरा में भू-अर्जन . .	१६८३–८४
११४५	रेलवे दुर्घटना .	१६८४
११४६	चिकित्सा सेवाओं का राष्ट्रीयकरण	१६८४–८५
११४७	रोहे और कोढ़	१६८५
११४८	यूगोस्लाविया से जहाज	१६८५
११४९	डाक चपरासी	१६८५–८६
११५०	कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक ज्ञान .	१६८६
११५१	दिल्ली और मुरादाबाद के बीच डीजल कार सेवा .	१६८६
११५२	दुग्ध चूर्ण . . .	१६८६–८७
११५३	गोदावरी नदी का बेसिन . .	१६८७
११५४	रेलवे कर्मचारियों को बकाया का भुगतान . .	१६८७–८८
११५५	अन्दमान द्वीपसमूह में इमारती लकड़ी का नीलाम	१६८८
११५६	गढ़-मधुपुर और जेनापुर के स्टेशन कर्मचारी	१६८८
११५७	मन्दाकौर और पम्बन के बीच सड़क पुल .	१६८९
११५८	बम्बई में गोदियां	१६८९
११५९	रिहान्द बांध . .	१६८९–९०
११६०	नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा हिन्दी फार्मों का प्रयोग	१६९०
११६१	कुष्ठरोग नियंत्रण . . .	१६९१–९२
११६२	हिन्दी में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के फार्म .	१६९२
११६३	अमृतसर तथा नंगल बांध में टेलीफोन .	१६९२
११६४	हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि	१६९२–९३
११६५	हिमाचल प्रदेश में बिजली की दर	१६९३
११६६	चीनी के कारखाने . .	१६९३
११६७	रेलवे में हिन्दी अंकों का प्रयोग	१६९४
११६८	मीलों को मीट्रिक प्रणाली में बदलना	१६९४

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६९५–९६

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये:—

(१) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अक्तूबर, १९६० के अन्देमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २४१/३२–२/६०–जे की एक प्रति, जिस में अ देमान और निकोबर द्वीपसमूह खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९६० दिये हुए हैं ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १८ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६४ में प्रकाशित भारतीय मक्का (माण्ड बनाने में प्रयोग पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६० ।

(दो) दिनांक २४ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०५ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) आदेश, १९६० ।

(तीन) दिनांक २४ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०६ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६० ।

(चार) दिनांक २४ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०७ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं के लाने ले जाने पर नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६० ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . १६९६–९७

श्री दीवान चन्द शर्मा ने १३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध के एक ट्रांसफार्मर (परिवर्तक यन्त्र) में हुई दुर्घटना की ओर, जिस के फलस्वरूप एक कामगर की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हुआ, सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . १६९७—९९

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने २३ से २५ नवम्बर, १९६० तक नई दिल्ली में हुई भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृ०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—(क्रमशः)

(२) असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) ने गैर-अनुसूचित संचालकों के प्रति सरकारी नीति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

विधेयक—पारित . . . . . १६६६—१७ ३

समवाय (संशोधन) विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । कुछ चर्चा के बाद विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . १७१३—२७

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार किया जाये । सर्वश्री ब्रजराज सिंह और स० मो० बनर्जी द्वारा विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के बारे में दो तथा श्री ब्रजराज सिंह द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १७२७

अट्ठावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १६६०/११ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

निवारक निरोध (जारी रखना) संशोधन विधेयक पर अग्रेतर विचार और उस का पारित किया जाना, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1507 (ai) LSD—26-12 60—115.